खण्ड-136, अंक-5
शुक्रवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1876
(7 मई, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 136 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गुँदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदायलु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवशास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद सिंह, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महबूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रन्नत पांडेय, श्री
रामग्रवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास ग्रार्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप,श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसीनक्वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

७ मई, १९५४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पंचायत राज इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान और उन पर नियुक्तियां

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने पंचायत राज इन्सपेक्टरों की जगहें खाली हैं?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—इस समय ६८ पंचायत निरीक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से ५० पदों पर स्थानापन्न (officiating) रूप में नियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई चुनाव इस सम्बन्ध में कराया था? यदि हां, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितने प्रकार की लिस्ट सबमिट की और कितने आदमियों की?

श्री मोहन लाल गौतम—२८ पदों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्शन कराया गया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने विभागीय सेक्रेटरियों या आफिस के लोगों में से भी कुछ लोगों का इस पद के लिये चुनाव कराया है? यदि हां, तो कितने लोगों का?

श्री मोहनलाल गौतम—३३ प्रतिशत लोगों का चुनाव विभाग के कार्यकर्त्ताओं में से होगा और वह अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट उनको किस तारीख को प्राप्त हुई है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और विभाग द्वारा नये इन्सपेक्टरों का चुनाव हो चुका तथा लिस्ट बन चुकी है तो उनकी नियुक्ति में सरकार इतनी देर क्यों कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रोसीजर में जो समय लगता है उसी के अनुसार हो रहा है। आशा है कि वह नियुक्तियां जल्द हो जायेंगी।

मधुबन (आजमगढ़) में ऐलोपैथिक अस्पताल का निर्माण

**२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ में मधुबन जिला आजमगढ़ में ऐलोपैथिक अस्पताल का जो निर्माण होने वाला है उसमें अब तक कौन-कौन सी कार्यवाहियां की जा चुकी हैं?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को राय इस क्षेत्र में एक उचित स्थान पर चिकित्सालय खोलने के लिये लें। ज्योंही जगह नियत हो जायगी, आगे की कार्यवाही की जायगी।

बजट में फिलहाल २५,००० रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पता है कि १० अप्रैल को प्रश्नकर्त्ता और शिवराम राय एम० एल० ए० और जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के सम्मुख जूनियर हाई स्कूल, मधुबन के सामने जमीन तय कर ली गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी हमारे पास तो सूचना नहीं आयी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक अस्पताल बनने का काम प्रारम्भ हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ज्योंही जमीन के बारे में निर्णय हो जायगा और ज्योंही हमारे पास इस बात की सूचना आ जायगी, उसके बाद उचित आदेश इमारत बनाने के जारी कर दिये जायेंगे।

[३० अप्रैल, १९५४ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के ग्राम पाण्डेपुर तथा समस्त जिले में डकैतियों की संख्या

*१—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर सदर थाने के अन्तर्गत ग्राम पांडेपुर में कुछ समय पूर्व एक डाका तथा एक चोरी हुई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन थानों पर कितने डाके माह जुलाई सन् १९५३ से अब तक पड़े, उसमें कितने डाकू पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन थानों पर अधिक डाके पड़े हैं उनकी उचित व्यवस्था के लिये सरकार की तरफ से कोई आदेश भेजा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। देखभाल खासतौर से उनको रखनी चाहिये और कोई विशेष आदेश तो भेजा नहीं गया।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई आदेश भेजा गया है कि डकैतों के पकड़ने के लिये जनता के बीच में प्रदर्शन कराया जाय? यदि हां, तो किसके द्वारा और किस भांति?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा तो कोई खास आदेश नहीं है। ग्राम रक्षक समितियों को जरूर बतलाया जाता है कि किस तरह से डकैतों को गिरफ्तार करना चाहिये। वही प्रदर्शन हो सकता है। दूसरा कोई प्रदर्शन तो नहीं होता।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो डकैत हैं यह बाहरी हैं कि जिले के भी शामिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जितनी डकैतियां हैं उन सबके मुकदमे अदालत में हैं। अभी साबित भी नहीं हो सकता कि कौन डकैत है, कौन नहीं। इनमें से एक पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है ?

आजमगढ़ जिले में कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी

*३---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि जून माह में कुल कितने कम्युनिस्ट आजमगढ़ जिले में गिरफ्तार किये गये और क्यों ?

*४---क्या सरकार बतायेगी कि वे कम्युनिस्ट किन-किन धाराओं की मातहत गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लोग कानून तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किये जाते हैं न कि राजनैतिक सम्पर्क के आधार पर। अतः इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृहमंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसा कोई रेकर्ड जेल या जेल के बाहर पुलिस में नहीं रहता कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से सम्बन्ध रखता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब कुछ खास-खास व्यक्तियों के बाबत तो जानकारी होती ही है लेकिन जितने शख्स हैं उन सबके राजनैतिक विचारों के बाबत तो कोई खास जानकारी रखने की कोशिश भी नहीं की जाती।

श्री झारखंडे राय---माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में गत जून में ऐसे आदमी कितने गिरफ्तार हुये जिनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से था ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे चुके हैं कि राजनैतिक सम्पर्क से गिरफ्तारी नहीं होती है।

* * *

ग्राम असलाई (आजमगढ़) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा का भंग किया जाना

*६---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ग्राम असला थाना अहिरौला, जिला आजमगढ़ में जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा गत ६ जनवरी और ८ फरवरी को सार्वजनिक सभा करने का आयोजन किया गया था, जिसकी सूचना जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को दे दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न में कथित तिथियों में ६ जनवरी के लिये आयोजित सार्वजनिक सभा की कोई पूर्व सूचना जिला अधिकारियों को नहीं मिली थी। गत ८ फरवरी के लिये आयोजित सभा की सूचना केवल जिलाधीश को ही मिली थी।

*७---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों तिथियों की सार्वजनिक सभायें असलाई ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बलपूर्वक भंग कर दी गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त सभायें असलाई ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों की राय के विरुद्ध उनके बागीचे में आयोजित की गई थीं। अतएव उन्होंने वहां पर सभा नहीं करने दी। ९ जनवरी को उन्होंने कुछ बल का भी प्रयोग किया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही नहीं है कि ९ जनवरी, १९५४ की सभा की नोटिस १५ दिन पहले छपवा कर सारे देहात में और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट और जिला अधिकारी के यहां भेज दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलाधीश और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास किसी प्रकार की सूचना, उस मीटिंग की नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि ८ फरवरी को जो सभा की गयी उसकी इत्तिला जिलाधीश को २ फरवरी को और एस० पी० को ५ फरवरी को दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलाधीश तो कहते हैं कि उनको इत्तिला दी गयी थी। लेकिन एस० पी० कहते हैं कि उनको इत्तिला नहीं मिली।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि २ फरवरी की सूचना पर जिलाधीश ने एस० पी० को वहां आवश्यक प्रबन्ध करने का आदेश दे दिया था, फिर भी वहां आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। एस० पी० को जिला मैजिस्ट्रेट ने आवश्यक कार्यवाही के लिये आदेश दिया था और जो आवश्यक कार्यवाही हो सकती थी वह की गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि ९ फरवरी की सभा में वहां के स्थानीय जमींदारों के साथ ही वहां के सब-इन्सपेक्टर भी थे और सभा बलपूर्वक विघटित कर दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---९ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या जिन्हें चोट आयी उनमें किसी को गंड़ासा और भालों की भी चोट लगी है ?

श्री अध्यक्ष---किस तारीख की मीटिंग के संबंध में।

श्री गेंदा सिंह---८ फरवरी की मीटिंग में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय गेंदासिंह जी को कुछ भ्रम हो रहा है। ८ फरवरी की मीटिंग में किसी को चोट नहीं आयी। माननीय रामसुन्दर पाण्डेय ने ९ फरवरी का जिक्र किया था इसलिये मैंने कहा था कि ९ फरवरी को कोई मीटिंग नहीं हुई। ९ फरवरी को जो सभा हुई थी, ऐसी खबर मिली कि उसमें कुछ जमींदारों के ऊपर बलप्रयोग हुआ था लेकिन अगर किसी को चोट आयी भी हो तो न किसी ने डाक्टरी जांच करवायी और न रिपोर्ट करवाई। इसलिये यह कहना मुश्किल है कि किस को क्या चोट आयी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---९जनवरी की सभा के लिये कोई नोटिस छपी थी यह माननीय गृह मंत्री को मालूम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि ९ फरवरी की सभा विघटित हुई ?

श्री अध्यक्ष---९ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई यह उनसे कहा गया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---९ जनवरी की सभा विघटित हो जाने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में प्रार्थनापत्र दिया था कि उचित कार्यवाही की जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो प्रार्थना-पत्र आया होगा वह जिला अधिकारी के पास भेज दिया गया होगा।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ९ जनवरी की जो सभा हुई उसमें सभासद जो थे वह शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि अधिकारियों को कोई खास सूचना नहीं थी इसलिए हम कह नहीं सकते कि किस प्रकार वह लोग सुसज्जित थे।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां दोनों पार्टीज में झगड़ा हो गया और जो लोग बाद में सभा करने गये उनको रोका गया तो उस पर झगड़ा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बात तो ८ फरवरी को भी हुई थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री जिलाधिकारियों से पूछने की कृपा करेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सभा भंग होने पर जो झगड़ा हुआ उसमें किसके द्वारा जांच कराई गई और जांच का क्या नतीजा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सभा होने ही नहीं पाई। जमींदार लोगों ने अपने बाग में सभा होने ही नहीं दी। फिर जांच क्या होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि ९ जनवरी को सभा हुई थी और बल प्रयोग किया जमींदारों ने तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उसका क्या नतीजा रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझा था कि ८ फरवरी की बाबत आप यह कह रहे हैं। ९ जनवरी की बाबत दरियाफ्त करके बतला सकूंगा।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ९ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी उसकी जांच में तहसीलदार फूलपुर ने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर इसकी जानकारी मुझे होती तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर श्री रामसुन्दर पांडेय को ही दे दिया होता।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आजमगढ़ जिले में और भी किसी स्थान पर भूमि के मालिक की इच्छा के विरुद्ध सभा की गई ?

श्री अध्यक्ष---इसमें और जगहों का प्रश्न आप कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल दो ही जगहों से सम्बन्ध रखता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि ८ और ९ जनवरी को सभा की गई थी जिसमें आपने स्वीकर किया है कि भूतपूर्व जमींदारों के बाग में की गई थी तो क्या भूतपूर्व जमींदारों ने प्रजासोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास नोटिस भेजी थी कि यहां पर सभा न करो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई नोटिस दी थी या नहीं दी थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सभा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पुलिस में हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को खबर देने के बाद उस दिन पुलिस भी उस मीटिंग में गई थी और अगर हां, तो उसके रहते हुए बलप्रयोग कैसे हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---८ तारीख को पुलिस गई थी। पुलिस के जाने से नतीजा यह हुआ कि कोई बलवा नहीं हो पाया लेकिन पुलिस किसी की जमीन में जबरदस्ती सभा नहीं करा सकती, हां, मारपीट नहीं होने पाई।

बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत डाके और कत्ल

*८---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के प्रत्येक थाने के अन्तर्गत पिछले दो वर्ष में कितने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डकैतियों की संख्या जिले में १९५२ में २२ थी और १९५३ में २६ थी। थानेवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८-४३९ पर)

*९---श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डाकों में कितने मर्द, औरत तथा बच्चों की हत्या हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५२ में ७ पुरुषों और १९५३ में ९ पुरुषों की हत्या हुई। स्त्रियों या बच्चों की कोई हत्या नहीं हुई। थानावार और डकैतीवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८-४३९ पर)

*१०---श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन डाकों से सम्बन्धित डकैत पकड़े गये तथा मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८-४३९ पर)

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पिछले दो साल में जो डकैतियां हुईं उनमें कितना धन लूटा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि इन डकैतियों में कितने हथियार पकड़े गये और उनमें कितने विलायती थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कितने आदमी पकड़े गये उनकी संख्या मेरे पास है लेकिन कितने हथियार पकड़े गये इसकी संख्या तो मेरे पास है नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के थाना दनकौर में दिसम्बर, १९५३ ई० में एक डकैती हुई जिसमें डाकू पकड़े गये और कुछ आदमी भी मारे गये लेकिन वह इसमें दर्ज नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरी सूची में उसका नाम नहीं है। अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो उसकी खबर दें, उसका पता लगाया जायगा।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन थानों में डकैतियां अधिक पड़ रही हैं उन थानों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थानों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है। जहां पर ज्यादा डकैतियां हो जायं वहां के आफिसर से जवाब तलब किया जाता है कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ।

* * * *

लेबर आफिसर्स तथा कांसिलियेशन आफिसर्स की नियुक्तियां और उनमें हरिजनों का अनुपात

*१२--श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने लेबर आफिसर्स तथा कांसिलियेशन आफिसर्स लिये जा रहे हैं और उनमें से कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रक्खे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५४ में अभी तक लेबर आफिसर्स की दो और कान्सिलियेशन आफिसर्स की तीन जगहें पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भरी गई हैं। चूंकि रिक्त स्थानों की संख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिये हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित करना सम्भव नहीं था।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि इससे पहले लेबर आफिसर और कांसिलियेशन आफिसर के २, २ और ३-३ स्थानों का चुनाव हो चुका है किन्तु उसमें कोई हरिजन नहीं लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यह सही है। दिक्कत यह है कि लेबर डिपार्टमेंट में जगह बहुत थोड़ी है। केवल २, ३ जगहें होती हैं उसमें परसन्टेज बैठाना बड़ा कठिन होता है फिर भी मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कि अब हमने यह निश्चय किया है कि आगे से जो जगह लेबर आफिसर की खाली होंगी चाहे वह २ हों या ३ हों जो कुछ भी हों कम से कम उसमें से एक जगह हम हरिजन उम्मीदवार के लिये रिजर्व कर देंगे।

* * * *

मथुरा जिले में अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्य समाजियों की गिरफ्तारी

*१६--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो वर्षों में अमेरिकन मिशन के लोगों ने मथुरा जिला में धन देकर आठ हजार आदमियों को ईसाई बनाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्थानीय मेथोडिस्ट तथा रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने गत दो वर्षों में लगभग २५० ग्रामीण व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया है। परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस धर्म परिवर्तन में धन का भी उपयोग किया गया है।

*१७---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या सरकार की यह नीति है कि विदेशियों को यहां की अनपढ़ तथा गरीब जनता की मनोवृत्ति बदलने का इस तरह का मौका दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये अमरीकन मथुरा जिले में कब से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिन २५० आदमियों का धर्म परिवर्तन किया गया वे कौन लोग हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वे पहले हिन्दू थे, जात बिरादरी का पता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्या इन धर्म परिवर्तन करने वालों के सम्बन्ध में कुछ कागजात बरामद हुये हैं तथा इकरारनामे निकले हैं कि एक निश्चित धनराशि उनको दी गई और यदि वे पुनः धर्मपरिवर्तन करें तो वह धनराशि वापस लेने की व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि यह ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने यह कहा था कि कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिये रुपया पैसा भी खर्च किया गया।

श्री नेकराम शर्मा---मथुरा जिले में कितने अमरीकन और दूसरे लोग और देशों के हैं जो इस कार्य में लगे हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार जो लोग ईसाई हो गये हैं उसका कारण जानने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले में आर्यसमाज के कुछ कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन के काम को रोकने के लिये गिरफ्तार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रचार रोकने के कई ढंग होते हैं। कुछ व्याख्यान वहां हुये थे जिसके फलस्वरूप कुछ लोग एक गिर्जाघर में घुस गये, वहां की इमारत और शीशे तोड़ दिये गये और अगर प्रचार का यही तरीका हो तो जरूर कुछ गिरफ्तारियां इस सम्बन्ध में हुई।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी को इन मिशनरियों की कुछ राजनैतिक हलचलें भी मालूम हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने ८-७ दिन पहले यहां कहा था कि कुछ ऐसा कार्य मालूम होता है जो विदेशियों को नहीं करना चाहिये, इसकी ओर मैंने काफी संकेत किया था और मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१०७ का मुक़द्दमा जो गिर्जाघर के सम्बन्ध में चल रहा है उसमें एस० ओ० बलदेव तथा अन्य साक्षियों ने क्या यह स्वीकार किया है कि पादरियों द्वारा धन देकर प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---ये बातें मुकदमे के सिलसिले में हैं जो सबजुडिस है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार अमरीकन मिशनरियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में तहकीकात कराने के विषय में जांच कराने की सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि यह प्रश्न केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के सामने है।

प्रतापगढ़ जिले में विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों पर अभियोग

*१८---**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्धित प्रतापगढ़ जिले के कितने विद्यार्थियों पर और किन-किन धाराओं के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रतापगढ़ जिले में गत विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में १०१ विद्यार्थियों के ऊपर इंडियन पेनल कोड की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अभियोग चल रहा है। दो मामलों में विद्यार्थियों पर टेलीग्राफ ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत भी अभियोग चल रहा है। इंडियन पेनल कोड की धाराएं इस प्रकार हैं :

१४७।३०७।३३२।३३३।३३६।३५३।३७९।३९५।४२६।४२७।४३५।४३६।४४७ तथा ४४८।

श्री रामअधार तिवारी---क्या माननीय गृहमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन धाराओं के अलावा दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत भी इन विद्यार्थियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है।

श्री रामअधार तिवारी---क्या सरकार उनको फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट के मातहत उनको मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इसका अभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह मालूम है कि जिन विद्यार्थियों पर मुकदमा चल रहा है वे १०-१८ के बीच में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी कोई सूचना नहीं है। केवल एक केस का जिक्र हुआ था। सीतापुर, लखीमपुर जिलों में किसी लड़के के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है जो १५ वर्ष से कम हो। प्रतापगढ़ की बाबत इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिन १०१ विद्यार्थियों पर अभियोग चल रहा है उनमें से कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक भी नहीं।

* * * *

पुलिस विभाग में आबकारी विभाग से आगत आई० पी० एस० अफसरों के प्रोबेशन की अवधि

*२८--श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पुलिस विभाग में आबकारी विभाग से जितने आई० पी० एस० अफसर प्रोबेशन पर आये हैं ? क्या उनके प्रोबेशन की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आई० पी० एस० में केवल एक अफसर ऐसे हैं जो पहले केन्द्रीय आबकारी विभाग में नौकर थे। उनका दो साल का निर्धारित परीक्षणकाल मार्च ३१, १९५२ तक था और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर उसे बाद को ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया। किन्तु वह आई० पी० एस० में अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के अधीन अपने पूर्व पद के ग्रहणाधिकार (lien) की समाप्ति की अनुमति अभी तक नहीं दी है।

*२९---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या उन्होंने सरकार के पास अपनी मांगों का कोई स्मृति पत्र भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन्होंने अपने वेतन के बारे में केन्द्रीय सरकार के लिये एक प्रार्थना-पत्र भेजा था जो उस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसी विषय में उन्होंने फिर एक दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया जो केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया था, जिसका उत्तर केन्द्रीय सरकार से अभी दो चार दिन हुये प्राप्त हुआ है। और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि उन आफीसर का नाम क्या है और वे किस जगह काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनका नाम रघुबीर प्रसाद है, वह फैजाबाद में हैं ?

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रृंगार दुबे पर आक्रमण की जांच

*३०--श्री रामनारायण त्रिपाटी---क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पारटी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रंगार दुबे के ऊपर हुये आक्रमण के संबंध में पुलिस द्वारा जो जांच हो रही थी इस समय तक उसकी रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच समाप्त हो गई है। सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (final report) लगा दी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार इस मामले में किसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या किसी बड़े सी० आई० डी० आफीसर द्वारा उसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डी० आई० जी० और सी० आई० डी० ने इस मामले को देख लिया है। जो लोग ऐसी अवस्था में हैं कि वे उनको सहायता दे सकें जब तक वे कोई सहायता देने को तैयार न हों तब तक किसी भी जांच का कोई फल नहीं निकल सकता। जैसा कि पहले ही प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुका हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में किसी को गिरफ्तारी हुई या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब कोई पहचाना ही नहीं गया तो किसी का गिरफ्तार होना असम्भव था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इसकी जांच के परिणामस्वरूप अब तक किसी अपराधी का कोई पता चला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। पता चला होता तो जरूर गिरफ्तारी की गयी होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जांच के समय श्री दलश्रंगार दुबे से इस संबंध में कुछ पूछतांछ नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक चोट की बात है, जब डाक्टर ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि चोट लगी है तब सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ बयान दिया था और कुछ लोगों के नाम बतलाये थे। इसके अवाला और क्या पूछताछ होती।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दलश्रृंगार दूबे को जो चोट लगी थी उसकी कोई रिपोर्ट सरकार को मिली कि यह चोट कहां से लगी या प्राकृतिक तरीके से कहीं से ऊपर से आ गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्राकृतिक चोट तो थी नहीं क्योंकि सर से लेकर पैर तक चोट के निशान थे। वह किसी मनुष्य की पहुंचाई हुई चोट जरूर थी।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने इस मामले में इनक्वायरी की थी क्या कुछ लोगों के ऊपर शुबहा भी उनका था और उनसे उन्होंने पूछताछ की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो आसपास के जमींदार है उनके ऊपर उस किस्म का शुबहा था, संभव है कि उन लोगों ने ऐसी कोई हरकत की हो क्योंकि ऐसा उनका खयाल था कि कुछ दिन पहले श्री दलश्रृंगार दुबे ने कोई स्पीच वगैरह ऐसी दी थी जिसमें उन जमींदारों को बुरा भला कहा था लेकिन महज इस सबूत पर किसी को गिरफ्तार करने के लिये कोई काफी सामग्री नहीं होती।

श्री गेंदासिंह---क्या श्री दलश्रृंगार दुबे ने कोई शिकायत वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध भी की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनके खिलाफ भी उनको शिकायत थी।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार की तरफ से श्री दलश्रृंगार दुबे की शिकायत पर कोई इनक्वायरी करायी गयी कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध उनको क्या शिकायत थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐसी गोल शिकायत पर जैसी जांच हो सकती थी वैसी जांच करायी गयी और उस शिकायत का कोई खास आधार नहीं पाया गया ?

* * * *

विधान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी पर अभियोग और उनकी पेशी

*३२---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध क्या अभियोग है और इन अभियोगों का आधार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तारीख ९ फरवरी, १९५४ की शाम को श्री नारायणदत्त तिवारी ने अपने कुछ साथियों के साथ काशीपुर, जिला नैनीताल में स्थानीय चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई रोकने के इरादे से मिल के पास धरना दिया था। अपने इस कार्य से उन्होंने काशीपुर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत लागू की गई आज्ञा का उल्लंघन किया।

*३३--श्री गेंदासिंह--श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो अरजी हाई कोर्ट इलाहाबाद को दी है उसकी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। उन्होंने दरख्वास्त में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी और उनको छोड़ा जाय। खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनकी अरजी खारिज कर दी है।

*३४--श्री गेंदासिंह--श्री नारायण दत्त तिवारी गिरफ्तारी के बाद किस मैजिस्ट्रेट के सामने, किस समय और कहां पर पेश किये गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गिरफ्तारी के बाद श्री तिवारी काशीपुर में ही वहां के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने करीब ५ बजे शाम को पेश किये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सज्जन सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने शाम को किस स्थान पर पेश किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पेश तो वैसे उनके मकान पर ही किये गये लेकिन इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह सवाल प्रिविलेज कमेटी के सामने आ चुका है और कोई नया प्रकाश में इस प्रश्न के उत्तर में डाल सकूंगा इसकी संभावना बहुत कम मालूम होती है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस गिरफ्तारी पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया है वह ४ तारीख की है और यह ९ तारीख की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--संभव है दोनों मिल गये हों।

श्री गेंदासिंह--क्या श्री नारायण दत्त जी ९ तारीख से पहले भी दफा १४४ तोड़ने के संबंध में गिरफ्तार हुये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ९ तारीख के बारे में था, उससे पहले के लिये सूचना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले कौन साहब थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने मैजिस्ट्रेटों को कोई ऐसी आज्ञा दी है कि जब वह दफा १४४ का अभियोग किसी पर लगायें तो वह उस का रिमूवल भी कर सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो कुछ कानून में लिखा है उसके ऊपर आदेश देने का सरकार को अधिकार नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बतायेगी कि ९ तारीख को गिरफ्तारी पर उसी दिन मामला अदालत में पेश हुआ और उसी दिन फैसला हो गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि फैसला हो गया लेकिन, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फैसला किस तारीख को हुआ और क्या यह सही है कि फैसले की पेशी एक दिन ही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैसला हुआ ऐसा मैंने नहीं कहा था लेकिन उन से मालूम हुआ कि फैसला हो गया, मैंने भी सुन रखा था कि ऐसी बात है लेकिन अदालत में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही दिन में फैसला और पेशी हो जाती है।

* * * *

गाजीपुर शहर में मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*४१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कोई मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है ? अगर हां, तो वह क्या है और सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। गाजीपुर शहर के कोट मुहल्ले में जब एक पुरानी मस्जिद की दीवार की नींव खोदी जा रही थी तो मजदूरों को कुछ मूर्तियां मिलीं। इस खबर को सुन कर वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने एक लाल झंडा मूर्तियों के पास गाड़ दिया। अधिकारियों ने जब देखा कि संबंधित पार्टियों में कोई समझौते की आशा नहीं है तो मूर्तियां हटाकर पुलिस लाइन के मंदिर में रखवा दी गयीं। इसके बाद एक भीड़ फिर इकट्ठी हो गई और उसने उस मस्जिद की दीवारों को गिरा दिया और उस स्थान पर एक चबूतरा बनाया। इस मामले के संबंध में एक पार्टी ने अदालत दीवानी में मुकदमा दायर किया है। अतएव वर्तमान स्थिति में उक्त मामले पर कोई आलोचना करना उचित न होगा।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त झंडा गाड़ा गया, मस्जिद की दीवार गिरायी गई और चबूतरा बनाया गया उस वक्त वहां पुलिस थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस के कुछ आदमी थे।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस ने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिवा इस के कि देखते रहे और कुछ नहीं किया।

श्री गेंदा सिंह—जिस लाल झंडे का जिक्र किया गया वह किसी पार्टी का झंडा था या कोई धार्मिक झंडा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे खयाल से धार्मिक झंडा था।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री जी से गाजीपुर का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था कि पुलिस नागरिकों के साथ वहां ज्यादती कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस तरह के प्रतिनिधि मंडल मिलते ही रहते हैं, शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां के प्रतिनिधि न मिलते हों।

* * * *

जिला रायबरेली के थाना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां

*४३—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी की स्थानीय पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मुजरे रंजीतपुर के किसानों के दरमियान गत जनवरी २४ व २५ के मध्य में समय पांच बजे सुबह कोई झगड़ा हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४४—श्री गुप्तार सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में कितने किसानों को चोट आई है और कितने पुलिस वालों के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो पुलिस कांस्टेबिलों के और ५ अन्य व्यक्तियों के चोटें आयीं।

*४५—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस झगड़े का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारतीय दंड विधान की धारा ४२७/४४७ के अन्तर्गत एक मामले में कुछ लोगों को पकड़ने के लिये पुलिस पाटः ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुरवा गयी। उन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिये पुलिस से मारपीट की।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनपुरवा मंजरे रंजीतपुर के किसानों ने श्रीम न् गृह मंत्री के पास मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये कोई दरख्वास्त दी थी और यदि हां, तो उस पर जांच हुई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच तो हुई लेकिन जब मामला अदालत में है तो जांच की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आदमियों की गिरफ्तारी किन दफाओं के अन्तर्गत की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१४ आदमियों की गिरफ्तारी होने को थी पांच तो उसी वक्त गिरफ्तार हो गये जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिये गई थी, २ आदमी गिरफ्तार नहीं हुये, स्वयं जाकर अदालत में हाजिर हुये और वह लोग जो गिरफ्तार हुये जहां तक मुझे मालूम है दफा १४१/१४२ तथा ३२४/३२५ में उन पर मुकदमे चल रहे हैं।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों में एक गर्भिणी औरत भी थी जिसके छूटने के बाद १५ दिन बाद बच्चा पैदा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है। बहरहाल जमानत पर सब लोग छूटे हैं। अब उनमें कोई औरत थी जिसके पेट में बच्चा था और उसके छूटने के बाद बच्चा पैदा हुआ इसकी मुझे सूचना नहीं है।

* * * *

गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमे और उनमें सजाएं

*४७—श्री भोला सिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर की जमानिया तहसील से सन् १९५३ में पूरे साल में पुलिस द्वारा कितने मुकद्दमे चलाये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१२४।

श्री भोला सिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन धाराओं में ये सजायें हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अच्छा होता यदि माननीय सदस्य ने पहले से ब्यौरा पूछ लिया होता उन्होंने केवल संख्या पूछी थी इसलिये इतना ब्योरा तो नहीं है लेकिन जो मालूम है वह यह है कि—१२४ में से ११ तो बलवे में चालान हुये, ८—३२४/३२५ में, १५ सेंध लगाने में, १६ चोरी में, ३५-१०९/११० में, २३—१०७/११७ तथा १२ फुटकर धाराओं में चालान हुये।

थाना मेंहदावल जिला बस्ती में चोरियां, डकैतियां और हत्यांए

*४८--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना में हदावल बस्ती के क्षेत्र में सन् ५१-५२ और ५२-५३ में अलग अलग कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां और कितनी हत्यायें हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई हैं।

वर्ष			चोरी	डकैती	हत्या
१९५१	..	..	४५	—	२
१९५२	..	..	२६	—	३
१९५३	..	..	२०	१	४

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ तथा १९५२ से ५३ में अधिक हत्यायें हुईं इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मैं ठीक कहीं बतला सकता कि क्यों अधिक हुईं।

श्री राजाराम शर्मा--जो चार हत्यायें हुई उसमें से कितनी खेतों के झगड़े से सम्बन्धित हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इतना मैं अभी कह सकता हूं कि इन चारों मामलों में जिन लोगों ने हत्यायें की थीं वे गिरफ्तार हुये थे और उनपर मुकदमे चल रहे हैं और ज्यादा ब्योरा मेरे पास इस समय नहीं है।

मेंहदावल (बस्ती) के कछार में जनहित एवं कृषि रक्षा के लिए पुलिस चौकी

*४९--श्री राजाराम शर्मा--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि फसल की रक्षा के लिये थाना मेंहदावल (बस्ती) के कछार साल की तरह इस साल भी पुलिस की चौकी बनाई गई है ? यदि नहीं कायम की गई, तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गत वर्ष इस क्षेत्र में फसल की रक्षा के लिये कोई पुलिस चौकी नहीं बनाई गई थी वरन् कुछ सिपाही इस कार्य के लिये तैनात कर दिये गये थे। इस वर्ष भी वही व्यवस्था कायम रही।

श्री राजाराम शर्मा--जनहित और कृषि रक्षा के हितार्थ क्या सरकार वहां पुलिस चौकी कायम करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर उस व्यवस्था के बिना ही काम चल जाय तो फिर खर्चा बढाने की क्या जरूरत है। पारसाल भी वहां बिना चौकी के काम चल गया और इस साल भी चल रहा है।

थाना ईसा नगर जिला खीरी का भवन और थाना कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*५०--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना ईसानगर जिला खीरी का भवन बहुत बुरी दशा में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*५१--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार थाने का निरीक्षण करवाने के पश्चात् थाना कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

*५२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट जिला अधिकारियों से प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस थाने में कर्मचारियों के क्वार्टर्स कब तक बन जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं आशा करता हूं कि जो कुछ थोड़ी सी चीजें जिनकी स्थानीय अधिकारियों को बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, वह अगर १८-२० हजार रुपये में तैयार हो जाय तो वह इस साल के भीतर बन जायेंगे ।

* * *

गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की योजना

*५४--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री यमुना सिंह--क्या यह सही है कि बिरनो थाने की इमारत खपरैल की बनी हुई है और बन्दरों के द्वारा उसे उजाड़ देने से कर्मचारियों को वर्षा ऋतु में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, बात बिल्कुल सही है । इस साल बजट में १,१०४ रुपया रख दिया गया है जिससे उसकी मरम्मत हो जायगी । उम्मीद है कि इतने में काम चल जायगा ।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि उस थाने का ३/४ हिस्सा तक ध्वस्त हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक इसी रूप में तो नहीं मालूम है लेकिन जब आप कहते हैं तो बात बिल्कुल सही होगी ।

नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या

*५५--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान पाकिस्तान से परमानेंटली सेटिल होने के लिए आये हैं और कितने आने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में २५,०९८ मुसलमान मई, १९५० से अभी तक स्थायी रूप से बसने के लिये आये हैं । प्रदेश की सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भविष्य में और मुसलमान स्थायी रूप से बसने के लिये पाकिस्तान से इस प्रान्त में आने वाले हैं ।

*५६--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद कितने मुसलमान उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में सेटिल होने के लिये गये हैं और कितने जाने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के पास उन मुसलमानों कि सही संख्या जो इस पैक्ट के बाद स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसने चले गये हैं उपलब्ध नहीं है। हमारी सूचना के अनुसार लगभग ३१,००० मुसलमानों ने इस बीच में अपने पुराने निवास स्थानों को छोड़ा। इनमें से कितने पाकिस्तान गये और कितने अपने शहरों को छोड़ कर और शहरों या प्रान्तों में बस गये इसका ठीक से पता चलाना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अब कोई मुसलमान इस प्रान्त से पाकिस्तान बसने के लिये जाने वाले हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५० के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में बसने के लिये आये हैं उनको बसाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नेहरू-लियाकत जो पैक्ट था उसमें कहा गया था कि वह लोग जो लौटकर वापस आ जायेंगे उनके मकान और उनकी जायदाद उनको वापस मिल जायगी। उसी के लिहाज से उनको अपने घर और मकान वापस मिल गये होंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पार्टीशन में जिन लोगों ने कोआप्ट किया था पाकिस्तान के लिये उनमें से कितने लोग वापस आये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नेहरू-लियाकत पैक्ट में इतनी बात और थी कि पहली फरवरी और ३१ मई, १९५० ई० के बीच में जो लोग चले गये थे वह अगर परमानेंटली बसने के लिये वापस आना चाहें तो आ सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन मुसलमानों की सम्पत्ति इवैकुई प्रापर्टी घोषित कर देने के बाद भी उन्हें वापस दे दी जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो दे दी गई होगी क्योंकि वह तो सन् ५० की बात है और आज सन् ५४ है। जो लोग आये होंगे उनमें से अधिकांश लोगों को वापस हो गई होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग बसने के लिये आये हैं वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे या बाहर के थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शर्त यह थी कि जो लोग उत्तर प्रदेश से गये थे वही लोग बसने पायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग यहां सेटिल होने के लिये आये हैं उनको सरकार ने क्या सहूलियतें दी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बस यही सहूलियतें थीं कि उनकी जो प्रापर्टी है वह वापस लौटा दी जायेगी।

* * *

डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना

*६८—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में झांसी जिले में रामपुरा गांव के समीप झांसी की पुलिस ने डाकुओं के दल को, जिसका नेतृत्व स्वयं मानसिंह कर रहा था, बेतवा की घाटियों में घेर लिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--८ मार्च, सन् १९५४ को झांसी की पुलिस ने डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह को, जिसको मानसिंह का गिरोह कहा जाता है, रामपुरा ग्राम के समीप एक पहाड़ी पर से बेतवा नदी के खंडहरों में जाते हुये देखा। डाकुओं के दल को पूरी तौर से नहीं घेरा जा सका।

*६९--श्री कृष्णचन्द्र आर्य (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि पुलिस डाकुओं के दल को पकड़ने में असमर्थ रही? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। बेतवा नदी कई स्थानों पर उथली और उतराऊ थी। जिस भाग में गिरोह घूम रहा था वह भाग नदी के बड़े-बड़े खंडहरों और घने जगलों से घिरा है। गिरोह तुरन्त ही उन घने जगलों में घुस गया और रात्रि होने के कारण उसका पीछा नहीं किया जा सका।

*७०--श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री डाकुओं के दल की संख्या तथा उनके शस्त्रों आदि के सम्बन्ध में तथा पुलिस की संख्या के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह पता नहीं कि डाकुओं के गिरोह में कितने आदमी थे परन्तु अनुमान है कि १४ और १८ के बीच थे? उनके शस्त्रों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पुलिस की कुल संख्या ७ प्रांविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी सेक्शन और ६ सशस्त्र गार्ड थी।

देवरिया लाक-अप में कैदियों की जगह

*७३--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया लाक-अप (Lock-up) में कितने कैदियों की रहने की जगह है और कितने कैदी इस समय हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--देवरिया लाक-अप में ७६ कैदियों के लिये जगह है। तारीख २३-४-१९५४ को वहां १५२ कैदी थे।

मौजा डीह, जिला राय बरेली में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु

*७४--श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जो डाका १४ और १५ दिसम्बर, सन् १९५३ की बीच की रात में मौजा डीह, जिला रायबरेली में पड़ा उसमें एक आदमी जान से मार डाला गया?

*७५--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले में अब तक स्थानीय पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--डाका तो कोई नहीं पड़ा किन्तु दफा ४६०/३०२ आई० पी० सी० का एक मामला अवश्य हुआ जिसमें एक व्यक्ति जान से मार डाला गया। मामले की जांच अभी जारी है।

अतारांकित प्रश्न

जिला बरेली में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लाइसेंस

१--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर की दरख्वास्तें सन् १९५३ में कितनी आईं और कितने लाइसेंस दिये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में देखिये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४० पर)

प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मचारियों की संख्या

२---श्री रामअधार तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में प्रत्येक थाने की sanctioned strength कितने पुलिस के कर्मचारियों की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ब्योरा साथ की तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

३---श्री रामअधार तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५३ से जनवरी सन् १९५४ तक प्रतिमास प्रत्येक थाने पर कितने पुलिस कर्मचारी रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रकार का ब्योरा देना जनहित में ठीक न होगा।

[७ मई, १९५४ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जेल में सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या

*१---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सजायाफ्ता और Under trial कुल कितने कैदी जौनपुर जेल में हैं और उनमें कितनी संख्या पिछड़ी तथा हरिजन जाति की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस जेल में ३१ मार्च, १९५४ को १२७ सजायाफ्ता और १०२ विचाराधीन बन्दी थे। पिछड़ी तथा हरिजन जाति के बन्दियों की संख्या ५५ थी।

*२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् ५३ ई० से नवम्बर सन् ५३ तक कितने कैदी जौनपुर जेल से भाग गये और उसमें से कितने पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मार्च से नवम्बर, १९५३ तक जिला जेल जौनपुर से दो कैदी भागे थे। इनमें से एक कैदी पकड़ा गया और फिर जेल में लाया गया।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जौनपुर जेल से यह जो २ कैदी भागे थे, किसकी लापरवाही से भागे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट अभी आयी नहीं है।

शिक्षा पुनः संगठन योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार

*३---श्री झारखंडे राय---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा पुनःसंगठन योजना के मातहत कितने प्राइमरी स्कूल तोड़े जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इस विषय में सरकार ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाले हैं। जिला परिषद् स्वयं विचार करेगी।

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार जो अध्यापक बेकार होंगे उन्हें काम पर लगाने की कौन सी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार का ऐसा विचार है कि प्राइमरी स्कूल्स तोड़े जायं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

नैपाल भेजी गई पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि पी० ए० सी० की जो बटेलियनें अभी हाल में नैपाल भेजी गई थीं उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत जुलाई में नैपाल में भेजी गयी पी० ए० सी० की यूनिटों पर कुल २६,२०४–११–० व्यय हुआ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह खर्चा केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को मिलेगा या नैपाल से दिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न आज से काफी पहले हो चुका है और मैं बतला चुका हूं कि रुपया मिल जायगा केन्द्रीय सरकार से। अब केन्द्रीय सरकार अपने पास से देगी या नैपाल सरकार से लेगी, इसका हमको पता नहीं है।

*६–७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८–९—श्री धर्मसिंह—[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—श्री धर्मसिंह—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा जिले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्टें

*११—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५२ से अब तक आगरा जिले में डकैतियों व कत्लों की कितनी रिपोर्टें दर्ज की गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तारीख १–१–१९५२ से तारीख २८–४–१९५४ तक डकैतियों की ४२ तथा कत्लों की ६५ रिपोर्टें दर्ज की गईं।

*१२—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी डकैतियों व कत्लों में पुलिस ने चालान किया और कितने मामलों में तफतीश करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती के ४२ मामलों में से २९ में चालान किया गया, ५ में बाद तफतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा ८ में जांच जारी है।

कत्ल के ६५ मामलों में से ४५ में चालान किया गया, १५ में बाद तफतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा ५ में अभी जांच जारी है।

*१३---श्री पुत्तू लाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि डकैतियों व कत्लों की सूचना देने वाले लोगों के विरुद्ध अधिकतर मामलों में १०७/११७ जा० फौ० के मुकदमें चला दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। परन्तु कभी कभी दलों में आपसी झगड़ों के कारण या झूठी रिपोर्टें करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री पुत्तू लाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन अपराधों के बढ़ने का क्या कारण है और सरकार उनको रोकने के लिये क्या कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपराध बढ़ने का ठीक कारण बता सकना तो बड़ा मुश्किल है। रोकथाम की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है। जो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि रिपोर्ट पूरी-पूरी लिखी जाय, उसकी वजह से भी संख्या कुछ बढ़ी हुई मालूम होती है।

श्री पुत्तू लाल---क्या सरकार यह बतलायेगी कि झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की जगह पर १८२ के मुकदमें क्यों नहीं चलाये जाते?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१८२ के मुकदमें भी चलाये जाते हैं और १०७/११७ से यह होता है कि लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं और फसाद रुक जाता है।

*१४---श्री बाबू नन्दन---[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का आदेश

*१५---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् १९५२-५३ के बजट में फैजाबाद के किन-किन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सरकार ने प्रति स्कूल ५०० रुपये की सहायता दी है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---

(१) जूनियर हाई स्कूल, देवीपुर।
(२) आर० डी० जू० हा० स्कूल, सुचितगंज, सोहावल।
(३) जूनियर हाई स्कूल, बसखेरी।

*१६---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध का आदेश कब हुआ?

डाक्टर सीताराम---उपर्युक्त दो पाठशालाओं को १९४८-४९ से तथा तीसरी पाठशाला को १९५१-५२ से यह आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है।

पिहानी (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता

*१७---श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिहानी, जिला हरदोई में सन् १९५० से म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं उसके निमित्त सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को कितना ग्रान्ट देती है?

डाक्टर सीताराम---कुछ भी नहीं।

*१८--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त स्कूलों में अब तक म्युनिसिपल बोर्ड पिहानी का लगभग ४० हजार रुपया व्यय हो चुका है और वहां के स्टाफ को चार चार माह तक वेतन नहीं मिल पाता है ?

डाक्टर सीताराम--सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

*१९--श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि--क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड, पिहानी को इस घाटे की पूर्ति के निमित्त शीघ्र ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--पूरी सूचना मंगाई जा रही है, उसके आने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, पिहानी ने इस विषय में शिक्षा विभाग से कुछ लिखा-पढ़ी की है ।

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष ने एक रेप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास भेजा है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जांच का तो उनमें कोई प्रश्न नहीं है । सवाल यह है कि आया पिहानी म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिये कोई अनुदान दिया जाय या नहीं ।

प्रदेशीय मालखानों में प्रोहिबिटेड बोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा

*२०--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन बोर के हथियार प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में आते हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार के आदेश से ही प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--निम्नलिखित बोर के अस्त्र प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में आते हैं :--

(क) ३०३ बोर के रायफल ४१० बोर से मस्केट तथा इस किस्म के शस्त्रों के हिस्से तथा इनमें लगने वाले पुर्जे,

(ख) ऐसी रायफलें, जिनमें ३०३ बोर के रायफल के कुछ खास हिस्से लग कर इस्तेमाल होती हैं,

(ग) ४४१ से ४५५ तक किसी भी बोर के बोर के पिस्तौल या रिवाल्वर या ३८ बोर या ९ मि० मी० "कैलिबर" के पिस्तौल । रिवाल्वर तथा इन शस्त्रों के हिस्से व पुर्जे ।

यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार के आदेश से लगाये गये हैं ।

*२१--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय मालखानों में प्रोहिबिटेड बोर के कितने हथियार अब तक जमा हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--८०५ ।

हाथरस नगर में पैविलियन के लिए नगरपालिका को ग्रांट

*२२--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, हाथरस को एक पैवीलियन बनाने के लिये १९४९-५० में कितनी ग्रान्ट दी गई थी और वह पैविलियन नगर हाथरस में कहां बनाया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, इसके लिए रुपया नहीं दिया गया था। प्रश्न नहीं उठता।

देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी

*२३--श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर के आखरी हफ्ते में देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चली थी, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दफा ३०७ ताजीरात हिन्द में हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक रिपोर्ट धारा ३०७ के अन्तर्गत २९ दिसम्बर सन् १९५३ को रग्घा उर्फ रघुवीर सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि डालचन्द उर्फ डल्ला ने उसके ऊपर दो बार गोली चलाई।

*२४--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में उन लोगों को नहीं पकड़ा जिनके नाम रिपोर्ट में थे, परन्तु रिपोर्ट करने वालों को पकड़ कर जेल भेजा गया था ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही इस मामले में हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना रिपोर्ट (F. I. R.) के नामों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग फरार हैं। फरार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ८७-८८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। दोनों पार्टियों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, क्योंकि उनके आपसी सम्बन्ध खराब हो रहे थे और शान्ति भंग होने की आशंका थी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल

*२५--श्री त्रिलोक प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल विधान सभा के सम्मुख कब रखने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आशा की जाती है कि बिल विधान सभा के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिए यात्रा और उस पर व्यय

*२६--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या यह सच है कि लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों का अध्ययन करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है तथा इसमें कितना खर्च होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी हाल में जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने गए थे।

इस यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना तथा उनको कैदियों के सुधार सम्बन्धी संस्थाओं की कार्य प्रणाली समझने में सहायता देना है।

इस यात्रा पर कुल ३४२३ रु० और ६ पाई खर्च हुआ था जिसमें से इस सरकार ने केवल १,११४ रु० ६ आने ३ पाई खर्च किया था और शेष २३०८ रु० १० आने ३ पाई अन्य प्रदेशों की सरकारों ने जिनके विद्यार्थी स्कूल में शिक्षण प्राप्त करने आये थे ।

*२७-२८---श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)---[३ जून, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

*२९---श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ तथा १९५३ में कितने व्यक्तियों को प्रतापगढ़ जिले में रिवाल्वर दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- सन् १९५२ में ३ तथा सन् १९५३ में ५ व्यक्तियों को रिवाल्वर लायसेंस दिये गये।

*३०-३१---श्री देवकीनन्दन विभव---[१९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६२-६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न दुष्परिणामों की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था

*३२---श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि १९४९ में एक जांच समिति गन्ना फैक्ट्रियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के सम्बन्ध में बनाई गई थी? यदि हां, तो इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जी हां। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब भेजी है जो सरकार के विचाराधीन है।

*३३---श्री श्रीचन्द---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस दुर्गन्धित तथा विषैले पानी को साफ करने के लिये एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट किन-किन गन्ना फैक्टरियों में लगाये जा चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- शासन ने अभी इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है और उसके पास इस विषय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

नगरपालिका मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी आदेश

*३४---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका, मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर की जगह ११ अगस्त, १९५३ से अब तक खाली पड़ी हुई है?

श्री हर गोविन्द सिंह--३ अगस्त, १९५३ से नहीं बल्कि ३ दिसम्बर, १९५३ से खाली हैं।

*३५--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सहायक हाजिरी अफसर, नगरपालिका, मेरठ के रिक्त स्थान को भरने के लिये सरकारी आदेश सं० ८६२६/१५--७४४६-५३, १५ अक्टूबर, ५३ जारी हुआ था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह राजाज्ञा सहायक हाजिरी आफिसर के पद को भरने के लिये नहीं जारी हुई थी बल्कि यह इसके द्वारा श्री नजीरउद्दीन फैजी को ट्रेनिंग की योग्यता के बंधन से मुक्त किया गया था।

*३६--श्री सुल्तान आलम खां--क्या यह सत्य है कि अब तक इस सरकारी आदेश का पालन नहीं हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

*३७-३८--श्री गंगाधर मैठाणी--[४ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन-क्रम में अन्तर

*३९--श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुप्तचर पुलिस इंस्पेटरों और सिविल पुलिस सब-इन्पेक्टरों (थानेदारों) के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गुप्तचर पुलिस इंस्पेक्टरों का वेतन क्रम रु० २००-१०-२५०-प्र० अ०-१५-४०० है और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों (थानेदारों) का वेतन-क्रम रु० १२०-६-१८०-प्र० अ०-१०--२०० है।

*४०--श्री बलदेव सिंह--क्या थाने के इंचार्ज सब-इन्सपेक्टरों को घोड़ा रखना आवश्यक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये जुआड़ी

*४१--श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष दिवाली के अवसर पर जिला हमीरपुर में कितने जुए किन-किन ग्रामों में पकड़े गये और उनमें कितने आदमियों ने सजा पाई और कितने छूट गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४२ पर।)

फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गत वर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां

*४२--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि थाना कायमगंज और कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद में पिछले एक वर्ष में कितने कत्ल, कितनी डकैती, कितनी राहजनी तथा कितनी चोरियां हुईं और उनमें से कितने में मुकदमें चले और कितने मुकदमों में सजा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में कटौती

*४३--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में इस वर्ष कुछ कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत कटौती की गई और क्यों की गई?

श्री हरगोविन्द पिंहु--जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां और उनकी रिपोर्ट

*४४--श्री लक्ष्मण राव कछवाह (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में फरवरी और मार्च में चोरियों की कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चोरियों की कुल १६ रिपोर्ट दर्ज हुईं।

*४५--श्री लक्ष्मण राव कछवाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समय में जो चोरियां हुई हैं उनमें कितनी पकड़ी गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९ चोरियां पकड़ी गयीं।

*४६--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)--[१४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

*४७-४९--श्री शौर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५२--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

सुभाषनगर से संबंधित कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन से हिस्ट्रीशीटरों के रजिस्टर का गायब होना

*५३--श्री चिमरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार को विदित है कि मुहल्ला सुभाषनगर (अहितयाबाद) से संबंधित कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन का रजिस्टर नं० ८ जिसमें हिस्ट्रीशीटर्स नामांकित रहते हैं, गायब हो गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ।

सरकार का ग्रामों के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार

*५४--श्री मङ्गीलाल गुरुदेव--क्या सरकार ग्रामों में मुखियों के पद को तोड़े जाने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है।

*५५--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला मुरादाबाद में चार वर्षों से अधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर

*५६—श्री ख्याली राम (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद पुलिस में कौन सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर ऐसे हैं जिन्हें जिले में चार वर्ष से अधिक समय हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुरादाबाद जिले में ऐसा कोई इन्सपेक्टर नहीं है। परन्तु १४ सब-इन्सपेक्टरों को मुरादाबाद जिले में ४ वर्ष से अधिक समय हो गया है। इनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४४ पर।)

*५७—श्री ख्याली राम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे नियम बना रक्खे हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी जिले में ३ वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*५८-५९—श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१—श्री सच्चिदानन्द साह त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में ग्राम समितियां और उनका डाकुओं से मुकाबिला

*६२—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में थानेवार कितने गांव हैं और उनमें से कितनों में ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी हैं ? क्या किसी ग्राम रक्षा कमेटी ने कहीं डाकुओं का मुकाबला भी किया अथवा और कोई उल्लेखनीय कार्य किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एटा जिले के समस्त ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी हैं। मांगी हुई सूचना संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४४५ पर।)

चन्दौसी (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्याएं

*६३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि फरवरी मास में चन्दौसी जिला मुरादाबाद में दिन के दो बजे के लगभग थाने के निकट ही तीन हत्यायें की गई हैं। यदि हां, तो अब तक पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने में क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस संबन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो अभी फरार हैं। उनको भी पकड़ने का पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है।

*६४—श्री महीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना से पूर्व दिन में ही एक स्त्री की हत्या चन्दौसी नगर में हुई थी ? उसके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हो रही है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। हत्यारों का पता लग गया है और उनको गिरफ्तार करन की कोशिश की जा रही है।

राजकीय इंटर कालेज, रामपुर में कक्षा ११वीं में कामर्स की शिक्षा

*६५--श्री फ़जलुलहक (जिला रामपुर)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालिज, रामपुर में कक्षा ११ में कामर्स की शिक्षा कब से हो रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह--२७ अगस्त, १९५१ से।

जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन और ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस

*६६--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*६७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो किन-किन थानों पर और किन-किन ग्रामों में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जौनपुर जिले के समस्त थानों के सब ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां बन गई हैं। कुछ छोटे ग्रामों को निकटवर्ती बड़े ग्रामों में मिला दिया गया है।

*६८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या ग्राम-रक्षकों को बन्दूक का लाइसेंस दिया जाने वाला है? यदि हां, तो किस शर्त पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम रक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को बन्दूक के लाइसेंस दिये जाते हैं यदि वे उसके लिये योग्य हों।

*६९--श्री राम चन्द्र विकल--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७०-७१--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

१९४९ के मध्य में अस्थायी रूप से नियुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स की संख्या और उनका स्थायीकरण

*७२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई और अगस्त, १९४९ ई० में शिक्षा विभाग में जो सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे उनकी संख्या कितनी है और सरकार उनको स्थायी बनाने का निर्णय कब करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--जुलाई, १९४९ में कुल ८५ विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, जिनमें से कुछ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, कुछ लोक सेवा परिषद् द्वारा सहायक अध्यापक तथा विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक के लिये चुन लिये गये हैं और अब इनमें से केवल आठ शेष बचे हैं जिनके स्थायीकरण के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब विभाग में स्थायी पद रिक्त होंगे।

१९४७ में हाथरस में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका व्यय किया जाना

*७३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९४७ में हाथरस से जो सामूहिक जुरमाना वसूल किया गया था उसकी धनराशि कितनी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४७ के साम्प्रदायिक उपद्रवों के सिलसिले में हाथरस सिटी से ४२,७९३ रु० वसूल किया गया था।

*७४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह धनराशि किस कार्य पर व्यय की गई है ? यदि अभी व्यय नहीं हुई है, तो सरकार उसे किस कार्य पर व्यय करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार द्वारा लगाये गये अन्य जुरमानों की भांति यह जुरमाना भी सरकारी कोष में जमा कर दिया गया। यह बताना कि सरकारी कोष से यह धनराशि किस कार्य में खर्च की गई या की जावेगी, संभव नहीं है।

कारीपाकर (सीतापुर) में डकैती और उस पर कार्यवाही

*७५—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १६-१७ जुलाई, १९५३ की रात को जो डकैती गांव कारीपाकर, थाना महोली, जिला सीतापुर में पड़ी थी, उसकी सर्वप्रथम जांच थाना महोली के किस पुलिस आफिसर ने की थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस डकैती की सर्वप्रथम जांच श्री रामकिशोर सब-इन्सपेक्टर ने की थी।

*७६—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कारीपाकर डकैती के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो व्यक्तियों के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ४१२ के अन्तर्गत मुकदमा अदालत में भेज दिया गया है।

बसन्त कन्या इंटर कालेज, कमक्षा, शहर बनारस का स्थानान्तरण

*७७—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बसन्त कन्या इन्टर कालेज (थ्योसिफिकल कन्या इन्टर कालेज), कमक्षा, शहर बनारस की प्रबन्धक समिति ने कालेज को कमक्षा से राजघाट स्थानान्तरित करने के विषय में सरकार से आज्ञा मांगी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

जिला बलिया में हरिजनों के लिए मकान तथा पीने के पानी के लिए सहायता एवं कुओं का निर्माण

*७८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत दो वर्षों में पृथक-पृथक हरिजनों के लिये मकान तथा पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये कितना रुपया जिला बलिया को दिया गया था और जिला अधिकारियों द्वारा वह रुपया किस प्रकार व्यय किया गया ?

श्री हर गोविन्द सिंह--गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलिया में मकान तथा पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये हरिजनों के लिये स्वीकृत अनुदानों के व्यय का विवरण* उत्तर के साथ नत्थी है।

*७९--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में गत दो वर्षों में कितने हरिजनों ने कुयें बनाने के लिये जिला नियोजन अधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र दिये और कितने कुयें बने?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलिया के नियोजन अधिकारी के पास कुआं बनवाने के लिये २६८ हरिजनों ने आवेदन-पत्र भेजे। ६२ नये कुयें बने और ५३ कुओं की मरम्मत हुई।

उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिए १९५३-५४ में सोशल वर्कर्स को नियुक्ति एवं उन पर व्यय

*८०--श्री बुद्धू लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये कुल कितने सोशल वर्कर्स नियुक्त किये गये और उनको आनरेरियम देने में कितना धन व्यय किया गया?

श्री गुरुगोविन्द सिंह--१९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में ४७ सोशल वर्कर्स नियुक्त किये गये उनको आनरेरियम देने में फरवरी, १९५४ तक लगभग ७,०३० रु० व्यय किया गया।

मऊ थाना (आजमगढ़) में चोरियां और डकैतियां

*८१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ थाना, जिला आजमगढ़ में जनवरी और फरवरी मास सन् १९५४ में कितनी चोरियां और डकैतियां हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुल २६ चोरियां हुयीं। डकैती की एक भी घटना नहीं हुई।

उन्नाव जिले में थानेवार कत्ल और डाके तथा गुंडों, बदमाशों आदि की सूची

*८२--श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १ जनवरी, १९५३ से १५ फरवरी, १९५४ तक उन्नाव जिले में थानेवार कितने डाके पड़े, कितने कत्ल हुये तथा उक्त अपराधों में कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४४६ पर।)

*८३--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार इस समय उक्त जिले के गुन्डों, बदमाशों और समाज विरोधी तत्वों जैसे निषिद्ध मादक द्रव्यों का रोजगार करने वालों एवं जुआ खेलाने वाले लोगों की कोई सूची बना रही है या बनाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी सूचियां समय-समय पर आवश्यकतानुसार बनती ही रहती हैं।

---

*विवरण छापा नहीं गया।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री मदन मोहन उपाध्याय ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये एक पत्र भेजा है। यहां पर उन्होंने सूचना दे दी थी कि वे इस प्रश्न को उठायेंगे। इस पत्र में श्री राजनारायण जी की जो दूसरी गिरफ्तारी हुई उसके सम्बन्ध में और कुछ रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में भी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे सूचना दी उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। इसके पहले कि उसके ऊपर मैं निर्णय दूं मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि क्या यह मामला अदालत के सामने मौजूद है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जो पहले ३२२ के मुकदमें थे उनके लिये ६ तारीख है और जो ११७ के मुकदमें हैं उनके लिये ८ तारीख है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपसे इजाजत मांगी है वह विशेषाधिकारी की अवहेलना हुई है उसको पेश करने की इजाजत मांगी है। उनका कहना यह है कि लीगल मोलेस्टेशन वगैरह हुआ है और उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वह अदालत के सामने है।

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने जो पत्र है वह मौजूद है इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं हैं कि मोलेस्टेशन वगैरा हुआ है। इसमें कई और बातें हैं जिनका फैसला मैं दूंगा। पहले आप जो जानकारी रखते हैं कि यह मामला अदालत के सामने है या नहीं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला अदालत के सामने है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आप कृपा करके बैठ जाइये।

जो मेरे सामने श्री मदन मोहन उपाध्याय जी का पत्र मौजूद है उसमें उन्होंने सिर्फ मोटे शब्दों में 'विशेषाधिकार की अवहेलना' हुई यह कहा है और जो सूचना मैंने सदन को दी थी जिला मैजिस्ट्रेट की सूचना के आधार पर कि किस तरह वह गिरफ्तार हुये, उस सूचना में उपाध्याय जी कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने सदन को धोखा दिया, गलतबयानी की इत्यादि इत्यादि बातें उनके पत्र में दर्ज हैं। मैंने इस सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह जी के प्रश्न उठाने पर यह फैसला दिया था कि रोजमर्रा का शासन का जो कार्य है और विशेषकर फौजदारी का, उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न प्रिविलेज का या काम रोको प्रस्ताव का नहीं उठ सकता है।

इसके बाद भी उन्होंने यह उचित समझा कि यह प्रिविलेज या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठायें। एक और भी अब की बार यह बाकया मालूम हुआ कि यह मामला अदालत के सुपुर्द भी है। इसलिये और भी विशेष कर यह प्रश्न सदन में उठ नहीं सकता है। मैं इस बात की अनुमति श्री उपाध्याय जी को नहीं देता हूं कि वह इसको उपस्थित करें, इस कारण कि वह अदालत के सामने है और इस कारण भी कि रोजमर्रा के इन्तजाम का प्रश्न है। जहां तक झूठ और झूठ सूचना देने का मामला है उसके बारे में गेंदा सिंह जी ने जब मामला उठाया था तब मैंने अपना निर्णय दिया था वही इसके लिये भी लागू रहेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है।

श्री गेंदासिंह---मैं विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से प्रश्न पूंछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---गृह मंत्री जी ने जो सूचना अभी दी है उसके सम्बन्ध में आप पूंछना चाहते हैं?

श्री गेंदा सिंह---जी हां। क्या माननीय गृह मंत्री जी को जानकारी है कि यह मामला चार्जशीट के साथ मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मेरी इत्तिला तो यह है कि तारीख भी तय हो चुकी है। पहले मुकद्दमों की तारीख ९ है और दूसरे मुकदमें की तारीख ८ है।

श्री अध्यक्ष---दूसरे मुकदमे जो ११७ हैं उनमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, तारीख तो हर मुकदमें में पड़ जाती है लेकिन यह किस काम के लिये पड़ी है?

श्री अध्यक्ष---यह विवाद का समय नहीं है। आप विवाद शुरू कर रहे हैं।

लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४४७---४६८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष---अब श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं प्रथम यह बताये देता हूं कि १० मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को मिलेगा, जैसा कि कल निश्चय हुआ था।

श्री राधा मोहन सिंह---जहां तक इस प्रश्न पर विचार करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है और यह तो हमारी सरकार का भी स्पष्ट मत है जिसे गृह मंत्री ने पहले वक्तव्य में साफ कर दिया था कि सदन के या माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न पर वह दृढ़प्रतिज्ञ है कि उसकी रक्षा की जाय। वे भी इसकी उतनी ही कदर चाहते हैं जितनी कि इस सदन का कोई सदस्य चाह सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस केस के ऊपर जब हमको विचार करना है तो एक बात और अपने सामने रखनी पड़ेगी, वह यह है कि हमको किसी भावावेश में नहीं, अपने अधिकारों को बढ़ाने के विचार से नहीं, और कम करने के विचार से भी नहीं, बल्कि हमको तो एक न्यायालय के सदृश्य इस बात पर विचार करना है कि जो आज का कानून है उसके अनुसार हमारे तथा सदन के क्या विशेषाधिकार हैं। तब हम इस पर क्या निर्णय करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाथ बंधे हुये हैं। जो कुछ भी हमारे संविधान

के अनुसार हमको अधिकार मिले हुये हैं वह वही हैं जो हाउस आफ कामंस के पार्लियामेंट के अधिकार हैं। वही पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्यूनिटी जो २६ जनवरी, १९५० को हाउस आफ दि पीपुल के माननीय सदस्यों को प्राप्त हुए वह। हमें भी प्राप्त हुए। वह अधिकार काफी विस्तृत हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो अधिकार प्राप्त हैं वह किसी कदर कम नहीं हैं। इस प्रकार एक स्ट्रोक आफ पेन से, मैं समझता हूं कि काफी बड़े अधिकार हम लोगों को मिल चुके हैं। आज इस सदन के माननीय सदस्यों को जो यहां पर मौजूद हैं, यह देखना है कि हम एक गुलाम मुल्क में रहते थे और एक बंधे हुए विधान के अन्दर काम करते थे, लेकिन सन् ५० के अन्दर जो संविधान मंजूर हुआ उसके अनुसार हमको वही अधिकार प्राप्त हुए, वही प्रिविलेजेज मिले जो संसार के सब से स्वतंत्र पार्लियामेंट के सदस्यों को मिले थे। मैं समझता हूं कि वह काफी विस्तृत हैं, लेकिन आज के अपने संविधान के अनुसार हम उनसे बंधे हुए हैं। हम उन्हें पसन्द करें या नापसन्द करें हमको यह देखना है कि जो कुछ भी हमारे वैधानिक अधिकार हैं उनके अन्दर ही हमको काम करना है।

अब इस प्रश्न पर जब हम आते हैं तो जहां तक इसके वाकयात का सम्बन्ध है, घटनाओं का सम्बन्ध है सब माननीय सदस्यों को ज्ञात है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी छोटी सी स्पीच में और इस कमेटी के प्रतिवेदन में भी यह बातें साफ कर दी हैं और जो कुछ भी संबंधित वाकयात होंगे वह थोड़े से शब्दों में मैं आपके सामने रख दूंगा। प्रश्न यह है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जो ४ तारीख को काशीपुर में अपनी पार्टी के आदेश के अनुसार गन्ना ले जाने वालों की गाड़ियों को रोक रहे थे। वहां के एस० डी० ओ० वहां पहुंचते हैं और उनको बतलाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिये। इसके बाद में वह कार्य जारी रहता है तब एस० डी० ओ० उनको कार में हल्द्वानी ले जाकर छोड़ने का आदेश देते हैं। कमेटी के सामने एस० डी० ओ० को बुलाया गया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर उनके बयान को पढ़ने का कष्ट करें। उसमें दो बातें साफ मालूम होती हैं। एक यह कि उनकी अरेस्ट करने की मंशा कभी नहीं थी दूसरे यह कि वहां आकर उन्होंने यह देखा कि गन्ना ले जाने वाले लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, उनका गन्ना रुका हुआ था। वह लोग चाहते थे कि हम गन्ना जरूर ले जायं और यह अंदेशा था कि ब्रीच आफ पीस होगा। एस० डी० ओ० का कहना है कि वे लोग कह रहे थे (आप लोग हट जाइये, हम गन्ना लेकर जायंगे)। और हम देखेंगे कि क्या होगा। ऐसी सूरत में अगर एस० डी० ओ० वहां से हट जाते हैं और लोगों को मौका देते हैं कि कोई गन्ना रोके और कोई गन्ना ले जाये तो वह एक ब्रीच आफ पीस अवश्य हो जाता, अतएव माननीय नारायण दत्त जी की सुरक्षा का भी प्रश्न था क्योंकि यह तो गवर्नमेंट का परम कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक माननीय सदस्य की रक्षा का भी प्रबन्ध करे। ऐसी सूरत में जो कुछ कार्यवाही की गयी उसका मतलब केवल यही नहीं था कि गन्ना शांतिपूर्वक मिल के अन्दर जाय बल्कि यह भी मतलब था कि नारायण दत्त जी के जीवन की रक्षा की जाय। उनकी रक्षा का भी प्रश्न था। इसलिए एस० डी० एम० ने एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर (Preventive Measure) अख्तियार किया। सुरक्षा का रास्ता अपनाये। जो आज्ञा माननीय सदस्य को दी गयी उसमें कहीं भी शब्द "अरेस्ट" नहीं लिखा है। उन्होंने यह समझा कि जिस तरह से कार्यवाही चल रही है उससे ब्रीच आफ पीस (शांति भंग) की पूर्ण आशंका है और इसके लिए यानी सुरक्षा के विचार से यह जरूरी समझा कि नारायण दत जी तिवारी वहां से तत्काल हटा दिये जायं। अतएव जो आज्ञा मैजिस्ट्रेट ने दी वह केवल मात्र सुरक्षा के खयाल से दी अरेस्ट या कनफाइनमेंट नहीं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा असंगत से हो रहे हैं क्योंकि वह प्रतिवेदन को स्वीकार करने को प्रस्ताव में कह रहे हैं और उसमें अरेस्ट को मान लिया गया है। लेकिन वह बार-बार भाषण में कह रहे हैं कि अरेस्ट करने का मंशा नहीं था।

श्री राधामोहन सिंह--जहां तक कमेटी का सवाल है अरेस्ट तो हमने मान ही लिया है कि अरेस्ट हुआ लेकिन सवाल तो अरेस्ट के किस्म का है। उस समय उक्त परिस्थिति में जो अरेस्ट हुआ वह किस किस्म का था? किस मंशा से था? कनफाइनमेंट की मंशा थी या नहीं? एक आदमी, जो कुएं में गिरने जा रहा हो उसको हम रोक लें, पकड़ लें तो उसको केवल रोकना ही अरेस्ट हो जाता है? लेकिन परिस्थिति और पकड़ने की मंशा सामने रखने पर बड़ा अंतर पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--प्वाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि जहां तक अरेस्ट का सम्बंध है यह तो रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कमेटी की यह राय थी कि अरेस्ट हुआ। अब उसमें माननीय वक्ता की राय यह न रही हो, यह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो उसके ऊपर उनको रोक दिया। इसलिए इसमें अब कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल बाकी नहीं रहा।

श्री राधामोहन सिंह--जहां तक प्रश्न कमेटी का है हमने तो मान लिया है कि अरेस्ट हुआ। लेकिन अरेस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको कैसे भुला जाय? कोई आदमी कुएं में कूद रहा है, उसको हमने पकड़ लिया तो वह अरेस्ट हो गया? इसी तरह से नारायण दत्त जी कानून तोड़ने पर तुले हुए थे, शांति रक्षा का एक ही रास्ता था। अतएव उनको वहां से हटा दिया गया था। तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, दोनों में बड़ा अंतर है। अतएव हमें तो यह देखना है कि उनका क्या मंशा था। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पन्ना ८०-८१ पर इस सम्बन्ध में एक रूलिंग दी हुयी है। उस रूलिंग में यह साफ है कि जहां तक अरेस्ट की बात है, उसकी मंशा अगर यह हो कि वह कनफाइन कर दिया जाय तब तो श्रीमान् अध्यक्ष महोदय को इत्तिला देना लाजिमी होता है लेकिन जैसा इस केस में जब उन्होंने उनको अरेस्ट किया तो उनकी यह मंशा कभी नहीं थी कि कनफाइन किया जाय बल्कि यह मंशा थी कि उनको हल्द्वानी ले जाकर छोड़ देंगे। उनकी आज्ञा में भी दर्ज है।

एक ऐसा ही केस ब्रीच आफ प्रिविलेज का ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने आया था। उसमें यह था कि कनविक्शन हुआ लेकिन जमानत बेल की दरख्वास्त पड़ गयी और यह हुआ कि मंजूर कर ली जाय लेकिन बेल की कार्यवाही करने में ५ घंटे लग गये और उस ५ घंटे तक वह कंफाइनमेंट में रहे, बाहर नहीं जा सके जब तक कि बेल नहीं मंजूर हुयी। हाउस आफ कामन्स की प्रिविलेज कमेटी में इस केस के सम्बन्ध में जब प्रश्न वहां पर आया तो इस पर यह रूलिंग हुई कि इस केस में इत्तिला देना लाजिमी नहीं था। इसकी वजह यह बतायी गयी कि जब कनविक्शन हुआ तो यह मंशा नहीं था कि कनफाइनमेंट में रखें, तुरन्त बेल स्वीकार कर लिया गया। अब बेल के मंजूर होने में चाहे ५ घंटे लग गये या चाहे ज्यादा समय लग जाता। जब निर्णय छोड़ने का हो जाय तो इसकी इत्तिला देने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही इस केस में भी है कि जब मैजिस्ट्रेट ने नारायण दत्त जी को गिरफ्तार किया तो उसके साथ ही छोड़ने का विचार था। उसमें उतना ही वक्त लगा जितने में कि वह काशीपुर से हल्द्वानी पहुंचे ठीक उसी तरह जिस तरह कि बेल के मंजूर करने में ५ घंटे लग गये वैसे ही उनको काशीपुर से हल्द्वानी लाने में ५ घंटे लग गए जो कि लाजिमी था। उसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उनको अरेस्ट करके कनफाइनमेंट में रखा जाय। तो यह जो हाउस आफ कामंस का केस है वह बिलकुल इसी तरह का है। कुछ माननीय सदस्यों ने असहमति की टिप्पणियां दी हैं।

जहां तक प्रश्न नारायण दत्त जी के अरेस्ट का है वह तो हम मान लेते हैं। केवल प्रश्न इतना ही है कि सदन को इसकी इत्तिला मिलना चाहिये थी या नहीं।

अब सदन के सामने जब यह प्रश्न आता है तो यह हाउस आफ कामंस का जो केस है वह हमारे इस केस से बिलकुल मेल खाता है। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हम कोई ऐसी Precedent (परिपाटी) न कायम करें जिससे हमें आगे चल कर दिक्कत हो। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि इस प्रश्न में हमारा अधिकार कुछ कम हो रहा है। लेकिन यहां पर हम लोगों के सामने यह प्रश्न बिलकुल नहीं है। जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का इतिहास देखते हैं तो मालूम होता है कि जब तक पार्लियामेंट के मेम्बरों और गवर्नमेंट से लड़ाई थी तब तक पार्लियामेंट के मेम्बरों के प्रिविलेज बहुत अधिक थे। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट का गवर्नमेंट पर कब्जा होता गया, एक्जीक्यूटिव पूरी तरह पार्लियामेंट के समक्ष जिम्मेदार हो गयी तो पार्लियामेंट के सामने सवाल आया कि हमारे अधिकार सीमित होने चाहिये। यदि आप १९५० तक देखेंगे तो वह अधिकार इतने कम हो गये हैं कि क्रिमिनल केसेज में जहां तक अरेस्ट और डिटेंशन का सवाल है उसमें कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया। यहां पर केवल विशेषाधिकार यह रह गया कि स्पीकर महोदय को इत्तला मिलनी चाहिये। अगर इत्तिला मिल गयी होती तो प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हम लोगों को बहुत शांतिपूर्वक अपने सदन की मर्यादा को देखते हुए और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए देखना है कि हमारी डेमोक्रेसी का काम कैसे चलेगा। पूर्ण जिम्मेदारी तथा गम्भीरता से निर्णय करना है। जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको देखते हुए कमेटी की रिपोर्ट बिलकुल सही है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने असहमति टिप्पणी में लिखा है कि यदि हम इस तरह से निर्णय कर देंगे, तो पुलिस को छूट हो जायगी कि किसी माननीय सदस्य को पांच दिन तक डिटेन किये रहें और फिर छोड़ दें। लेकिन हमें हर केस की मेरिट्स देखकर ही फैसला करना है। अगर ऐसा केस होगा तो हम विचार करेंगे और सजा देंगे। हमको तो अधिकार है ही। हमको तो एक न्यायालय की तरह जो वाकयात हमारे सामने हैं उन पर फैसला करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों का न विचार करते हुए हमें जो मौजूदा प्रश्न है उस पर विचार करना है और कमेटी के प्रतिवेदन को मंजूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--यहां पर दो प्रस्ताव और हैं। जो और प्रस्ताव आये हैं उनको मैं संशोधन के रूप में लूंगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जैसा कि आपने कहा अपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश करता हूं कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित अपवादों के साथ स्वीकार किया जाय।

"सदन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से असहमति प्रकट करते हुए माननीय नारायण दत्त तिवारी को ४ फरवरी, १९५४ की गिरफ्तारी की सूचना न देने के सम्बन्ध में काशीपुर (नैनीताल) के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है और निश्चय करता है कि उन्हें विधान सभा की नियमावली के नियम ६३ (१) के अनुसार चेतावनी दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करते समय मैं सबसे पहले इस सदन के माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपके जरिये कि हमें थोड़ी देर के लिए यह भूल जाना चाहिये कि सदन में हम लोग जितने भी इधर या उधर बैठे हुए हैं, वह किसी पोलिटिकल पार्टी के हैं। आज हमारे सामने इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इस सदन की प्रिविलेजेज का प्रश्न है और वह अधिकार जो अधिकार हाउस आफ कामंस ने बहुत वर्षों

[श्री मदन मोहन उपध्याय]

को लड़ाई के बाद हासिल किया, जिसे कायम रखा, अगर आज उसी प्रिविलेज को हम इस सदन के माननीय सदस्य कायम न रख सकेंगे तो इतिहासकार इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा को जिसका भारत की राजनीति में, भारत में, एक प्रतिष्ठा का स्थान है उसे हम खत्म कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं.....

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता था। यह जो नियम ६३ का हवाला माननीय उपाध्याय जी दे रहे हैं इसमें शब्द 'चेतावनी' कहीं नहीं है। इसमें 'भर्त्सना' है, 'कारावास' है लेकिन 'चेतावनी' कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इसमें जो शब्द है 'ऐडमानिशन' उसका अर्थ 'चेतावनी' से ही है। इसमें जो शब्द 'ऐडमानिशन' आया है उससे 'चेतावनी' शब्द थोड़ा कमजोर ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं तो इस सदन के अधिकारों पर लड़ रहा हूं। हमें आज भूल जाना चाहिये कि कौन किस पार्टी का है और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आज इसको पार्टी इश्यू न बनाया जाय और थोड़ी देर के लिये भूल जायं कि माननीय नारायण दत्त जी का प्रश्न है। किसी और मेम्बर का भी प्रश्न यह कल को हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस सिद्धान्त को सब लोग स्वीकार करते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--ऐसे ऐटमास्फियर में सब लोगों को लाना चाहता हूं ताकि सब लोग यह समझ लें कि यह नारायण दत्त जी के अपमान का ही सवाल नहीं है बल्कि हर एक सदस्य के अपमान का सवाल है। हो सकता है कि वह आफिसर एक नया आफिसर हो वह यहां के नियमों को न जानता हो। मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इस बात को दलील देने के प्रिविलेजेज कमेटी के सामने कि गिरफ्तारी हो नहीं हुई बल्कि प्रिविलेजेज कमेटी के सामने क्षमा याचना कर लेते तो अध्यक्ष महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिविलेजेज कमेटी उनको क्षमा कर देती। बड़ी लड़ाइयों के बाद तो हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है और वह यह है कि अगर इस सदन का कोई माननीय सदस्य यहां न आ सका हो तो किन किन कारणों से वह वंचित रह गया है यह अधिकार उन प्रिविलेजेज के अन्दर है। प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की हुई लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट हो तो उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष को नहीं देनी चाहिये। अरेस्ट हुई है, पुलिस कस्टडी में वह ले लिये गये और अगर पुलिस कस्टडी से बाहर आ गये होते तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के ऊपर चार्ज लगाया जाता कि वह पुलिस कस्टडी से भाग गये। तो अध्यक्ष महोदय, जो छोटा सा अधिकार हमें मिला है और श्री टंडन जो वहां के मैजिस्ट्रेट हैं वह यह कहते हैं कि साहब हमने उनको अरेस्ट ही नहीं किया तो यह उस विशेषाधिकार की अवहेलना होती है और इससे और भी कंटेम्प्ट आफ़ दि हाउस होता है।

श्री अध्यक्ष--यहां यह प्रश्न नहीं है कि उन्होंने क्या गवाही दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं यह कह रहा था कि उन्होंने दलील दी कि कोई अरेस्ट ही नहीं हुई और प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी तो माननीय नारायण दत्त जी की हुई है लेकिन यह जो फैसला दिया कि गिरफ्तारी तो जरूर हुई लेकिन कोई सूचना देने की जरूरत न थी क्योंकि वह प्रिवेंटिव अरेस्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं माननीय बालेन्दुशाह और अब्दुल मुईज खां जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस कमेटी की बैठक में इस बात पर विचार नहीं किया कि वह किस पार्टी के मेम्बर हैं। मान-

नीय रामनारायण और गेंदा सिंह जी ने भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से काफी एग्जाम्पिल्स इस सदन के सामने रक्खी हैं। अगर हमें इस हाउस की सुपरमेसी को रखना है और जो माननीय सदस्य इस सदन के हैं उनकी प्रतिष्ठा को रखना है उनको एक्जिक्यूटिव आफिसर के चंगुल से बचाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो रात दिन ऐसे मामले आयेंगे तो अगर इस प्रकार की अरेस्ट को प्रिवेंटिव अरेस्ट कह कर वे लोग प्ली लेने लगें कि हमारे लिये ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो मैं समझता हूं कि हमारे सदन के जो राइट हैं, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा अधिकार हमको मिला हुआ है उस अधिकार की कम से कम रक्षा की जाय और उस अधिकार को दबाया न जाय। यह चीज उधर के बैठे हुये सदस्यों पर भी लागू होती है और सदन के हर एक माननीय सदस्य पर यह लागू हो सकती है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रश्न पर हमें जरा गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है और एक नमूना हमारी इस विधान सभा का ही नहीं बल्कि जो और स्टेट असेम्बलीज हैं उनके सामने रखना है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी क़रीब क़रीब इतने ही मेम्बर हैं और पूर्व के लोग भी हमारी तरफ देखते हैं कि हमारे यहां किस तरह की कन्वेंशन और कार्यवाही होती है और किस तरह का हम फैसला करते हैं उसको बाहर भी देखा जायगा। इस कारण यदि एक आदमी को अरेस्ट किया जाय और फिर यह कहा जाय कि नहीं साहब यह तो प्रिवेन्टिव अरेस्ट थी, कोई क्रिमिनल आफेन्स नहीं था इसलिये माननीय स्पीकर को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं समझी गयी यदि इस प्रकार से कहते हैं तो यह एक भूल है और मैं समझता हूं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होगी। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि उन मैजिस्ट्रेट साहब को कोई बहुत ज्यादा सजा दी जाय। यह माना जा सकता है कि उनसे ग़लती हुई होगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जैसा माननीय बालेन्दु शाह ने कहा है कि "यदि समिति के सामने बग़ैर कोई दोष स्वीकार करके दुख प्रकट करता तो स्वाभाविक और शोभनीय होता। मेरा यह शुबहा है कि वह मैजिस्ट्रेट ऐसा करता यदि उसे राज्य कर्मचारी होने पर अधिक और अनुचित भरोसा न होता और न दिलाया जाता" यह शक हो रहा है। अगर ऐसा शक़ हमारे सामने है तो वह शक नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं शक नहीं करता हूं वह बालेन्दु शाह जी को होगा। मैं यह कहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात की रुकावट नहीं डाली गयी। हमारे इस प्रान्त के जितने एक्जिक्यूटिव आफिसर हैं उनको यह मालूम होना चाहिये कि हमारे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य क्या अपना अधिकार रखते हैं। उनको इस बात की चेतावनी होनी चाहिये और वह तभी हो सकती है कि जब उन मैजिस्ट्रेट साहब को जिन्होंने माननीय नारायण दत्त तिवारी को गिरफ्तार करके इस माननीय सदन के माननीय स्पीकर को कोई सूचना न देकर जो सदन के अधिकारों की अवहेलना की है उनको इस सदन के सामने बुलाया जाय और वह इस सदन के सामने आकर क्षमा याचना करें और माफी मांगें। तब इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं और इस प्रान्त के आफिसर समझ सकते हैं कि यह सही हुआ। तब हम लोगों को इस बात की खुशी होगी कि हमारे इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को इस सदन के सामने रखता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को इस रूप में स्वीकार किया जाय—

"सदन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से असहमति प्रकट करते हुये माननीय नारायण दत्त तिवारी की ४ फरवरी, १९५४ की गिरफ्तारी की सूचना न देने के संबंध में काशीपुर (नैनीताल) के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है। परन्तु चूंकि उन्होंने अज्ञानतावश ऐसा किया इसलिये उन्हें कोई दंड नहीं देना चाहता। परन्तु

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

भविष्य में ऐसी भूल न हो इस कारण सदन स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करता है कि प्रशासकीय अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा जजों का सदन के माननीय सदस्यों को फौजदारी के मामले में गिरफ्तारी निरोधात्मक गिरफ्तारी (Preventive detention or arrest) तथा दंड देने या जेल से मुक्ति के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना देना कर्तव्य है"।

इस संशोधन पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जहां तक इस विषय का संबंध है मेरी यह राय है कि इसको पार्टी का विषय न बनाया जाय। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि यह पार्टी का मामला न बनाया जाय। मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इन दोनों विचारों से सहमति प्रकट करते हुये इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत जटिल है। ऐसी सूरत में हम लोगों के लिये भी कठिनाइयां हैं और नयी उम्र के मैजिस्ट्रेट को भी कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं इस मसले पर माननीय एडवोकेट जनरल की राय को विशेष महत्व देता हूं। उन्होंने कहा है कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट है। डिटेंशन तो नहीं कहा क्योंकि वह कानूनी होता है। लेकिन अगर कोई प्रकार हो सकता है उसके क्रिमिनल चार्ज के अलावा तो वह प्रिवेंटिव अरेस्ट है। मैं माननीय राधामोहन सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड में भी यह व्यवस्था है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी सदन को सूचना देने का नियम है। तो एडवोकेट जनरल के मुताबिक अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट भी है तो भी तो सदन को सूचना देना आवश्यक था।

धारा १४४ के बीच में १८८ आई० पी० सी० के मुताबिक ही सजा दी जा सकती थी। काशीपुर के मैजिस्ट्रेट का आर्डर भी डिफैक्टिव है लेकिन गैर-कानूनी होते हुये भी इस प्रकार का अरेस्ट का एक ट्रेडिशन सा बनता चला जा रहा है। सदन को जान कर खुशी होगी कि मैंने विशेषाधिकार समिति में भी यह कहा था कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट के खिलाफ़ सा है और मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से असहमति प्रकट की थी क्योंकि हम इसे पार्टी का सवाल बनाना नहीं चाहते। विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि साढ़े पांच घंटे की गिरफ्तारी के बाद भी सूचना देना आवश्यक नहीं है। इसी सदन में, माननीय अध्यक्ष, आप ने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष का उद्धरण पेश किया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चाहे डिटेंशन १५ मिनट का ही हो, सदन को सूचना पाने का अधिकार है। यदि आज हम यह फैसला कर देते हैं कि साढ़े पांच या छः घंटे की गिरफ्तारी के लिये सूचना देने की जरूरत नहीं है तो हम अनजाने प्रशासकीय अधिकारियों के हाथ में ऐसा हथियार दे देंगे कि वह माननीय मुख्य मंत्री को या किसी भी माननीय सदस्य को साढ़े पांच घंटे तक बन्द रख सकेंगे और इस नजीर का फ़ायदा उठा कर सूचना भी नहीं देंगे।

विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि वह प्रिजन में नहीं भेजे गये। मैंने अपनी असहमति टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया है कि प्रिजन के माने कोई दीवाल वाले जेलखाने के ही नहीं हैं। कोई प्रशासकीय अधिकारी अगर किसी पब्लिक स्ट्रीट पर किसी को रोक ले तो वह प्रिजन हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने सर्वमान्य डिक्शनरियों का हवाला अपनी असहमति की टिप्पणी में दिया है। एक बात माननीय सदस्यों के दिमाग में आ सकती है कि सदन ने इस समिति को नियुक्त किया और उन्होंने छानबीन के बाद जो फ़ैसला दिया उसे मान लेना चाहिये। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उस समिति के प्रति आदर प्रकट करते हुये, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपने प्रति भी निरादर करूंगा क्योंकि मैं भी उसका मेम्बर हूं, मैं यह कहूंगा कि यदि यह आदरणीय सदन किसी मामले में विशेषाधिकार समिति से सहमत नहीं है तो इस सदन को पूरा अधिकार है कि अभी अपनी असहमति प्रकट करे। मैं इस बात की आशा नहीं करता कि मैजिस्ट्रेट को जानकारी होगी, और उन्हें सजा न दी जाय। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें सजा न दी जाय लेकिन उनको दोषी मान लिया जाय और भविष्य में

ऐसी बातें दुहराई न जायं इसलिये सदन यह घोषणा करता है कि ऐसी परिस्थितियों में सदन को इत्तिला देना इन सरकारी अधिकारियों, जजों और मैजिस्ट्रेटों का कर्तव्य है । मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन सदन के हर माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप होगा क्योंकि इसमें किसी मैजिस्ट्रेट को न तो सजा देने की भावना है और न किसी रागद्वेष की ही कोई भावना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसको एक मत से स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि सभी इस माननीय सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं और किसी पार्टी या द्वेष की भावना से सजा नहीं देना चाहते हैं, केवल सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि इस सदन के सब माननीय सदस्य इस संशोधन को अक्षराक्षर मंजूर कर लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक संशोधन पेश करना चाहता हूं श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष---मैं आप से पूछना चाहता हूं कि "भर्त्सना देता हूं" इसका क्या अर्थ है ?

राजा वीरेन्द्रशाह---"देता हूं" के बजाय "करता हूं" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मेरा मतलब है कि "भर्त्सना" शब्द से आपका क्या तात्पर्य है ?

राजा वीरेन्द्रशाह---धारा ६३ के अनुसार मैंने उसको रक्खा है।

श्री अध्यक्ष---उसका अर्थ आपके विचार में स्पष्ट नहीं है इसलिये आप अपने प्रस्ताव को थोड़ी देर बाद सुधार कर रक्खें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो संशोधन आये हैं। एक श्री राधामोहन सिंह का....

श्री अध्यक्ष---आपका एक अमेंडमेंट मेरे पास आया है। क्या आप उसको पेश करना चाहते हैं ?

श्री नौरंगलाल---एक मेम्बर ने.....

श्री अध्यक्ष---आपने मेरे पास जो संशोधन भेजा है क्या उसकी कापी आप के पास नहीं है ?

श्री नौरंगलाल---वह चार लफ्ज का है इसलिये मैंने उसकी कापी नहीं रक्खी।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके उसकी नकल मेरे पास से ले लीजिये।

श्री नौरंगलाल---मैं उसको पेश करना नहीं चाहता।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संबंध में ज्यादा विवाद और बहस की जरूरत नहीं है। मामला यहां पेश हुआ, विशेषाधिकार समिति में गया और वहां से उसकी रिपोर्ट आयी। इस सदन के सब सदस्यों का यह मत है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर किसी दलबंदी के आधार पर यहां बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिये। जहां तक इस खास वाक़े के हालात का ताल्लुक़ है उनमें कोई मतभेद नहीं है। क्या बात हुई, इसको सब जानते हैं। श्री नारायण दत्त जी, काशीपुर में जो कि गन्ना किसान ला रहे थे, वहां कारखाने में देने से लोगों को रोक रहे थे। वह १४४ के खिलाफ था। वैसे भी कानून के खिलाफ बात थी। पर उनके ऊपर कोई मुक़दमा नहीं किया गया, किसी जुर्म में वे पकड़े नहीं गये। गो कि जुर्म में नहीं पकड़े गये पर वे एक जीप में बिठलाये गये और उनको सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपने बंगले पर ले गये और काफी से उनकी दावत की और उसके बाद उनको मौक़ा दिया कि वे हलद्वानी, जो उनके घर के क़रीब है वहां पहुंच जायं बमुक़ाबले इसके कि वे काशीपुर में अपना वक्त खराब करें। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि श्री नारायण दत्त जी के साथ उनका तमाम जितना भी व्यवहार रहा वह शिष्टता का रहा, सम्मान का रहा, आदर का रहा और प्रेम का भी रहा। इसलिये कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठता नहीं। इसमें भी कोई मतभेद नहीं है कि उनको पकड़ कर जहां हवालात या जेलखाने भेज सकते थे वैसा न करके उनको मकान पर ले गये और उन्होंने उनके साथ रियायत की और उनके साथ काफी मुरौवत की बात की। वैसे वे कहते हैं कि कालेज में उनके साथी रहे लिहाजा इस तरह से वे उनके साथ पेश आये। श्री नारायण दत्त जी ने कोई ब्रीच इस हाउस का किया है या नहीं किया है, यह मैं जानता नहीं हूं कि कोई मेम्बर इस हाउस के कानून की अवहेलना करें तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है या नहीं। लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि अरेस्ट हुआ और प्रोवेंटिव अरेस्ट हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि आया इत्तिला देने की जरूरत थी या नहीं और इत्तिला न देना कोई ब्रीच आफ़ प्रिविलेज है या नहीं। जैसा और मामलों में होता है वैसे इसमें भी है कि जिस शख्स का ब्रीच आफ़ प्रिविलेज के लिये सजा देनी हो उसके खिलाफ जुर्म साबित होना चाहिये। बर्डेन आफ प्रूफ उनके ऊपर है जो यह कहते हैं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ जैसा कि और बातों में होता है। लिहाजा इस क़िस्म का जब ब्रीच आफ प्रिविलेज हो तो उस मामले की इत्तिला देना जरूरी है, पूरी तरह से सही है, या नहीं या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश्ड है, यह बात आती है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में जो कुछ भी हाउस आफ कामंस या हमारे पार्लियामेंट में रवैया रहा है उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी वैसा कोई कानून हमने बनाया नहीं है लेकिन चूंकि वहां यह कानून है कि अगर किसी आदमी को पकड़ कर जेल में भेजा जाय या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तो फौरन् उसकी इत्तिला हाउस आफ कामंस को देनी चाहिये और उसी के आधार पर हम यहां भी यह मानते हैं कि अगर इस तरीके पर कोई बात हो तो उसकी इत्तिला देनी चाहिये। श्री रामनारायण जी ने 'प्रिजनर' का माने यह कहा कि कहीं भी कोई आदमी पकड़ कर रखा जाय तो वह प्रिजनर हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि आया जब श्री नारायण दत्त जी जीप में जा रहे थे तो अगर वह कोई ऐसी चीज करते जो प्रिजन ऐक्ट के मुताबिक जुर्म होता है तो वे मुजरिम हो जाते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं होते क्योंकि वे प्रिजनर नहीं थे। यह जरूर है कि वे गिरफ्तार हुये और उनकी मर्जी से उनको ले जाया गया। हो सकता है कि नीम रजा उनकी रही हो। अब सवाल यह होता है कि ऐसा ब्रीच आफ प्रिविलेज कोई इस्टेब्लिश्ड हो तो कोई केस किसी ने कोट नहीं किया कि इस क़िस्म के मामले ब्रीच आफ प्रिविलेज के समझे गये। अब जब तक कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश्ड न हो तब तक उसके लिये यह कहना कि किसी आदमी ने जुर्म किया है, यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है जो इस जुर्म को आयद करते हैं। इस क़िस्म का कोई केस नहीं बतलाया गया है। इस समय मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और दूसरी जितनी किताबें हैं, उनमें यही है कि कोई 'फार कमिटल टु प्रिजन' अरेस्ट हो तो उसकी इत्तिला देनी चाहिये। इसलिये इस मौक़े पर जो कुछ हुआ वह इन अलफ़ाज के अन्दर नहीं आता लिहाजा उसका मतलब ब्रीच आफ़ प्रिविलेज नहीं था, मगर यह कहा जाय कि उसका मतलब न हो मगर तब भी ऐसा होना चाहिए वह बात दूसरी है।

जहां तक अब तक प्रिविलेजेज का ताल्लुक है, हाउस आफ़ कामन्स के प्रिविलेजेज का ताल्लुक है वहां इस तरह के मामलों में ब्रीच नहीं माना गया है और यह ब्रीच मानने का कोई मामला नहीं है और इस तरह के फ़ैसले भी हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर देर में कोई छोड़ा जाय तो इत्तला की जरूरत नहीं है । इस तरह की बातें हैं लेकिन चूंकि प्रिविलेजेज के बारे में कई तरह के ख्याल हैं और मैं थोड़ा सा हाउस आफ़ कामन्स की रिपोर्ट से पढ़कर सुनाये देता हूं जिसमें प्रिविलेजज के बारे में कुछ सफ़ाई मिलती है । यह एक मामला था जिसमें १९१८ में मिस्टर एडमंड डिवेलरा का, काउन्ट जार्ज एन० प्लन्केट का, मिस्टर डब्लू टी० कास्ग्रेव का व मिस्टर जोजफ़ मेगुनेस का । उनके नामों से भी शायद कई सदस्य वाक़िफ होंगे, यह आयरलैंड के एक मूवमेंट के लीडर थे, यह पकड़े गये और गिरफ्तार किए गये थे और कानून के मुताबिक जेल भेजे गये थे । यह लोग १८ मई को पकड़े गये और उसकी इत्तला हाउस आफ़ कामन्स को पहली जून तक नहीं मिली । वहां सवाल उठा कि फ़ौरन ही इत्तला देना जरूरी है। १८ मई की बात थी, आज पहली जून हो गई, इतने दिन तक नहीं लिखा गया, यह बात गलत है । इस सिलसिले में वहां जो कुछ स्पीकर ने कहा वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस से इसी मामले में नहीं बल्कि प्रिविलेजेज के मामलों में आम तौर पर क्या हालत है उसका एक अच्छा नक़शा सही मानों में सामने आ जाता है । उस समय जो स्पीकर ने कहा था वह भी मैं पढ़ दूं—"This is a question addressed to me. I believe that is only the preliminary stage." तो मेम्बर ने कहा था कि:

"Sir, to satisfy both you and my hon'ble friend, the question I have to put is clear, and it is this :—whether it is not the duty in such cases to intimate atonce, and without delay, that such arrests have been made. May I point out to you, Sir, that the letter states that these arrests were made on the 17th and 18th May, some on one day and some on the other, and it was not until the Ist June, a fortnight later, that the Chief Secretary wrote to you an intimation on the fact of the arrest."

अब रूल यह है कि इम्मीजिएटली इन्टीमेट करना चाहिये लेकिन १२–१३ जून तक इन्टीमेशन नहीं हुआ और जिनके बारे में यह बात थी वह जो पकड़े गये थे वह एक रिनाउन्ड मेम्बर थे और जिनके बारे में दो राय नहीं हो सकती । स्पीकर ने जो कहा उसको भी मैं सदन के सामने रखे देता हूं । मिस्टर स्पीकर ने कहा—

"The Hon,ble Member is aware that there is no statutory injunction upon magistrates, or persons committing Members of the House to inform the House of that act. It is entirely a matter of custom and of courtesy, and I think that, as a rule, it is better that the letter should be written atonce. Letters postponed are sometimes forgotten, and it is better to take action atonce. I have no doubt that if it had been present to the mind of the Chief Secretary, he would have communicated atonce. Better late than never."

इस तरह से यह मामला खत्म हुआ ।

एक सदस्य—आपने यह कहां से पढ़ा है ?

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह हाउस आफ़ कामन्स की चीज है, १९१८ का है, वाल्यूम १०६, १३ मई से १३ जून तक का वाल्यूम यह है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

इससे आप देखेंगे कि प्रिविलेजेज के बारे में जो बात है वह जितने जोर से हम समझते हैं कि इत्तिला न देना एक बड़ा भारी जुर्म है वह ऐसी बात नहीं है और फिर यदि दी भी गई तो १५ दिन के बाद दी गई और उसमें कोई शुबहा नहीं था कि एरेस्ट हुआ, डिटेंशन हुआ, जेल भी भेजे गये थे । टाइम की बात थी मगर उन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं है कि जिससे मैजिस्ट्रेट बाउन्ड है कि ऐसा करे, कस्टम है, कंवेंशन है उसके मुताबिक ऐसा होता है लिहाजा अगर देर हो गई तो ऐसी कोई उज्र की बात नहीं होती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह भी समझ लें कि किसी मामले में उचित होता यदि ऐसा करता मगर यह कहना कि यह एक जुर्म ऐसा किया गया तो हमें इसे समझना है कि क्या ऐसी कोई बात है या नहीं । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इस मामले में जरूर हुआ, वह वहां से उनको ले गये और छोड़ दिया । अगर पकड़ कर जेल में छोड़ दिये जाते तब जितने हाउस आफ कामन्स के रूलिंग हैं उनके मुताबिक कोई बात नहीं होती ।

इसके बाद चार-पांच दिन के बाद फिर नारायण दत्त जी पकड़े गये और मुकदमा भी उन पर चलाया गया । उसकी इत्तिला तो यहां आ गयी । तो इसमें रामनारायण जी ने यह भी कहा कि इसमें कोई बदनीयती नहीं है । अगर कोई बात थी तो बेइल्मी थी । मैं जरा आज बढ़ना चाहता हूं लाइल्मी भी नहीं थी बल्कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई प्रिविलेज डिफाइन्ड नहीं था और जो कुछ था भी उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके लिये यह कहा जाय कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ । इसलिये मैं समझता हूं जो कि रिपोर्ट है और जिसमें उन्होंने यह माना है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ यही सही बात है और इसमें इस मैजिस्ट्रेट ने जो इत्तला नहीं दी कम से कम उसने इसी इत्मीनान से नहीं दिया कि इत्तला देने की जरूरत नहीं । दूसरे में तो फौरन दी जैसे पकड़ा और जेल भेजा और अगर इसने भी पकड़ने और उसके बाद जेल भेजने की बात होती तो इसने भी देता । तो मैं समझता हूं कि यह कहना कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं इस मामले में बहुत गुंजायश नहीं है और काफी कारण इसमें नहीं है । इसके साथ ही बर्डन आफ प्रूफ जैसा मैंने कहा हम पर होता है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ लेकिन वह बर्डन आफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं हुआ । इसलिये यह बात नहीं है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है । लेकिन आइंदा के लिये मैं समझता हूं कि हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम अपने हाउस के प्रिविलेजेज को बढ़ावें । हम उन्हें कम करना नहीं चाहते और मैं समझता हूं कि हम एक्जीक्यूटिव को यह हिदायत यहां से भेजें तो अच्छा हो और मैं समझता हूं कि हमें भेजना चाहिये और इस तरह के एरेस्ट में भी जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का एरेस्ट हो और जब बेल न हो इसमें भी स्पीकर को इत्तिला मिलनी चाहिये और इसको भी उसी कैटिगरी में ट्रीट करना चाहिये जैसे कि औरों में की जाती है । ताकि इसकी सफाई आइन्दा के लिये हो जाना चाहिये । लेकिन जहां तक सभी लोगों के लिये कानून रखने की बात है । पुलिस वाले और मैजिस्ट्रेट जिसको चाहें उसके ऊपर उनको कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है, उनके कानूनी अधिकार में किसी को कोई दस्तन्दाजी नहीं करना चाहिये । मगर कोई इस तरह से गिरफ्तार हो और कोई जमानत में रिहा न हो और वह प्रिवेंटिव डिटेंशन चाहे यह एक जगह से पकड़ कर दूसरी जगह भेजें तो भी उसकी इत्तिला स्पीकर को दे दें यह हिदायत हम भेज देंगे और इससे मैं समझता हूं कि कोई बात आइंदा के लिये दिक्कत की नहीं रहती ।

जहां तक इस मामले का ताल्लुक है मैं समझता हूं विशेषाधिकार समिति की जो राय है वह बिलकुल सही है । गिरफ्तारी हुई, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हुआ, मगर ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ । न तो कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हुआ और न ऐसे प्रिविलेज के लिये कोई ला या प्रैक्टिस ऐसी है जिससे ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हो सके और जहां तक आइंदा की बात है हम इस क़िस्म की हिदायत दे दें जिससे यह प्रिविलेज भी हो जाय चाहे यह प्रिविलेज अब तक न रहा हो और चाहे यह प्रिविलेज और जगहों पर भी न रहा हो । मैं समझता

हूं कि इससे हाउस को कार्यवाही सब ठीक होती है और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में भी उतना ही प्रिविलेज का सवाल आता है अगर आप आसानी से प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को ठुकरा दें। क्योंकि विशेषाधिकार समिति ने सोचा समझा और देखा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी इसलिये अगर आप उसको बिल्कुल न मानें तो भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कोई सजा देने की बात भी नहीं कही है। राम नारायण जी ने भी यही कहा है। मैं लेकिन आइन्दा के लिये प्रिविलेज की सफाई कर देना चाहता हूं ताकि दिक्कतें न हों। इसको जो हालत है और जिस तरीके पर प्रिविलेज के मामले हैं और जगहों में कार्यवाही हुई है, उस हिसाब से यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है लिहाजा हाउस को इसी तरह पर इस मामले को तय कर देना चाहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री राम नारायण जी के संशोधन पर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि राम नारायण जी के संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके इस सदन का यह निश्चित मत है कि संबंधित अधिकारी ने माननीय श्री अध्यक्ष को गिरफ्तारी की सूचना संबंधित नियमों के स्पष्ट न होने के कारण नहीं दी। अतएव सदन श्री बी० एन० टंडन, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, काशीपुर, नैनीताल को दोषी न ठहराते हुये भविष्य के लिये यह स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि प्रशासकीय अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा जजों का सदन के माननीय सदस्यों के फौजदारी के मामलों में गिरफ्तारी, निरोधात्मक गिरफ्तारी के पश्चात् प्रत्येक रिमांड पर तथा दण्ड देने या जेल से मुक्ति के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना देना अनिवार्य कर्त्तव्य है।"

श्री अध्यक्ष---आप, विशेषाधिकार है, यह नहीं कहना चाहते। जब आप उसको विशेषाधिकार नहीं मानते हैं सदन का, तो ऐसी हालत में आप हिदायत कोई नहीं दे सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से हिदायत देंगे, उनको इसका अधिकार है लेकिन इस सदन को विशेषाधिकार न मानते हुये हिदायत देने का क्या अधिकार है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति के सामने केन्द्रीय सरकार का एक सर्कुलर पेश किया गया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि फलां-फलां समय सूचना देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है लेकिन जब तक आप इसे विशेषाधिकार नहीं मानते हैं तब तक मैं इस हिदायत देने वाले प्रस्ताव को अवैध करार दूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं उसे विशेषाधिकार मानता हूं लेकिन यह कहता हूं कि स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो आप 'अस्पष्टता' के लिये सदन की राय लेना चाहते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से यह सुनने को मिला कि माननीय नारायण दत्त जी की गिरफ्तारी का जो प्रश्न है वह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सूचना देना कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सूचना देना एक सुलह है। शुरू शुरू में इंगलैंड की

[श्री गेंदा सिंह]

पार्लियामेंट का विशेषाधिकार इस हद तक था कि कोई माननीय सदस्य किसी फ़ौजदारी के जुर्म में, कत्ल के जुर्म में, डकैती के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें ढिलाई हुई और वह ढिलाई इस हद तक पहुंची कि दोनों में, पार्लियामेंट और अदालतों ने यह समझौता किया कि इस प्रकार विशेषाधिकार के नाम पर कहीं उसका दुरुपयोग हो सकता है इसलिये जहां तक इस तरह के जुर्मों का संबंध है किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करना तो अदालतों का या पुलिस का कर्त्तव्य है। लेकिन उसके बाद उसको न सिर्फ सूचना देना माननीय अध्यक्ष को, बल्कि उसके साथ साथ माननीय सदस्य को किस जुर्म में गिरफ्तार किया उसका क्या कारण है यह बतलाना भी आवश्यक है। यह बात निश्चय है और इस निश्चय के साथ सूचना देने की प्रथा इंगलैंड की पार्लियामेंट में है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल नारायण दत्त जी का नहीं था और न है, यह प्रश्न तो समूचे भवन, समूचे जो सदस्य हैं, उनका है। मैं उनसे विचार करने को कहता हूं और माननीय सदन से भी इस प्रश्न पर विचार करने को कहता हूं कि जो उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन् १९१८ का पेश किया कि माननीय स्पीकर ने यह घोषणा की कि कोई अधिकार हमारा मैजिस्ट्रेट पर सूचना पाने का नहीं है। उस संबंध में मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की हिदायत की चर्चा उन्होंने की है कि ऐसी हिदायत वे दे देंगे। इस प्रकार की अगर हिदायत पहले दी जा चुकी है जिसकी कि पूरी तरह से हम लोगों ने कमेटी में छानबीन की और इस हिदायत के ऊपर इस बात को माना गया कि वह हिदायत ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम पाबन्दी करें। वह हिदायत हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब को थी यू० पी० के। और वह हिदायत आयी हुयी थी पार्लियामेंट से। उन्हीं को हिदायत आयी थी और उसके अनुसार वह हिदायत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, एस० डी० एम० सभी अधिकारियों को भेजी जा चुकी है और भेज करके उसमें यह प्रार्थना की गयी है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का गिरफ्तार हो तो उसकी सूचना दी जाय माननीय अध्यक्ष को और उसका पूरा पूरा कारण बताया जाय। लेकिन हम लोग मजबूर हो गये इसलिये कि उस हिदायत को यह न माने कि केवल हिदायत देने के बाद हम उससे विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। वही बात मैं उनसे फिर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह एक बहुत अजीब हालत हो जायगी कहीं किसी भी पार्लियामेंट में।

मैं अब तक तो यह नहीं समझ पाया था कि सूचना नहीं देनी चाहिये, रीजन नहीं बताना चाहिये। मैं तो रीजन न बताने की बात कहता हूं कि न सिर्फ सूचना देनी चाहिये बल्कि रीजन भी बताना चाहिये कि किस कारण गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमारा विशेषाधिकार है। यदि हमारा कोई विशेषाधिकार है तो न केवल सूचना देना बल्कि कारण बताना कि किस कारण से सदस्य गिरफ्तार किया गया है यह आवश्यक है। मैं दो एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने और माननीय मुख्य मंत्री के सामने खास तौर से कि जिस प्रकार से श्री टंडन ने गुस्ताखाना तरीक़े पर जवाब दिया वह भी मैं समझता हूं कि कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश किया। वे जवाब देते हैं कि उनको गिरफ्तारी का ज्ञान नहीं कि गिरफ्तारी किसको कहते हैं और किस तरह से गिरफ्तार करते हैं।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न नहीं है। इस समय प्रिविलेज का प्रश्न हमारे सामने है। गिरफ्तारी की सूचना देना कर्तव्य है या नहीं, सिर्फ इसी प्रश्न पर आप अपने को सीमित रखें।

श्री गेंदासिंह--तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा श्री शिब्बन लाल सक्सेना का मामला कि वे गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तार किये जाने के बाद जिस तरह से ५-६ घंटे माननीय नारायण दत्त जी को घुमाया गया उसी प्रकार घुमाने का सवाल भी नहीं था माननीय शिब्बन लाल जी को। शिब्बन लाल जी के बारे में तो सरदार जी ने यह कहा था पार्लियामेंट में कि उन्हें तो हम ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे कि जहां पर जाकर वे स्वस्थ रह सकें और अधिक आराम पा सकें। गिरफ्तारी की भी बात नहीं,

लेकिन इतना ही करने के बाद माननीय जवाहर लाल जी ने पार्लियामेंट में उसको भूल स्वीकार की, सूचना देने की बात भी उन्होंने स्वीकार की।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---क्या शिब्बन लाल जी के मामले में सूचना देने की बात थी ?

श्री गेंदा सिंह---शिब्बन लाल जी के मामले में शिकायत तो यह थी कि उनको वहां से हटाया क्यों गया लेकिन ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है कि सूचना देना या न देना भी किसी अधिकारी की मर्जी पर है। हम तो समझते हैं कि सूचना देना और उसके साथ-साथ कारण बतलाना आवश्यक है और जैसा मैंने कहा, इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको मैं कोई कोटेशन देकर माननीय मुख्य मंत्री को समझाने का दावा नहीं करता, उनको इतनी लम्बी पार्लियामेंटरी जिन्दगी है जिसमें उनका ज्ञान इस सम्बन्ध में होगा ही। लेकिन मैं उनसे इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि केवल नारायण दत्त जी के मामले में यह फ़ैसला कर लेना कि किसी मैजिस्ट्रेट की मर्जी पर है कि जिसको चाहे गिरफ्तार करे और जी में आये तो सूचना दे या न दे उचित नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय तो न मालूम कितने उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि सूचना देने के बाद माननीय अध्यक्ष की तरफ से वारंट जारी हुआ और उसके बाद जेलखाने से माननीय सदस्यों को छुड़ाया गया।

*श्री गोविन्द वल्लभ पंत---गेंदा सिंह जी मेरी बात को शायद कुछ ठीक नहीं समझे या मैं ठीक नहीं कह पाया। मैंने तो यह बात दिखलाने की कोशिश की थी कि प्रिविलेज का ब्रीच क्या चीज है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर कोई पकड़ा जाय तो उसकी इत्तला मिले, उसके सबब बतलायें जायं और उसके लिये हिदायत हो, जो न करे उसको ब्रीच समझा जाय, उसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। इस ख़ास मामले में मैं यह कहता हूं कि जो हालात थे उनमें वह ब्रीच नहीं है। आयन्दा के लिये हम इसको साफ कर देंगे और उसके बाद कोई ऐसा मामला आयन्दा हो तो फिर हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लिहाजा कोई सवाल यह नहीं है कि किसी को पकड़ा जाय तो इत्तला दे या न दे उसको अधिकार है, बल्कि जिन हालात में यह वाक़या हुआ वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता, यह मेरा कहना है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय मुख्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद हमें संतोष होता है क्योंकि मैं मान लेता हूं कि नारायण दत्त जी के मामले में कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से श्री टंडन जी को छूना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन कम से कम इस सदन के अधिकार का स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री ने कर दिया इससे मुझे संतोष है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रोक दिया शुरू शुरू में कि मैं इस पर कुछ कहूं लेकिन जब अरेस्ट है यह माननीय प्रिविलेज कमेटी ने इसको माना कि गिरफ्तारी है और फिर प्रिविलेज कमेटी यह कहती है कि चूंकि ४-५ घंटे की गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव है, क्रिमिनल चार्ज नहीं है, मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से कहता हूं कि अगर क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो गिरफ्तारी करने के पहले सूचना देने की बात तो अलग है उस मामले में तो इजाजत लेनी चाहिये थी। अगर क्रिमिनल चार्ज होता तो ऐसी हालत में उनको पूरी तरह से गिरफ्तार कर लेने का हक़ था। लेकिन अगर क्रिमिनल चार्ज नहीं है और प्रिवेन्टिव डिटेंशन भी नहीं है तो फिर है क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह अजीब हालत है। ऐडवोकेट जनरल साहब यह फ़रमाते हैं कि १४४ का ब्रीच तो यह है.....

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

विशेषाधिकार समिति ने जो इश्यूज इस मामले में पहले सर्वसम्मति से तय किये थे उनको मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

(१) क्या श्री नारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हलद्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी ?

(२) क्या यह गिरफ्तारी (प्रोवेंटिव) निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी ?

(३) यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह जिस प्रकार की हो तो क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी ?

श्रीमन्, मैं यहां आपके द्वारा सदन को बतलाता हूं कि समिति की रिपोर्ट में सभी सदस्य ऊपर की दो बातों से सहमत हैं, जो मतभेद है वह सिर्फ तीसरी बात पर है कि यह सूचना देना आवश्यक नहीं था अध्यक्ष को और विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुयी।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जब दो चीजें स्पष्ट हो गयीं और जब यह मौजूद है हमारे सपोर्ट में, विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता है। इसके सपोर्ट में पार्लियामेंट की धारा का जो उल्लेख किया गया है श्रीमन्, मैं उससे सहमत हूं जैसा कि श्री रामनाराण जी ने कहा कि चाहे वह जेल में हो या एक घंटे को भी रोका जाय या कहीं भी रोका जाय तब भी वह प्रिजन के माने में आ जाता है। इसलिए जो धारा का कोटेशन दिया गया है वह हमारे पक्ष में आ जाता है। यह विशेषाधिकार का सवाल है और अध्यक्ष को सूचना न देने का जो सवाल है वह उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए मैं यह समझता हूं और जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना, मैं यह मानता हूं, जहां तक यह बात बतलायी गयी कि नारायण दत्त जी तिवारी कैसे गये, क्या हुआ, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदन के हर मेम्बर का राइट है और प्रिविलेज है और जो माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि पहले हमारे क्या राइट थे। अगर हम उनको निगाह में नहीं रखेंगे तो एक प्रिसीडेंट हो जायगा। यदि सूचना नहीं दी गयी तो यह हो जायगा कि एक केस में ऐसा हुआ। मैं यह मानता हूं कि आइन्दा के लिए आप सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसमें हर्ज ही क्या है जब कि यह स्पष्ट है और एक एम० एल० ए० श्री अब्दुल मुईज खां ने अपना नोट आफ डिसेंट दिया है कि विशेषाधिकार के सिवाय और दूसरा सवाल उठता नहीं है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है।

हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनको भर्त्सना दी जाय और उनको हिदायत कर दी जाय। सरकार उनसे नाराज नहीं है और उनकी बैड एंट्री नहीं होगी। लेकिन हमेशा के लिए एक नमूना बन जाय उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है और उनको भर्त्सना दी जाना जरूरी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे एक सूचना देनी है कि स्थायी समितियों के संबंध में आज तीन बजे तक नाम वापस लेने की तिथि थी। ५ समितियां ऐसी हैं जिनके विषय में यह कहा गया है कि उनमें नाग कुछ लोगों के वापस नहीं हुए और यह सम्भावना है कि चुनाव न करना पड़े यदि कुछ समय बढ़ा दिया जाय। इसलिये मैं नाम वापस लेने का समय बढ़ा देना चाहता हूं।

वित्त समिति, लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सामान्य शासन स्थायी समिति और पुलिस स्थायी समिति , इनके जो माननीय सदस्य नामजद हुए हैं उनके नाम वापस लेने का समय ११ तारीख, ३ बजे तक मैं बढ़ा देता हू ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरी एक और सूचना है । मेरे सामने एक प्रस्ताव श्री काली चरण जी ने भेजा है कि "मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया नियमावली, उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम संख्या ११ को निलम्बित कर के जब तक पंचायत राज विधेयक विचाराधीन है, सदन प्रति दिन ६ बजे शाम तक तथा १२ मई को उस समय तक बैठे जब तक कि उक्त विधेयक पारित न हो जाय, तथा विधेयक १२ मई तक पारित करने के हेतु उक्त विधेयक पर संशोधन के प्रस्तावक तथा मंत्री जी को भाषण के लिये १० मिनट तक अन्य सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय" ।

यह प्रस्ताव मैं सोमवार को लूंगा, चूंकि इसमें नोटिस की आवश्यकता है, इसलिये उस दिन इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा । मैंने सूचना दे दी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष--अब जो विषय सामने है उस पर विवाद जारी रहेगा ।

*श्री केशव गुप्त--(जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने आज अपने नेता माननीय पंत जी का भाषण सुना । उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया कि भविष्य में वह मैजिस्ट्रेटों को इस बात की हिदायत भेज देंगे कि वह शीघ्र से शीघ्र किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हमारे प्रतिनिधियों की हों तो वह उसकी सूचना आप को देंगे लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आदेश जारी करने से कोई विशेषाधिकार इस हाउस का या हाउस के प्रतिनिधियों का बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने तो यह निश्चय कर दिया कि हमारे प्रिविलेजेज वही रहेंगे जो कि हाउस आफ कामंस के हैं या पार्लियामेंट के हैं उस समय तक जब तक कि कोई लाज हम इनऐक्ट करके कोई नये विशेषाधिकार अपने लिए अख्तियार न कर लें । इसलिए एक्जक्युटिव आर्डर के जरिये से हाउस के कोई विशेषाधिकार बढ़ जायं, ऐसी कोई मुझे संभावना नहीं मालूम होती और जिस समय तक हमारा यह संविधान है उस समय तक ऐसा होना संभव नहीं है । अब देखना यह है कि जो प्रश्न हमारे सामने है उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न आता है या नहीं आता है, मैंने भी इसका विचार करने की थोड़ी सी कोशिश की और मैंने उसमें जो निर्णय है, उसको देखा । यह तो मानी हुयी बात है कि अरेस्ट हुयी और इसको तो विशेषाधिकार समिति भी सर्वसम्मति से स्वीकार करती है कि अरेस्ट हुयी । लेकिन अब देखना यह है कि वह अरेस्ट किस प्रकार की है आया वह किसी क्रिमिनल आफेंस में थी या क्या थी । इस चीज को हमें देखना है । अगर वह क्रिमिनल आफेंस में थी या ऐसे क्रिमिनल आफेंस में थी जिसके चार्जेज फ्रेम हो सकते हैं तब तो एक छोटी सी बात हो सकती है कि मैजिस्ट्रेट ने इत्तिला दी या नहीं । इसको हाउस आफ कामंस भी मान चुका है और वह इस बात पर जोर देता है कि क्रिमिनल आफेंस में सूचना दे दी जाय । लेकिन सूचना का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और जैसा अभी पढ़कर सुनाया गया दस या १२ दिन तक सूचना न देने पर भी उसे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना । सूचना मिलनी चाहिए चाहे देर में ही क्यों न मिले । लेकिन यहां पर एक बिलकुल दूसरा प्रश्न है । यहां तो गिरफ्तारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशव गुप्त]

होती है लेकिन किसी कानून के अन्दर नहीं होती है। अगर १४४ को अवहेलना में भी गिरफ्तारी होती है तो उसमें भी १८८ की कार्यवाही होती है। यहां पर कोई गिरफ्तारी १४४ या १८८ के मातहत, जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत प्रोवाइडेड है, नहीं हुयी है। इसमें न कोई वारंट जारी हुआ है और न कोई और कार्यवाही हुयी है। वारंट का भी एक फार्म दिया हुआ है कि वह इस तरह से जारी होगा। लेकिन उसमें वह कुछ भी नहीं हुआ है। यह गिरफ्तारी किसी रूल के अन्दर नहीं आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति को इस प्रश्न पर अवश्य विचार करना चाहिये था कि अगर इस प्रकार की गिरफ्तारी हो कि जो किसी भी कानून के अन्दर न आती हो तो वह उस के ऊपर क्या हमारे विशेषाधिकार होंगे उसको उन्हें सोचना चाहिये था और उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये यह भी उन्हें परामर्श देना चाहिये था। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२० पर यह लिखा हुआ है :—

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a Member of the House of Commons during a session of Parliament, or during the forty days preceding or the forty days following a session."

तो यहां पर गिरफ्तारी होती है ५ फरवरी को, हाउस मीट कर रहा है ११ फरवरी को। मैंने अर्ज किया कि १८८ में गिरफ्तारी नहीं हुयी, १४४ के केस में भी नहीं हुयी, क्योंकि १४४ के केस में भी १८८ की तरह ही गिरफ्तारी होती है। उसका भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वारंट का फार्म भी दिया हुआ है, इसलिए उसमें भी यह गिरफ्तारी नहीं होती। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी जब किसी में नहीं आती तो इसमें तो एक कंटेम्प्ट का प्रश्न हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूं कि इसपर विशेषाधिकार समिति को अपनी सम्मत्ति देनी चाहिये थी और जो ऐडवोकेट जनरल ने अपनी सम्मति दी है और उन्होंने यह कहा है उसके अन्दर कि आगे जाकर इसके ऊपर फिर सोचकर अपनी रिपोर्ट देंगे कि आया इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, उनकी इस सम्मति को भी विशेषाधिकार समिति को अवश्यमेव मंगाना चाहिये था, क्योंकि उससे बहुत कुछ रोशनी इस प्रश्न के ऊपर पड़ सकती थी। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रश्न को फिर दोबारा विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय और वह फिर इस पर विचार करे और इस दृष्टि से विचार करे कि यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस तो नहीं हो गया, कहीं इल्लीगल अरेस्ट तो नहीं हो गया कि न १४४ के अनुसार अरेस्ट है न १८८ के अनुसार है, वारंट नहीं डिटेन्शन नहीं, १०७ नहीं, तो यह कहीं कंटेम्प्ट का प्रश्न तो नहीं है और कंटेम्प्ट ज्यादा हीनियस हो जाता है बनिस्बत प्रिविलेज आफ हाउस के, क्योंकि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि इन्फार्मेशन देने का तो बहुत थोड़ा सा सवाल है। वह इन्फार्मेशन दे, न दे, १५ दिन में दे, १८ दिन में दे क्योंकि अभी एक रूलिंग माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोट की कि १५ दिन की देर होने पर भी उसे उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं माना तो सिर्फ साधारण सूचना देने को मैं इतना आवश्यक नहीं समझता जितना कि इस प्रश्न को कि क्या यह अरेस्ट लीगल थी या इल्लीगल थी। अगर इल्लीगल थी तो उसके बारे में क्या विशेषाधिकार है, और उस पर क्या होना चाहिए, यह विचार होना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के पश्चात् इस सम्बन्ध में राय प्रगट करना जरा बड़ा कठिन सा हो गया है। हम उनकी दलीलों से चाहे प्रभावित हुए हों या न हुए हों लेकिन उनकी हिमालियन परसोनैलिटी का बोझ तो हम पर आ ही गया है। फिर भी जो मानता नहीं और मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी राय इस सम्बन्ध में व्यक्त करने की कोशिश करूं। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि ब्रीच आफ दि प्रिविलेजेज आफ दि हाउस इस सम्बन्ध में हुआ है और मिस्टर दत्त इस सम्बन्ध में रिस्पांसिबिल हैं जैसे किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई रिस्पांसिबिल हो सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट है उसके पृष्ठ ३ पर में की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ८०-८१ से उद्धरण दिया गया है। उस उद्धरण का उन्होंने सहारा लिया है और उसमें कन्विक्शन अप्लाई करके यह कहा है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। उस उद्धरण में कहा गया है --"Where a Member is convicted but released on bail pending an appeal "the duty of the Magistrate to communicate with the Speaker does not arise."

मैं नम्रतापूर्वक इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो उद्धरण है इस केस से बिलकुल लातालुक सा है, डज नाट एप्लाई एट आल। एक तो कन्विक्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए रूलिंग बिलकुल बेकार सी है। लेकिन अगर मान भी लिया जाय थोड़ी देर के लिए, वह अप्लाई होती है तो हम ऐसे केस की कल्पना करें जिसमें मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस गया और उस मैजिस्ट्रेट ने उसको सजा दी। ला प्रैक्टिशनर्स को मालूम होगा कि जिस समय मैजिस्ट्रेट ने सजा दी वहां पर उस समय वकील बेल अप्लीकेशन लिये तैयार रहता है। उसने बेल अप्लीकेशन दी और वह मंजूर हो गयी। उसमें एक मिनट के डिटेंशन की भी परिस्थिति नहीं पैदा होती। लेकिन मैं एक ऐसे केस की कल्पना करता हूं जब एक आदमी को सजा हो जाय, दो घंटे या चार घंटे कस्टडी में भेज दिया जाय, वहां पुलिस की हवालात रहती है उसमें बन्द कर दिया जाय। तो उस हालत में क्या होगा? उसके लिये यह रूलिंग अप्लायी करेगी या नहीं? मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। इस रूलिंग में इस केस की कल्पना भी नहीं की गयी है जबकि दो चार घंटे किसी को कस्टडी में रखा गया हो। मैं आपकी आज्ञा से पूरे उद्धरण को पढ़ना चाहता हूं—

"The Committal of a Member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the Member is committed to prison, bail not being allowed; and subsequently, if the Member be not released from custody, or acquitted, the judge informs the Speaker of the offence for which the Member was condemned, and the sentence that has been passed upon him. Where a Member is convicted but released on bail pending an appeal, the duty of the magistrate to communicate with the Speaker does not arise".

तो कस्टडी का जो शब्द आया हुआ है वह मेरे कथन का समर्थन करता है। अगर एक आदमी का कनविक्शन हुआ और एक घंटे से एक वर्ष और हजार वर्ष तक कस्टडी में रहा, तो जो उद्धरण दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी इनफार्म करने की स्पीकर को उस वक्त नहीं है तो जो रूलिंग दी गयी है पहले तो कनविक्शन के बारे में है। कोर्ट में केस गया और सजा हुयी। तो यह रूलिंग वहां अप्लाई नहीं करती। दूसरा सवाल है और इसी उद्धरण में है कि कस्टडी के सम्बन्ध में सूचना देना जरूरी है। कोर्ट में सजा होती है, कोर्ट आर्डर देती है कि 'टिल दि राईजिंग आफ दि कोर्ट' कनफाइन रहेगा--उस हालत में क्या होगा, इसकी कल्पना इसमें नहीं की गयी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो तो भी मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि स्पीकर को इत्तला मिले या न मिले। मेरा निवेदन यह है कि जो उद्धरण दिया गया है और उन्हीं दलीलों से पूरे इस ऐक्शन को डिफेंड किया गया है उनका केस एक्सपोज हो जाता है। माननीय नारायण दत्त तिवारी एक मिनट से पांच वर्ष तक भी कस्टडी में थे तो यह रेस्पांसिबिलिटी थी उनकी कि वह स्पीकर को इत्तला देते, और इत्तला न दें तो ब्रीच आफ दी प्रिविलेज हुआ, जो नजीर दी गयी, उसके मुताबिक।

एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कोई आदमी गिरफ्तार हो और बड़े अच्छे बंगले में ले जाकर रक्खा जाय जैसे काश्मीर में श्यामाप्रसाद मुकर्जी रक्खे गये थे तो उसमें कर्टसी

[श्री केशव गुप्त]

का क्वेश्चन नहीं होता। ५ घंटे जोप में रक्खा गया, आइस क्रीम खिलाते हुए ले गये और कलकत्ते तक या लंका तक पहुंचा जाते तो कर्टसी का क्वेश्चन नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस कर्टसी से हमारे सब अधिकार छीन लिये गये। हमारे प्रिविलेज हैं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ने इसे तय किया है। हमारे कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में भी लिखा गया है—

"In other respects the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State and of the members and the committees of a House of such Legislature shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law and until so defined shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its members and committees at the commencement of this Constitution."

तो इस लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है कि जो अब तक कन्वेंशंस हैं उनको फालो करे या कन्वेंशंस एस्टेब्लिश करे और यह डिफाइन करे कि यह प्रिविलेजेज क्या हैं। अब अवसर आ गया है जबकि यह डिफाइन कर दिया जाय कि हमारे प्रिविलेज क्या हैं। अगर हाउस के किसी सदस्य का अपमान होता है तो उससे पूरी सरकार की शक्ति क्षीण होती है। मैं समझता हूं कि हमारे मैजिस्ट्रेट टंडन साहब ने मेज को पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ी हो या न पढ़ी हो लेकिन इतना वह अवश्य जानते थे कि जब कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेचर का गिरफ्तार हो तो स्पीकर को सूचना देनी चाहिये। इसके डिटेल्स चाहे मालूम हों या न मालूम हों, उनको चाहे यह न मालूम हो कि किस वजन पर सूचना देनी चाहिये या न देनी चाहिये और अगर उनको डाउट था तब तो उनको और भी सूचना दे देनी चाहिये थी। लेकिन जब उन्होंने सूचना नहीं दी तो इस बात के मानने में कोई दिक्कत नहीं मालूम होती कि उन्होंने जानबूझ कर सूचना न देने का निश्चय किया लेकिन उन्होंने डेलीबरेटली इस बात को एवायड किया और प्रिविलेजेज को ब्रीच किया जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कुछ घंटों के लिए रक्खा गया, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। अरेस्ट उनको किया गया और ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और टंडन ने जानबूझ कर इसे किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर वादविवाद के लिये दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री इस पर कुछ राय देंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी यदि सदन चाहता हो तो मैं कोई रोकना नहीं चाहता। दर असल उम्मीद यह थी कि दो घंटे में बहस समाप्त हो जायगी। जो रूल है वह भी ऐसा ही है कि जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जाय तो उस पर ब्रीफ डिस्कशन होना चाहिये, अब जैसा अध्यक्ष महोदय, उचित समझें करें।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन पर छोड़ता हूं और सदन की राय लिये लेता हूं। नियम तो यही है कि कम से कम डिस्कशन होना चाहिये, यह खयाल रखते हुए सदन अपनी राय दे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यदि मैं कह सकूं तो यह तो स्पेसिफिक ईश्यू है। अध्यक्ष ने कमेटी को कमिट किया और कमेटी ने उस पर राय दी। अब यह कहना कि और चीजें होनी चाहिये थीं या नहीं, अध्यक्ष ने रूल आउट किया कि यह नहीं हो सकता था तो उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठता। दरअसल उसकी रिलेवंसी भी नहीं होती। जहां तक इन्कार्सेशन की बात है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्स अटैच नहीं करना है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, आपके निर्णय देने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि यह जो

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयी है वह एक राय के अन्तर से आयी है यानी ५ और ४ के मत से आयी है। वह इस प्रकार के निर्णय से आयी है अगर यह बात भी ध्यान में रखी जाय तो इसके लिये अधिक समय देना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस वादविवाद का समय ५ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, इस भवन को केवल इस प्रश्न पर निर्णय लेना है कि चाहे किसी भी प्रकार की सदस्य को गिरफ्तारी या डिटेन्शन हुआ हो, तो दोनों में से कोई हालत हुयी हो, मैजिस्ट्रेट को या अन्य अधिकारी को स्पीकर को सूचना देना आवश्यकीय था या नहीं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोग इस नतीजे पर आये कि समिति ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये कि जिसके कारण बहुमत ने यह समझा कि स्पीकर को सूचना देना आवश्यकीय नहीं था। सबसे मजबूत और जबरदस्त प्वाइंट जिसके बारे में यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं देनी चाहिये थी वह यह था कि उनको जेल में नहीं भेजा गया। अगर वास्तव में हम इस प्रश्न पर निश्चय कर लें तो हमको यह देखना पड़ेगा कि बन्दीगृह या प्रिजन की परिभाषा क्या है? अगर वास्तव में प्रिजन की परिभाषा केवल उसी स्थान से मानी जाय, जिसको आम तौर पर बन्दीगृह कहते हैं तो वास्तव में हाउस के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है लेकिन यदि यह इसके विपरीत है तो अधिकारों को ठेस पहुंची है। और उसमें यह नहीं आता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रिजन की परिभाषा देखने के लिये जो हमारा प्रिजन्स ऐक्ट है अगर उसी को हम देखें तो मालूम होगा कि उसमें क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा से उसका आशय केवल उस बन्दीगृह से नहीं है बल्कि जहां कहीं भी एक मेम्बर को डिटेन किया जाता हो तो वहां वह क्रिमिनल प्रिजनर कहा जायगा। इस सम्बन्ध में प्रिजन्स ऐक्ट में क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा इस प्रकार से है कि :

"Criminal prisoner means any prisoner duly committed to custody under writ, warrant or order of any court or authority exercising criminal jurisdiction."

इसके बाद अगर हम बन्दीगृह की परिभाषा देखते हैं तो हमको अपने यहां की परिभाषा को न देखकर हमको इंग्लैन्ड के प्रिजन्स ऐक्ट की परिभाषा को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकार हमारे संविधान द्वारा डिफाइन नहीं किये गये हैं। उसमें यह माना गया है कि इंगलैन्ड के पार्लियामेंट के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं वही विशेषाधिकार हम लोगों के हैं। तो इस तरह से हम लोगों को वहां पर जो प्रिजन्स की परिभाषा है इस सम्बन्ध में अपनानी पड़ेगी। यह जो समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसके पेज ९ पर प्रिजन्स की परिभाषा इस तरह से दी गयी है :

"The prison of the King's bench is not any local prison confined only to one place and every place where any prison is restrained of his liberty is a prson....."

इसके बाद हम देखते हैं कि उसी पृष्ठ पर फिर हमको कन्फाइनमेन्ट की परिभाषा मिलती है---

"Every confinement of the person is an imprisonment whether it be in a common prison, or in the stocks, or even by forcibly detaining one in the public street."

इन परिभाषाओं से मालूम होता है कि केवल बंदोगृह ही प्रिजन नहीं है। बल्कि जहां भी सदस्य को रोका या गिरफ्तार किया जाय, वही वह प्रिजन कहलायेगा चाहे वह टैम्पोरेरी हो या परमानेंट प्रिजन हो। हमारे तर्क की पुष्टि लोक सभा के आदेश से भी होती है जो हमारे चीफ़ सेक्रेटरी

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

द्वारा जारी किया गया है। उसमें प्रिजन शब्द का जिक्र नहीं है। उसमें यह है कि अगर किसी सदस्य को गिरफ्तारी हो, रोका जाय, डिटेंशन हो या उसको दण्ड दिया जाय या किसी को मुक़द्दमे के सिलसिले में मुक्त किया गया हो तो स्पीकर को सूचना देनी होगी। मैं समिति के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि सदस्य को जेल नहीं भेजा गया तो विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई। आमतौर से ऐसा होता है कि मुलजिमान को गिरफ्तार होने के बाद वहीं जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसा कि पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि एक शख्स पर मुक़दमा चल रहा है और आम तौर से क़ाबिल ज़मानत जुर्मों में मैजिस्ट्रेट वहीं छोड़ देते हैं, और यदि मैजिस्ट्रेट ने नहीं छोड़ा तो उसी दिन सेशन जज से दोनों प्रकार के जुर्मों में जमानत हो कर छूट जाते हैं, तो यदि समिति के तर्क को मानें तो सदस्यों का हमेशा हैरेसमेंट हुआ करेगा और जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा।

इस देश के कर्मचारियों और विशेष तौर से पुलिस कर्मचारियों और इंग्लैण्ड के कर्मचारियों में बहुत अन्तर है। यदि ऐसा न होता, तो यह आपत्तियां उठाने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

बहुत से तर्क इस तरह के भी आये हैं कि तिवारी जी अपनी इच्छा से हल्द्वानी जाना चाहते थे और मैजिस्ट्रेट का विचार कभी भी नहीं था कि उनको जेल में रखे परन्तु तिवारी जी को मुक्त करने का विचार उनका शुरू ही से था। मैं समझता हूं कि इस तर्क में भी ज्यादा तत्व नहीं है। उनकी जीप में कोई आकर्षण नहीं था या मनोरंजन विषय ऐसा नहीं था जिसकी बिना पर उनकी जीप में तिवारी जी स्वयं जाकर बैठ जाते।

इसके बाद समिति की ओर से यह भी कहा गया है कि डिटेंशन ५ या साढ़े पांच घंटे का था और अगर दो एक महीने का होता तो डिटेंशन कहा जा सकता था। मेरी समझ में अगर डिटेंशन १ मिनट का ही रहा हो तो वह डिटेंशन होता है। सदस्यों को विशेष तौर से ऐसी परिस्थितियों में होने से और भी ज्यादा हैरेसमेंट आगे चल कर हो सकता है। इंग्लैंड में पुलिस की ख्याति ऊंचे पैमाने पर है, बदक़िस्मती से हम अपने देश में उसके विपरीत पाते हैं। वहां के विशेषाधिकार बहुत लड़ाई के बाद बने हैं और बहुत वर्षों के तजुर्बे की बिना पर हैं। हाउस आफ कामन्स के सिद्धांतों को हमें मानना होगा लेकिन बहुत रिजिडली नहीं। जहां तक प्रिजन का सवाल है। इस देश की परिस्थिति को देखते हुए, वहां के सिद्धान्तों में कुछ फिलेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता केवल इतने ही शब्द कहना चाहता हूं कि तिवारी जी को पकड़े जाने से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिये कुछ न कुछ इलाज निकालें वरना भवन की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जायगी और पड़ रही है और इन्डिविजुअल मेम्बर्स की प्रतिष्ठा तो खतरे में पहले से ही पड़ चुकी है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अपनी कमजोरी कबूल करता हूं अपनी कमी बतलाना चाहता हूं वह मेरी कमजोरी यह है कि मैं लाइयर नहीं हूं, कानूनदां नहीं हूं और इस वक्त प्रश्न कानून का है। इसलिये अपनी कमजोरी को कबूल करने के बाद अपने विचार पेश करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री के तर्कपूर्ण उदार व्याख्यान के बाद भी मुख़ालिफत हो रही है। उसका कारण मेरी समझ में नहीं आता अपोजीशन की बेंचेज की ओर से यदि मुख़ालिफत होती तो हमें कोई शिकायत नहीं होती लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई भी.....(शोर)

श्री अध्यक्ष---इसके सिलसिले में इस तरह की पार्टियों के बारे में बातें नहीं होनी चाहियें।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर आप जरा सुनने की मेहरबानी करेंगे तो ज्ञात होगा कि इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना कहां तक उचित होगा इस संशोधन को पास करने के नतीजे पर पहुंचियेगा और जरा ठंडे दिमाग से सुन लेने के बाद चाहे तो बड़ी खुशी से मुखालिफत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, एक कानून बनता है लेकिन उसका जहां ऐप्लीकेशन होता है उसकी परिस्थितियों को देख कर जमीन-आसमान का अन्तर पड़ जाता है। एक कानून बनता है डकैती के लिये। डकैती करना जुर्म है लेकिन एक डकैती करने वाला अपने लिये डकैती करता है और दूसरा दूसरों के लिये डकैती करता है, इन दोनों डकैतियों में जमीन-आसमान का अन्तर है। डाकू भी डकैती डालते हैं और जेलखाने को जाते हैं लेकिन भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल भी डकैती के कारण जेल गये थे। एक को हम बुरा कहते हैं और दूसरे को इज्जत की नजर से देखते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जरा विचार कीजिये कि आया उस मैजिस्ट्रेट ने बुरी नियत से यह ग़लती की थी या जानबूझ कर की थी कि स्पीकर साहब को नारायणदत्त जी के बारे में सूचना नहीं दो। जब उन्होंने उनको गिरफ्तार किया तो स्पीकर साहब को सूचना दे दी गयी। फिर स्पीकर साहब को सूचना देने का मतलब यह होता है ताकि स्पीकर साहब यह देख सकें और उस पर ऐक्शन ले सकें और उसमें जांच-पड़ताल कर सकें। यदि ज्यादती हुई है तो ऐक्शन ले सकें। लेकिन वहां तो गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं है। बाल की खाल तो मैं नहीं निकालना चाहता लेकिन यह साफ जाहिर है कि उनको इसलिये पकड़ा गया कि एक जगह पकड़ कर दूसरी जगह छोड़ दिया जायगा। उनको पकड़ा गया यह ठीक है लेकिन यह भी वाकया है कि उनको लेजाकर छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो ऐसी हालत में सूचना देना क्यों जरूरी था? मेरी गुजारिश है कि इस पर गौर फरमाया जाय। हमारे माननीय तिवारी जी की शादी १० तारीख को होने वाली है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि दबी जबान में जवाब दूं ताकि उनकी शादी में बाधा भी न पड़े। और उत्तर भी दे दूं हुजूरवाला, आप देखिये कि काश्तकार वहां पर जमा थे, वे अपना गन्ना बेचना चाहते थे, वे ग़रीब और भूखे थे, उनको जा कर रोकना कहां तक ठीक था?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---प्वाइंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं। माननीय शुक्ल जी डिटेल्स में जा रहे हैं। जब माननीय गेंदासिंह जी बोल रहे थे तो आपने आज्ञा दी थी कि वे फैक्ट्स पर न जाकर विशेषाधिकार के प्रश्न पर ही बोलें।

श्री अध्यक्ष---वे कानून नहीं जानते, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया है।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उधर नहीं जाऊंगा लेकिन इशारा किया जा सकता है और प्वाइंट के जरा बाहर जा कर भी उससे फायदा उठाया जा सकता है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि कायदे कानून वही रहा करते हैं लेकिन नियत से बहुत बड़ा फर्क हो जाया करता है। एक आदमी है जो किसी को एक चपत मारता है और वह मर जाता है तो उसको ६ महीने की सजा होती है, एक आदमी किसी को गोली मारता है तो उसको फांसी की सजा होती है और एक आदमी किसी डाकू को मारता है तो उसे इनाम मिलता है। तो कानून जो बनता है वह नियत पर बहुत डिपेंड करता है। अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन की हिस्टरी में नई बात हुई कि जहां किसी ने माननीय अध्यक्ष के हुक्म की अवहेलना की हो लेकिन हमारे माननीय मेम्बर श्री तिवारी जी ने आप के हुक्म को यहां तोड़ा और बार-बार तोड़ा। तब फिर आप ने पुलिस को आर्डर दिया और उसने उनको बाहर कर दिया। तो क्या आपने उनको गिरफ्तार किया था? मजबूरी थी जिससे आप को यह तरीका अख्तियार करना पड़ा। उसी प्रकार पब्लिक का नुक्सान हो रहा था तो मैजिस्ट्रेट ने उनको जीप में बैठा कर दूसरी जगह भेज दिया तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ग़लती उसकी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यहां सूचना देने का है।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी प्रार्थना कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी के यह कहने के बावजूद कि मैं आयन्दा के लिये आर्डर दे दूंगा कि ऐसी हरकत होने पर खबर दे दी जाय, इस आश्वासन के बावजूद भी अगर बहस कर के कोई रिमार्क पास होता है कि मैजिस्ट्रेट ने गलती की तो मुफ्त में यह एक उसकी शिकायत हो जाती है और हुजूरवाला, अगर हमारे दोस्त जानबूझ कर कानून को तोड़ते हैं तो उसे रोकना ही पड़ेगा.....

श्री अध्यक्ष---यह असंगत सा है।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं कहता हूं कि जानबूझ कर कानून तोड़ने वालों के साथ कितनी रियायत की जायगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो रिपोर्ट आयी है उसको पास किया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का जो प्रतिवेदन सदन के सामने है उस पर काफी देर से विवाद हो रहा है। जो छोटा सा प्रश्न है वह यह है कि माननीय तिवारी जी को ४ तारीख को गिरफ्तार कर हल्द्वानी में ले जाकर छोड़ दिया गया। तो जो यह गिरफ्तारी हुई उसकी सूचना इस भवन के विशेषाधिकारियों को होनी चाहिये थी कि नहीं होनी चाहिये थी और यदि नहीं हुई, तो उससे इस भवन की अवहेलना होती है या नहीं होती है। मैं आप की आज्ञा से दो तीन बातें रखना चाहता हूं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२१ पर जो इस संबंध में लिखा हुआ है उसे मैं आप की आज्ञा से पढ़ता हूं---

"Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information for the imprisonment or detention of any Member, with the reason for which he is detained."

पेज ७९ पर श्रीमन् इस तरह से है---

"In all cases in which Members are arrested on criminal charges the House must be informed of the cause for which they are detained from their service in Parliament."

पेज १२० की दो लाइनें भी मैं पढ़ देना चाहता हूं---

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a member of the House of Commons during a session of Parliament, or during the forty days preceding, or the forty days following a session."

इसके अलावा पेज ६९ पर यह भी दिया हुआ है---

"Privilege protects Members of Parliament with the same sanction as well from illegal molestation as from the legal process of arrest. Either is equally a breach of privilege."

श्रीमन्, इस कमेटी ने इस संबंध में तीन ईश्यूज अपने सामने बनाये। पहला ईश्यू तो यह कि उनकी गिरफ्तारी हुई वह टेक्निकल सेंस में अरेस्ट हुआ या नहीं। इस पर सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई वह अरेस्ट है। तो सवाल यह है कि वह अरेस्ट है तो वह अरेस्ट किसी क्रिमिनल आफेंस या क्रिमिनल चार्जेज के सिलसिले में है या यूं ही है। जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं उनकी डेफिनिट व्यू है कि यह जो अरेस्ट है इसमें न तो किसी क्रिमिनल आफेंस की बात है न क्रिमिनल चार्जेज की बात है। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन के पेज तीन पर लिखा है कि "उनकी गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी और किसी फौज-

दारी आरोप या किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में न थी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि "सूचना देने की आवश्यकता तभी होती है जब कि कोई सदस्य फौजदारी आरोप पर या फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में कारावास में भेजे जांय।" साफ जाहिर है कि कमेटी भी मानती है कि वह अरेस्ट क्रिमिनल चार्ज पर नहीं थी और अगर क्रिमिनल चार्ज पर नहीं थी तब सूचना देना जरूरी नहीं था। अगर यह मान लें कि क्रिमिनल चार्ज पर थी तब तो मैं समझता हूं कि इस सदन को सूचना देनी जरूरी थी। मगर जैसा कि माना गया कि नहीं थी तो आखिर सवाल यह है कि यह क्या चीज थी और किस आधार पर थी। मैं समझता हूं कि अगर हम उस व्यू को मानें जैसी कि एडवोकेट जनरल साहब की है कि यह केस क्रिमिनल चार्ज के सिलसिले में नहीं था तब तो श्रीमन्, यह मामला सदन की कण्टेम्पट की क्लाज के अन्तर्गत साफ़ तौर से आ जाता है और वह और भी ज्यादा बड़ी ग़लती है और जैसा कि राधामोहन सिंह जी ने कहा कि अरेस्ट इस सेन्स में नहीं बल्कि इस सेन्स में हुई तब तो मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह अरेस्ट इल्लीगल मालेस्टेशन में आ जाती है। तब भी ब्रीच होता है। श्री टंडन ने आप के आर्डर में लिखा है कि क्योंकि श्री नारायणदत्त तिवारी ने दफ़ा १४४ को तोड़ा है इसलिये आदेश दिये गये कि थानेदार काशीपुर उनको वहां से हटा दें और हल्द्वानी ले जा कर छोड़ दें। वह कम से कम ५ घंटे तो इस तरह गिरफ्तार रहे ही। इसलिये वह चीज तो लागू नहीं होती कि इन हालात में इत्तला देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्द हैं कि उनको हल्द्वानी ले जा कर छोड़ा जाय यानी उनके ऊपर पाबन्दी लगा दी गयी। टंडन जी ने कुछ भी कहा हो और मंशा भी कुछ रही हो लेकिन जैसाकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम को देखना यह है कि उनका ऐक्शन क्या था। उनका ऐक्शन कानूनी नहीं था, एक हेफेजार्ड तरीके का था। किसी मैजिस्ट्रेट के लिये इस तरह की कानूनी चीज के जो रिजल्ट्स हैं उनका सोचना एक कठिन सवाल होता है। दफा १४४ के सिलसिले में जो ऐक्शन हुआ वह दफा १४४ के अन्दर होना चाहिये था सो नहीं हुआ बल्कि एक ग़लत ढंग से उनको अरेस्ट किया गया जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है। अरेस्ट किस क़िस्म की थी इस बारे में कंफ्यूजन जरूर है मगर जो भी हो मैं भी इसको अरेस्ट जरूर मानता हूं। अतः सूचना देना भी आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप असंगत हो रहे हैं।

श्री नवलकिशोर--मैं यह कह रहा था कि दो चीजें हैं कि अरेस्ट हुई और या जैसा कि टंडन जी का व्यू है कि अरेस्ट नहीं हुई। मेरा निवेदन यह है कि यदि अरेस्ट हुई और बिना किसी फौजदारी आरोप या अपराध के हुई तब ब्रीच आफ प्रिविलेज तो हुआ ही मगर उससे कहीं भयंकर भवन की मानहानि की बात हो जाती है। यदि अरेस्ट नहीं थी तब मालेस्टेशन था वह भी ब्रीच है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि इनटेन्शन था या नहीं। मैं भी समझता हूं कि इनटेन्शन नहीं था और जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया लेकिन ब्रीच आफ प्रिविलेज इस सेन्स में हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद उनका कर्तव्य था कि आप को सूचना दी जाती। लेकिन वह नहीं दी गयी इसलिये ब्रीच हुआ और जरूर हुआ। बस मुझे इतना ही कहना था।

*श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ़्फ़रनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों के प्रकट हो जाने के बाद, तिवारी जी के प्रस्ताव के मूव हो जाने के बाद और यह जानते हुये कि तिवारी जी १४४ दफा तोड़ने जा रहे हैं, यह जानते हुये कि उन्होंने श्री टंडन से यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि वह फ़ाइनेंस कमेटी को अटेन्ड करने जा रहे हैं, इन तमाम बातों को जानते हुये और सब से बड़ी बात यह कि मैं इस सदन में सब से कम बोलने वालों में से हूं फिर भी मुझे प्रेरणा हुई कि इस हाउस में आज बोलूं। और इस कमेटी की रिपोर्ट जो सदन के सामने है उसके मुताल्लिक़ कहूं कि यह रिपोर्ट मंजूर न फरमाई जाय और इसको दोबारा कमेटी के सुपुर्द पुनःविचार के लिये कर दिया जाय तो इसके कुछ कारण हैं और सब

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल]

से पहला कारण यह है कि अगर यह रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो इसके माने यह होंगे कि सदन या तो इस बात पर विचार नहीं करना चाहता कि यह गिरफ्तारी जो तिवारी जी की हुई वह वाकई किसी क्रिमिनल चार्ज के मातहत हुई या नहीं और अगर नहीं है तो इसका क्या असर है। या तो हाउस इस सवाल को नजरंदाज करना चाहता है और या इसको नजरन्दाज नहीं करना चाहता। जब यह सवाल हाउस के सामने पेश है तो इस सवाल को इस बिना पर कि इन्फार्मेशन नहीं दी गयी और इन्फार्मेशन न देना इसलिये कि क्रिमिनल चार्ज के मातहत गिरफ्तारी नहीं हुई है इसलिये सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है यह मुझे काबत सी बात मालूम होती है। मैंने तिवारी जी के कम्प्लेन्ट को पढ़ा। उसमें यह है कि श्री रामरूप सिंह, जिलाधीश, नैनीताल और श्री बी० एन० टंडन, एस० डी० एम०, काशीपुर ने उन्हें कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा १४४ तोड़ने के अभियोग में ४ फरवरी, १९५४ को सायंकाल ४ बजे के लगभग गिरफ्तार किया और थाना इन्चार्ज, काशीपुर के हिरासत में दे दिया। तत्पश्चात काशीपुर का एक पुलिस दस्ता, जिसमें एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर व छः हथियार बन्द कांस्टेबिल थे, उन्हें एक जीप में काशीपुर से लगभग ५० मील दूर हल्द्वानी ले जाया गया जहां उन्हें साढ़े नौ बजे रात्रि को छोड़ दिया गया। पुलिस और अधिकारियों द्वारा इस प्रकार साढ़े पांच घंटे हिरासत में रखे जाने के कारण वे फायनेंस कमेटी की बैठक में लखनऊ आने से वंचित रह गये और उन्हें एक दिन की देर हो गयी। पुनः उनके गिरफ्तार किये जाने की सूचना भी अध्यक्ष को नहीं दी गयी जो विशेषाधिकार की अवहेलना है। इसमें उन्होंने किसी खास बात को नहीं लिखा कि अवहेलना इस कारण से हुई कि इसकी इत्तिला माननीय स्पीकर को नहीं हुई। उन्होंने इस बात को नहीं लिखा कि मैं इस बात को मानता हूं कि इसकी इत्तिला स्पीकर साहब को नहीं हुई इसलिये अवहेलना हुई बल्कि कुल का कुल कम्प्लेन्ट माननीय अध्यक्ष ने कमेटी के सुपुर्द किया और कमेटी ने इसपर एक तरीके से विचार भी किया। एडवोकेट जनरल का स्टेटमेंट भी है। एडवोकेट जनरल से भी इस बात को पूछा लेकिन जब उनका जवाब न आया तो कमेटी ने इस सवाल को अपने सम्मुख रखा। मैं एडवोकेट जेनरल साहब की बात को आपके सम्मुख रखता हूं—

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, be cause this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i. e. not a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want some time."

तो मैं यह जानता हूं कि यह सवाल कमेटी के सामने दरपेश है। एडवोकेट जेनरल ने इसका जवाब देने के लिये समय लिया। उसके बाद कमेटी ने २ अप्रैल, १९५४ की बैठक में श्री कन्हैया लाल मिश्र, एडवोकेट जेनरल के उत्तर के बिना ही इसका विचार किया। उनसे यह पूछा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के सम्बन्ध में सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं और उसके लिये सूचना देना आवश्यक है या नहीं। दोनों प्वाइंट्स को उनको रिफर किया गया। एडवोकेट जेनरल का उत्तर इस विषय में समिति की अन्तिम बैठक तक प्राप्त नहीं हुआ। और इस पर उन्होंने तीन सवाल सिर्फ अपने रूबरू बनाये। यानी जो कमेटी है विशेषाधिकार की उसने तीन सवाल बनाये। पहला सवाल यह था कि क्या श्री नारायणदत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी। इसका जवाब कमेटी ने दिया कि हां यह अरेस्ट थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी। इसके बारे में कहा गया कि गिरफ्तारी निरोधात्मक थी। तीसरा प्रश्न यह था कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह जिस प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। इसके बारे में उन्होंने

कहा कि सूचना देना जरूरी नहीं था और सूचना न देने की जरूरत न होने का कारण यह बतलाया कि वह क्रिमिनल चार्ज के अन्दर अरेस्ट नहीं थी।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि जिस कमेटी को आपने इस मामले को रेफर किया उसने अपने सामने कोई चौथा सवाल नहीं रक्खा। मेरी समझ में नहीं आता कि कमेटी कि रिपोर्ट में कोई चौथा सवाल क्यों नहीं रक्खा गया। एडवोकेट जनरल का फर्ज था कि वह कमेटी को इस सवाल का जवाब देता। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस सवाल को कमेटी को दोबारा रेफर किया जाना चाहिये और उनकी राय मालूम होनी चाहिये और तब उसके बाद इस रिपोर्ट को इस हाउस के सामने पेश होना चाहिये। मैं इतना और भी अर्ज करना चाहता हूं और उसके बाद खत्म करूंगा कि सवाल यह नहीं है कि टंडन साहब को क्या सजा मिलनी चाहिये, उनके बारे में हम बहुत मुलायम एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर हाउस ने इस तरीके से इस रेजोल्यूशन को मंजूर किया तो तब जब यह कमेटी प्यूपुल के सामने जायगी उस वक्त क्या यह सवाल पैदा नहीं होगा कि यह सवाल सदन में या कमेटी के सामने नहीं आया। या तो इस सवाल को नजरअन्दाज किया गया या सदन को समझ में बात नहीं आयी। गिरफ्तारी चाहे इल्लीगल हो, चाहे नाजायज हो जिसको क्रिमिनल चार्ज के मातहत न कहा जा सकता हो, उसकी इन्फार्मेशन देने या न देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।....

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चय ही माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के पहले से ही इस विचार का हूं कि इसमें इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। मैं इसपर अधिक न कहकर केवल श्री टंडन के उस आर्डर को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके एक एक शब्द की व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो यह क्रिमिनल चार्ज का शब्द कहा गया है वह कहां तक सही अथवा गलत है। श्री टंडन ने जो आर्डर दिया है उसके शब्द में आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं: "Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144 Cr. P. C. by obstructing the sugarcane carts, trucks and wagons from entering into L. H. Sugar Factory, Kashipur" इससे एक आफेंस के तीन भाग होते हैं। एक तो यह कि एक आदमी आया "about to commit or is committing an offence" और "has committed an offence." तीन भाग होते हैं इसके—

"Committed an offence. Has committed an offence and is about to commit an offence."

श्री नारायणदत्त तिवारी एल० एच० शुगर फैक्टरी के भीतर केन ट्रक्स और कार्ट और वैगन जाने से रोकते थे। दिस इज दी चार्ज। अब इसका पनिशमेंट क्या हो? क्योंकि १४४ के ब्रीच पर पनिशमेंट आफ आर्डर का १८८ है यह बिल्कुल निश्चित है। इसलिये उन शब्दों के किसी आर्डर में यह नहीं लाया जा सकता था। अब १४४ के ब्रीच के लिये १८८ में आर्डर दिया जाय तो वे लिखते हैं।

"I hereby order this punishment provided for breach of section 144. I hereby order the S. O. Kashipur to remove him under escort to Haldwani and release him there."

श्री नारायणदत्त तिवारी किसी प्लेजर ट्रिप या साइट सीन के लिये नहीं ले जाये गये थे। उनकी मर्जी से उन्हें नहीं ले जाया जा रहा था। अगर यह है तो दफा ३४२ आई० पी० सी० जिसमें क्रिमिनल रेस्ट्रेण्ट डिफाइन किया गया है साफ जाहिर होता है कि टंडन साहब ३४२ के मुजरिम हैं। यानी यह एक डेफनिट चार्ज है जिसका यह पनिशमेंट हो जाता है कि उन्हें

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

हल्द्वानी ले जाकर छोड़ा जाये। अब एक डेफनिट चार्ज हो जाता है तो सदन को सूचना न देना और क्रिमिनल चार्ज हो जाता है। हमारी समझ में विशेषाधिकार की अवहेलना है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ३ पर यह लिखा हुआ है कि--

"The failure of a Judge or magistrate to inform the House of the committal to prison of a Member on a criminal charge or a criminal offence would, therefore, constitute a breach of privilege",

अब इससे यह स्पष्ट है कि क्रिमिनल आफेंस था कि वे ऐक्ट १४४ का ब्रीच कर रहे थे। अब दूसरी बात जो इसमें लिखी हुयी है--

"though it is otherwise where a member is convicted but released on bail pending an appeal....."

नारायणदत्त तिवारी १४४ के ब्रीच करने में कन्विक्ट हो गये। लेकिन इसमें और आगे लिखा हुआ है कि अगर वे कन्विक्ट हो जाने के बाद बेल पर रिलीज हो जाते हैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज वह नहीं होता। लेकिन वह कन्विक्ट हो गये, उन्होंने सजा भी पूरी काट ली और उसके बाद रिलीज हुए। इसलिये यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से यह सोच रहा था कि हमारी ओर के बहुत से सदस्य इस प्रस्ताव को क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। मैं जो प्रस्ताव आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट जो सदन के सामने विचाराधीन है उससे यह प्रकट होता है कि श्री नारायणदत्त तिवारी किसी क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तार नहीं हुए। कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया और न अपनी रिपोर्ट ही दी कि तिवारी जी को इस प्रकार की गिरफ्तारी से विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अपमान है या नहीं। यह प्रश्न अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह रिपोर्ट पुनः विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन वापस भेजी जाय और वह अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख १५ दिन के अन्दर-अन्दर उपस्थित करे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखे कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिनसे यह बात मानी जाती है, and we must take it for granted, इसको तो यह मान लेना चाहिये कि गिरफ्तारी हुयी यह बात तो ठीक है कि इसके ऊपर बहस करना बेकार है। एक बात तो मान कर चलें कि श्री नारायणदत्त तिवारी को गिरफ्तारी हुयी। अब यह हो सकता है कि उस गिरफ्तारी का नतीजा क्या हुआ, उनको छोड़ दिया या उनको चाय पिलाई या उनको आराम से कहीं रखा, मगर गिरफ्तारी जरूर हुयी। अब वह गिरफ्तारी किस नियत से की गयी आगे चल कर इनपर कोई हमला न करें या वह गिरफ्तार इस वजह से हुये कि आगे चल कर कुछ काश्तकार उनके ऊपर कोई हथियार न चला दें या उनको किसी प्रकार से बचाने का सवाल था, इस बात को इस समय हमें नहीं देखना है। हमें यह विचार करना है कि जिस शख्स ने यह गिरफ्तारी की या जिसको हम सजा देने जा रहे हैं अगर यह साबित भी हो जाता है तो हमारी सजा क्या होगी। क्रिमिनल ला में इंटेंशन देखा जाता है किसी क्राइम के करने के लिये। अगर यह बात साबित हुई होती कि हां, क्राइम किया तो फिर इंटेंशन देखा जायगा इस बात के लिये कि हमें उसको सजा क्या देनी है। तो आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आया यह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी या नहीं जो गिरफ्तार करने वाले सज्जन थे उन्होंने इस हाउस का कंटेम्प्ट किया या नहीं किया। अब जैसा कि हमारी समिति का मत आया और मैं समझता हूं कि हमें यह मान ही लेना चाहिये क्योंकि हमें दोनों बातें अपने ध्यान में रखनी हैं, यानी एक तरफ तो हमें इस सदन के सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखना है और दूसरी तरफ जो समिति हमने विशेषाधिकार के लिये बनायी उसके भी अधिकारों का ध्यान हमें रखना है। तो विशेषाधिकार समिति ने दो बातों को माना है, एक बात तो यह कि अरेस्ट हुआ और दूसरी बात उसने

यह मानी है कि यह ऐसा अरेस्ट था जो प्रिवेंटिव कहा जा सकता है और इस वजह से उसने यह माना है कि इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय को इत्तला देना कोई जरूरी नहीं था। मैं इन दोनों बातों को ऐसा मानता हूं जिस पर हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मगर क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन्होंने नारायणदत्त जी को गिरफ्तार किया वे अपने जुर्म से बच गये, बावजूद इसके कि उन्होंने इत्तला नहीं दी कोई जुर्म बनता है या नहीं और आया इसको इस हाउस को कंसीडर करना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं और जैसा कि माननीय द्वारका प्रसाद जी ने आपके सामने विस्तारपूर्वक बतलाया, इसके बावजूद कि उन्होंने इत्तला नहीं दी तब भी वे इस हाउस के कंटेम्प्ट के मुजरिम हो जाते हैं। इत्तला देना और न देना तो अध्यक्ष के लिये है लेकिन जो कंटेम्प्ट की बात है वह सारे सदस्यों के लिये लागू होती है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके इसकी मैरिट के ऊपर कि ऐसा चार्ज लगाया गया या नहीं लगाया गया इसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि कमेटी के सामने पुनः विचार के लिये भेजा जाय। इसके बारे में आपको जो कुछ कहना हो वह कहें।

श्री बलवन्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में अपने प्वाइंट को विस्तार-पूर्वक कहने के लिये ही यह बात कह रहा था। खैर, मेरा मतलब यह है कि जो प्वाइंट इसमें है वह यह है कि अगर हम यह भी मान लेते हैं कि उन्होंने हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना इस प्रकार से नहीं की तो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने हाउस का कंटेम्प्ट अवश्य किया और हाउस के कन्टेम्प्ट का प्वाइंट, जैसा कि अभी माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने सदन के सम्मुख रखा, विशेषाधिकार समिति के सामने आया अवश्य, मगर उसके पास पूर्ण डाटा न होने की वजह से और जो हमारे ऐडवोकेट जनरल श्री कन्हैया लाल साहब की राय न होने की वजह से वह उसके ऊपर पूर्णतया अपनी राय कायम नहीं कर सकी। इसलिए मैं समझता हूं कि उनके सामने इसको फिर से भेजा जाय जिससे वह अपनी पूरी राय दे सकें और यह प्वाइंट सदन के सामने और हमारे सामने आ जाना चाहिये कि आया इस प्रिवेन्टिव अरेस्ट से इस सदन का कंटेम्प्ट हुआ या नहीं। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि कमेटी के सामने यह दुबारा जाना चाहिये।

*श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, इस घटना से दो मध्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक तो यह कि गिरफ्तारी स्वतः हमारे सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा यह कि गिरफ्तारी की सूचना सदन को न देना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। समिति ने केवल एक प्रश्न पर विचार किया है और वह यह कि इस गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को न देना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा प्रश्न जो स्वतः गिरफ्तारी का है वह इससे अधिक महत्व का है और सदन के सामने और समिति के सामने इस प्रश्न को आना चाहिये था। लेकिन उसका मौन रहने का मतलब यह है कि इस गम्भीर प्रश्न की उपेक्षा कर दी गयी है।

जो माननीय बलवन्त सिंह जी ने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जान बूझकर या अनजान में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि समिति के सामने केवल एक ही प्रश्न गया था और वह यह कि विशेषाधिकार की अवहेलना, सूचना अध्यक्ष को न देने से हुयी या नहीं। इसलिए समिति को माननीय मुख्य मंत्री जी की राय में अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह विचार करे या नहीं। मेरी समझ में.....

श्री अध्यक्ष---मैं अब इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह प्रिविलेज के और भी प्रश्न निकाल सकती है। इसके सम्बन्ध में केवल प्राइमाफेसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

ऐवीडेंस से जो मुझे विदित हुआ उस पर निर्णय देकर मैंने समिति के पास विचारार्थ भेज दिया था।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ऐसी अवस्था में समिति ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। इसलिये इसको समिति को दुबारा भेजा जाय, मैं और जोर से समर्थन करना चाहता हूं और यह और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है, यह राय है कि यह लघु प्रश्न हो जाता है कि इस सदन को सूचना दी या नहीं दी। लेकिन गिरफ्तारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कभी भी दो राय नहीं हो सकती हैं जबकि सदन ने इसको मान लिया है कि गिरफ्तारी किसी क्रिमिनल चार्ज पर नहीं हुयी है और जब किसी क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तारी नहीं हुयी तो निस्संदेह यह इल्लीगल है.....

श्री अध्यक्ष---आप इसके ऊपर राय न दें क्योंकि समिति ने कोई निर्णय नहीं दिया और यह तो समिति का प्रतिवेदन है जो विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ऐसी स्थिति में अगर यह क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तारी नहीं हुयी है तो यह ऐसी गिरफ्तारी है जिससे माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। इसलिये मैं थोड़े से शब्दों में ही क्योंकि बहुत से मेरे साथियों ने उद्धरण किये हैं, कहना चाहता हूं और मुझे अधिक कुछ कहने की इस सम्बन्ध में आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है। इसलिए यदि इस पर समिति विचार न करे और माननीय सदन भी विचार न करे तो ऐसी नजीर बन जायगी जिससे कहा जा सकता है कि सदन ऐसे प्रश्न पर भी मौन रहा जो अधिक महत्व का प्रश्न था। इसलिये यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिये सदन का कर्त्तव्य हो जाता है कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊंचा उठकर सदन के सम्मान की रक्षा के लिये विचार करें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और इसको पुनः समिति को भेजा जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अभी कुछ तकरीरें माननीय सदस्यों की सुनी हैं, उससे मुझे आशंका यह है कि कुछ गलतफहमी हो रही है और इस गलतफहमी की वजह से यह प्रस्ताव माननीय बलवन्त सिंह जी ने पेश किया है कि जो असल मामला था उस पर कमेटी ने विचार नहीं किया और इसी वजह से उनके प्रस्ताव का समर्थन कई दोस्तों ने किया। देखना हमको यह है कि ब्रोच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं। फिर ब्रोच आफ प्रिविलेज तय करने से पहले यह तय करना है कि प्रिविलेजेज हमारे क्या-क्या हैं। क्या इस हाउस का यह प्रिविलेज है कि कोई मेम्बर गिरफ्तार हो, पुलिस गिरफ्तार करे, या मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी लीगल है या इल्लीगल है इसको मेरिट्स में जाना क्या यह हाउस का प्रिविलेज है? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस का यह प्रिविलेज हरगिज नहीं कि वह इसकी मैरिट्स में जाय कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। और जो भी डिसेंटिंग मिनिट में केसेज कोट किये गये हैं वह सिक्सटीन्थ और सेवेन्टीन्थ सेंचुएरी के कोट किये गये हैं। उसके बाद बराबर वहां के ला और प्रैक्टिस में बताया गया है कि वह प्रिविलेजेज अब मंसूख हो चुके हैं और केवल एक ही प्रिविलेज रह जाता है कि वह मैजिस्ट्रेट से किसी सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करे।

कुछ सदस्य---नहीं नहीं।

श्री अध्यक्ष---शांति से सुनिये।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य से किसी बात में अपने को कम नहीं मानता कि अगर कोई

सदन का प्रिविलेज है तो उसको घटाया जाय और जो दोस्त यह कहते हैं कि नहीं, यह प्रिविलेज भी इस हाउस को हासिल है कि वह इस बात को मैरिट्स में जाय कि मैजिस्ट्रेट ने ठीक सजा दी या नहीं दी, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ने ठीक गिरफ्तार किया या नहीं किया, तो मैं उन से जानना चाहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से कोई प्रिसिडेंट कोट करके बतायें। मैंने यह दावा किया है कि डिसेंटिंग मिनिट में सातवें पेज पर जो केसेज दिये गये हैं कि, "गिरफ्तारियों में इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कोई प्रशासन का अधिकारी किसी माननीय सदस्य को गैर क़ानूनी ढंग से गिरफ्तार कर ले या दीवानी के मामले में फौजदारी का रंग देकर गिरफ्तार करे, अनियमित रूप से डिटेंशन में रक्खे या परेशान करे। ऐसी दशा में यदि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना मिलती है तो सदन गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट सम्बन्धी आदेश की वैधता पर विचार कर सकता है और यदि सदन इस नतीजे पर पहुंचता है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी अनियमित है तो वह माननीय सदस्य को छुड़ा कर उनसे सदन की सेवा ले सकता है।"

और आगे चलकर, "इस सम्बन्ध में हम यहां केवल ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस के श्री फरेर के मामले की चर्चा करेंगे। मे की पुस्तक के ७१ पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि श्री फरेर को हाउस आफ कामन्स ने अपने मुक्ति के आदेश से छुड़ाया तथा शेरिफ्स द्वारा इस कार्य में बाधा डाले जाने के कारण शेरिफ्स को सदन की मानहानि के लिये सजा दी। मे की पुस्तक के पृष्ठ ७१ और ७२ पर सर्वश्री डिग्स, ऐसगिल मिल्स, वर्टन तथा शर्लं के मामलों से पता चलेगा कि सूचना पाने पर सदन ने माननीय सदस्यों को बन्दीगृह से छुड़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की।"

आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह डिसेंटिंग नोट पढ़ा, जिन्होंने यहां तकरीर की है, वह सब इस डिसेंटिंग मिनिट में जो ये बातें लिखी हुयी हैं उससे प्रेरित हैं और मुतास्सिर हैं। लेकिन मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पर जो वह केसेज दिये गये हैं फेरर्स और डिग्स के यह हिस्टारिकल रेव्यू किया गया है, इसलिए कि हाउस आफ कामंस और हाउस आफ लार्ड्स में झगड़ा रहा, पार्लियामेंट और किंग में बहुत दिनों तक झगड़ा रहा। शुरू में यह ठीक है कि मेम्बर अगर गिरफ्तार होता था तो स्पीकर की तरफ से रिट जाता था शेरिफ के नाम और शेरिफ को हाउस में बुलाया जाता था और हाउस यह तय करता था कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। यह बिलकुल स्पष्ट है और मैं मानता हूं। लेकिन इसके बाद वह सब चीज खत्म हो गयी और मैं अपने माननीय दोस्तों का ध्यान पेज ७६, ७८ और ८० की तरफ दिलाऊंगा और मैं आपको इजाजत से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह हाउस इस राइट को ऐब्रोगेट कर लेता है कि वह यह तय करे कि किसी भी मामले में जो मेम्बर गिरफ्तार हो वह अरेस्ट जायज है या नाजायज है, तो वह कोर्ट्स के राइट्स को ऐब्रोगेट करता है। हमारे प्रिविलेजेज उतने ही हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं और उसके लिए एक मुस्तनिद किताब है "मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" उसमें हिस्टारिकल रेव्यू करके दिखलाया गया है कि बेशक पहले ऐसा था, लेकिन अब नहीं है।

एक सदस्य—हरगिज नहीं।

श्री चरण सिंह—आगे चलकर उन्होंने लिखा है पेज ७६ पर—

"Soon afterwards it was enacted; by 2 and 3 Anne, c. 12, that no action suit, process, proceeding,Judgement, or execution against privileged persons, employed in the revenue, or any office of public trust, for any forfeiture, penalty, etc., should be stayed or delayed by or under colour or pretence of privilege of Parliament."

[श्री चरण सिंह]

पहले तो उन्होंने कहा कि केस इसकी वजह से नहीं रुकेगा आगे चलकर वह कहते हैं—

"Still more important limitations of the privilege were effected by the Parliamentary Privilege Act, 1770, whereby any person may at any time commence and prosecute an action or suit in any court of law against peers or members of Parliament and their servants; and no such action or process shall be interfered with under any privilege of Parliament."

पहले हर सूट और हर ला को प्रोसीडिंग को हाउस आफ कामंस रोक दिया करता था। इसके बाद नये ऐक्ट बने कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं पेज ७८ की तरफ माननीय दोस्तों का ध्यान दिलाऊंगा :—

"The privilege of freedom from arrest is limited to civil causes, and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation."

यानी जो दीवानी के मामले हों उनमें जब सेशन शुरू हो उससे ४० दिन पहले और जब खत्म हो तो उसके ४० दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल केसेज में नहीं। उसके आगे है :—

"In early times the distinction between "civil" and "criminal" was not clearly expressed. It was only to cases of "treason, felony and breach (or surety) of the peace" that privilege was explicitly held not to apply (see page 68). Originally the classification may have been regarded as sufficiently comprehensive. But in the case of misdemeanours in the growing list of statutory offences, and particularly, in the case of preventive detention under emergency legislation in times of crisis, there was a debatable region about which neither House had until recently expressed a definite view."

मैं बाद में इसका तर्जुमा करके सुना दूंगा।

"A review of the development of the privilege reveals a tendency to confine it more narrowly to cases of a civil character and to exclude not only every kind of criminal case, but also cases which, while not strictly criminal, partake more of a criminal than of a civil character. This development is in conformity....."

श्री मदनमोहन उपाध्याय—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह जी कह रहे हैं क्या यह चीज उन केसेज पर भी लागू हो सकती है जो कि कोर्ट में हैं ही नहीं। यह तो उनकी बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप तो इन्फार्मेशन पूछ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां। यह इन्फार्मेशन चाहता था।

श्री अध्यक्ष—तो यह इस तरह से आपको नहीं करना चाहिये। प्वाइंट आफ आर्डर कहकर इन्फार्मेशन मांगना उचित नहीं है।

श्री चरणसिंह—"This development is in conformity with the principle laid down by the Commons in a conference with the Lords in 1641 : Privilege of Parliament is granted in regard of the service of the Commonwealth and is not to be used to the danger of the Commonwealth."

इसका मतलब यह है कि अरेस्ट से जो फ्रीडम है, गिरफ्तारी से जो मुस्तसना होने का राइट है, अधिकार है, वह केवल दीवानी के मामलों तक सीमित है, क्रिमिनल केसेज में नहीं है। मैं बड़ी खुशी से इन्तजार करूंगा कि कोई साहब मुझे कोई ऐसी नजीर दिखला दें इधर की और मैं यह भी बतला दूं कि जो आपने नजीरें पेश कीं, वह पहले की हैं, उसके बाद ये ऐक्ट्स बने हैं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)--यह तो आपके खिलाफ जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस तरह से आपस में बहस न करें।

श्री चरण सिंह--तो उन्होंने कहा है कि सिविल और क्रिमिनल में जो अन्तर है पहले वही साफ था। क्रिमिनल केवल उसको माना जाता था--ट्रीजन, केलानी और ब्रीच आफ दि पीस। बाद में टेंडेंसी यह हो गयी कि सिविल कैरेक्टर के जो मामले हैं केवल उन्हीं तक यह अधिकार सीमित रहेगा। उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल केसेज की गिरफ्तारी से प्रिविलेज का कोई ताल्लुक नहीं है। पर आगे चल कर पृष्ठ १२० पर कहते हैं--

"The privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges"

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि मैंने बलवन्तसिंह जी को इस बारे में रोक दिया था कि इसको विशेषता पर विचार न हो। मैंने उनको इसलिये इजाजत दी कि चूंकि समिति ने एक बात पर विचार नहीं किया और इस कारण वे प्रश्न को समिति के पास विचारार्थ वापस भेज सकते हैं।

श्री चरण सिंह--मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता था कि इस पर विचार हो ही नहीं सकता। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष--तो आप यह कहते क्यों नहीं ?

श्री चरण सिंह--मैं यही दिखला रहा हूं कि गिरफ्तारी सही हुयी है या नहीं हुयी है, गिरफ्तारी जायज हुयी है या नाजायज हुयी है यह तो हाउस देख ही नहीं सकता। इस पर वह विचार कर ही नहीं सकता। पृष्ठ १२० पर यह लिखा है।

श्री अध्यक्ष--इसको मैरिट्स पर नहीं जाना है। आप सीधे यह कह दें कि इसके ऊपर कमेटी नहीं विचार कर सकती थी इसलिये समिति ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

श्री चरण सिंह--चूंकि प्रिविलेज के बारे में कहा गया गिरफ्तारी नाजायज हुयी तो उसके तय करने के लिये कि गिरफ्तारी जायज हुयी या नाजायज हुयी और नाजायज हुयी तो क्यों हुयी, मैं अर्ज करना चाहता हूं :

"The privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges and upon the same principle the Government of a Member under regulations made to prevent a breach of the peace has been held not to constitute a breach of privilege.

Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information of the imprisonment or detention of any Member with the reason for which he is detained."

मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता था केवल एक ही प्रिविलेज है हाउस को, क्रिमिनल केस या अरेस्ट के सिलसिले में। वह यह कि उसको यह इत्तला दी जाय कि गिरफ्तारी हुयी और उसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष---आप उसकी मेरिट्स में फिर जा रहे हैं। समिति की रिपोर्ट में दिया है कि ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया डेफिनिटली कि प्रिवेंटिव अरेस्ट में ब्रोच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं। उन्होंने तुरन्त राय देने में असमर्थता प्रकट की। इसी पर मेम्बर्स ने अपना यह मत रखा है कि पुनर्विचार के लिये प्रश्न वापस भेजा जाय। मैं प्रश्न की मेरिट्स के ऊपर विवाद की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इससे बहस बढ़ जायगी। अभी सिर्फ सवाल यह है कि क्या सूचना न देने में ब्रोच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं। इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर सदन यह समझता है कि कमेटी ने पूरा विचार नहीं किया तो उसके लिए उनका प्रश्न को वापस भेजने का संशोधन है। अगर आप यह कहते हैं कि विवादग्रस्त उठाये हुए प्रश्न पर समिति ने विचार कर लिया था और वह इस फैसले पर आ गयी थी कि वह प्रश्न विचार में नहीं लिया जासकता तो आप इतना ही कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न की मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन करना---इससे तो वह बहुत लम्बा हो जायगा। मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चरणसिंह---मैं मेरिट्स पर खुद ही बिलकुल जाना नहीं चाहता। मैं अर्ज करता हूं कि जो माननीय बलवन्त सिंह का संशोधन है कि इस मसले पर फिर विचार करने के लिए वापस जाय मेरी गुजारिश यह है कि इस पर कमेटी विचार कर ही नहीं सकती। जो आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह मेरे नोट्स में मौजूद है। जो ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसी से भ्रम पैदा होता है इस सिलसिले में कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट है या क्रिमिनल चार्ज पर है। यह बिलकुल गैर मुताल्लिक है। प्रिवेंटिव अरेस्ट है और इत्तिला नहीं दी जाती फिर भी ब्रोच आफ प्रिविलेज है यह मैं मानता हूं। यह जो इस रिपोर्ट के पृष्ठ ४० पर जिक्र किया गया---

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, because this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i.e., not on a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want sometime."

मैं इसके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल नहीं था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट की इत्तला देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिए। कमेटी इस बात को मानती है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट करके जेल में रक्खा जाय या किसी आदमी को प्रिजन में भेजा जाय तो ब्रोच आफ प्रिविलेजेज है लेकिन अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट करके एरोप्लेन में ले जाकर कहीं दूर छोड़ दे तो इत्तिला देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिवेंटिव अरेस्ट ब्रोच है या नहीं यह क्वेश्चन ही नहीं है। तीन क्वेश्चंस कमेटी ने रक्खे थे उन्हीं से मालूम हो जाता है। पहला था---क्या श्रीनारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी? दूसरा था---क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी? यह दूसरा सवाल था लेकिन यह रिलेवेंट नहीं था। तीसरा सवाल यह है कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह किसी प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी तो यह तीसरा सवाल रिलेवेंट था। चाहे प्रिवेंटिव अरेस्ट हो या चाहे चार्ज के ऊपर अरेस्ट हो हमने तै किया है चूंकि प्रिजन में नहीं भेजा गया लिहाजा ब्रोच आफ प्रिविलेजेज नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि क्या वे कोई नजीर दे सकते हैं हाउस आफ कामन्स की या और कहीं की एक आदमी गिरफ्तार किया गया हो और गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया हो और बगैर प्रिजन में भेजे इत्तिला देना जरूरी समझा गया हो। पेज ७८ में आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ---

"The commital of a member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the

committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the Member is committed to prison, bail not being allowed."

गिरफ्तार होने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय और इसमें चाहे कितना ही समय लग जाय लेकिन मैजिस्ट्रेट उसे बेल पर छोड़ दे तो ब्रीच आफ प्रिविलेजेज नहीं होता ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री से कि प्रिवेंटिव अरेस्ट ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं।

श्री चरण सिंह---ब्रीच आफ प्रिविलेजेज नहीं है । जब वह प्रिजन को कमिट किया जाय तो वही ब्रीच आफ प्रिविलेजेज है । अदालत में जाय और छोड़ दिया जाय, उसमें कई घंटे लग जायं, तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता ।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत है उस विषय पर माननीय सदस्यों के लम्बे चौड़े भाषण हुए। मैं भी इस रिपोर्ट को क्रिटिकली देखता हूं और मुझे दुख है कि मेरे दिमाग में स्पष्ट यह बात आती है कि जो रिकमेंडेशन है वह मुझे कतई गलत नजर आती है । वह इसलिये नहीं कि मैं हर बात को अपोज करता हूं या मेरे दिमाग का ट्रेंड अपोजीशन करने का है बल्कि इसलिए को रिपोर्ट में जिस तरह से फैक्ट्स दिखाये गये हैं उनसे इनफ्रेन्स निकलता है कि हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेजेज इस मामले में हुआ । मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है । ६ करोड़ जनता की रक्षा का भार इस सदन के ऊपर है और अगर यह सदन अपने राइट्स को ही डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझे इसमें शक है कि यह सदन ६ करोड़ जनता की रक्षा का उत्तरदायित्व निभा सके। मान लीजिये की नारायणदत्त जी ने आफेन्स किया हो। यह ठीक है, हम मानते हैं कि नारायणदत्त जी ने आफेन्स कमिट किया और हम यह भी मानते हैं कि उनको अरेस्ट हुयी जिसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं है । हम यह कहना चाहते हैं कि अगर अफेंस कमिट हुआ और उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया तो क्या उस हालत में यह मैजिस्ट्रेट को डियूटी नहीं थी कि वह इस माननीय सदन को सूचना दे कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट थी । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमको इसके लिये बेसिक प्रिंसिपल को देखना होगा । अगर बेसिक प्रिंसिपल को सही तरीके से देखा गया होता तो जितनी कंट्रोवर्सी इस सदन में दिखायी दे रही है वह कंट्रोवर्सी आज यहां पर उपस्थित नहीं हुयी होती । यह सदन ६ करोड़ की जनता के जस्टिस की गारन्टी करता है और जनता को जस्टिस देने वाला है और साथ ही जो कानून जनता के लिये बनाये जाते हैं उनको जिन्दगी देनेवाला भी यह हमारा सदन है । इसलिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के मेम्बरों के जो प्रिविलेज हैं वह वही माने जाते हैं जो कि आर्डिनरी ला से ऊपर होते हैं । उस प्रिविलेज की इस सदन को रक्षा करनी है और इस सदन का काम है कि प्रिविलेज की रक्षा की जाय क्योंकि उससे लार्जर इन्टरेस्ट सर्व करना होता है और सबके फायदे के लिये वह चीज होती है । वह लार्जर इन्ट्रेस्ट क्या है, इस पर अब हमको विचार करना है । मान लीजिये कि यहां हमारे सदन में कोई बड़ा महत्व का प्रश्न उपस्थित है और उस पर महत्वपूर्ण डिसीजन होना है तो अगर किसी मेम्बर को अरेस्ट कर लिया जाय और उसकी उपस्थिति यहां सदन में बहुत जरूरी है क्योंकि मुमकिन है कि सदन में बड़े बड़े डिसीजन होते हों और उसकी वजह से ६ करोड़ की जनता के जीवन पर असर पड़ता हो और मान लीजिये कि वह डिसीजन जनता के खिलाफ जाता हो तो उन माननीय सदस्य को जो अरेस्ट किया गया है वह अरेस्ट जनता के इन्टरेस्ट के खिलाफ हुयी या नहीं हुयी ? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह सारे राइट जनता के हैं जो कि इस सदन के राइट हैं । इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सदन सुप्रीम हो जाता है और एक सुप्रीम बाडी चाहता है । हमको उनकी अरेस्ट को कामन ला के बजाय उनकी अरेस्ट को कुछ दूसरे नुक्ते नजर से देखना होगा । इसलिए जो यह प्रिविलेज

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

का सवाल है उसको हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि वह किस नेचर का है। जहां तक मैजिस्ट्रेट के आर्डर का सवाल है जिससे यह प्रिविलेज का सवाल उत्पन्न होता है उसमें यह देखना है, वह प्रिवेंटिव है या प्यूनिटिव है वह तो अपने बस की बात नहीं है और चीफ मिनिस्टर के बस की भी बात नहीं है कि वह ऐसा होना चाहिये या है। वह तो मैजिस्ट्रेट का आर्डर ही बतायेगा और यह जो मैजिस्ट्रेट का आर्डर है वह चिल्ला चिल्ला कर बतला रहा है कि वह क्या आर्डर है और किस प्रकार का है। हमको देखना यह है कि मैजिस्ट्रेट का जो आर्डर है उसकी स्प्रिट क्या है और वह आर्डर क्या इन्टेंशन प्रकट करता है और किस चीज को हमारे सामने रखता है। मैं सदन के सामने उस मैजिस्ट्रेट के आर्डर को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम सही फैसले पर पहुंच सकें।

"Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144, criminal Procedure Code by obstructing sugarcane carts, trucks and wagons from entering into Lalitpur Sugar Factory, Kashipur. I, hereby, order the S. O. Kashipur, to remove him under escort to Haldwani and release him there."

इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी आफेन्स कमिट कर रहे थे। यह नहीं कि वह कमिट करने जा रहे थे बल्कि कमिट कर रहे थे। यह आर्डर स्पष्ट है कि नारायण दत्त जी ने १४४ सेक्शन को डिफाई किया इसके कारण वह अरेस्ट किये गये। वह इसलिए किया गया कि प्यूनिटिव आर्डर था उसको उन्होंने प्रिवेंटिव कर दिया ताकि वह वहां से हट जायं और आफेंस कमिट न करें और वह आफेंस कर रहे थे उससे उनको स्टाप कर दिया जाय। जहां तक भविष्य में ला को ब्रीच करने का सवाल है तो भविष्य में ब्रीच न करने के लिए उनको वहां से हटा दिया जिसको हम इसके साथ-साथ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कह सकते हैं। तो उनका अरेस्ट प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों था।

अगर किसी माननीय सदस्य का यह विचार है कि केवल दीवार या लोहे के सींकचे ही प्रिजन हो सकते हैं तो वह गलत है। आगा खां के पैलेस में बम्बई में हमारे कैदियों को रखा गया। मंदिर और मस्जिद भी प्रिजन हो जाते हैं अगर मैजिस्ट्रेट किसी की लिबर्टी को खत्म करने के लिये आर्डर करता है कि वह टेम्पिल के बाहर नहीं जा सकता। अगर बाजार के चौराहे पर किसी को टेरोराइज कर दिया जाय कि अगर वह वहां से हटेगा तो गोली से उड़ा दिया जायगा चाहे पुलिसमैन भी दूर भाग जाय, तो वह भी प्रिजन होगा। इसलिये माननीय नारायण दत्त जी को जेल की कस्टडी में रखकर मैजिस्ट्रेट के ऊपर इनकम्बेंट था कि हाउस को इत्तिला देता। मैजिस्ट्रेट का कांडक्ट कमेटी के सामने अब बोर्ड नहीं रहा है। उन्होंने कमेटी के सामने आनेस्टली और स्ट्रेटफारवर्ड बयान नहीं दिया है। वह जानते थे कि वह पोलिटिकल के स्टूडेन्ट रहे थे तो उनके ऊपर और भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन्हें यहां बुलवाकर रिप्रिमंड किया जाय।

*श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी की तकरीर के बाद उनके इतमीनान दिलाने के बाद कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ, आइन्दा के लिये वह बहैसियत हमारे मुख्य मंत्री के ऐसी हिदायत जारी कर देंगे कि आयन्दा ऐसी गलती न हो, मैं समझता हूं कि ज्यादा डिसकशन का मौका न था। लेकिन एक चीज उनकी तकरीर से भी मालूम हुई कि उनके ख्याल में भी ऐसी हिदायत जारी करना जरूरी है। उनका यह इतमीनान बहैसियत मुख्य मंत्री के है। यह सवाल अभी बाकी है कि अगर फिर भी कोई अफसरान गलती करें तो क्या वह उनके खिलाफ ऐक्शन बहैसियत मुख्य मंत्री के लेंगे या ब्रीच आफ प्रिविलेज के लेंगे। मुख्य मंत्री जी का यह खयाल कि वह हिदायत जारी करेंगे, इस बात की दलील हो सकती है कि यह प्रिविलेज हाउस का जरूर था। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य मंत्री जी हाउस की इज्जत रखने के लिये सही मानों में तर्जुमानी कर रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारे एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिस किस्म का अरेस्ट यहां हुआ है वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं, इसका जवाब देने के लिये वह कुछ वक्त चाहेंगे, तो मेरा राय है कि इस वक्त इस सवाल को मुल्तवी कर दिया जाय और एडवोकेट जनरल से उनकी ओपीनियन मांग ली जाय ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है और जिसके बारे में यहां पहले सुझाव हुआ वह इसी एक बात से सम्बन्ध रखती है कि सूचना नहीं दी गयी। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना थी या नहीं। इसके अतिरिक्त किसी और बात पर विशेषाधिकार समिति ने विचार नहीं किया। जहां तक सूचना का सम्बन्ध है मैं अपने विचार प्रकट कर चुका और इस बारे में कुछ कहना अनावश्यक है। जहां तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, वह भी प्रिवेंटिव है या नहीं इसमें भी विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है। इसके बारे में इस सदन में मैं देखता हूं काफी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं जिस पर विशेषाधिकार समिति ही को विचार करना चाहिये। आया यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न समझा जा सकता है या नहीं, इस पर भी वहीं विचार हो सकता है। हमें यह देखना है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है या नहीं और अगर हो सकता है तो उसकी अवहेलना हुई है या नहीं। इसके बारे में यहां भिन्न मत मालूम होते हैं। यह तो अदालत का काम है कि वह यह देखे कि कोई मुकदमा झूठा हुआ है या सच्चा। यहां पर हाउस का खयाल ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस तरीके पर हम इस मामले में गिरफ्तारी हुई है वह ऐसी है जो विशेषाधिकार की परिधि के भीतर आती है। लेकिन इसके बारे में दूसरी तरफ से ऐसा कहा जाता है कि यह अदालत की बात है और यह विशेषाधिकार की परिधि के बाहर है। इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति ही ठीक तरीके से देख सकती है। हम यहां बहस करें यह कठिन बात है क्योंकि इतने बड़े सदन में एक कानूनी मसले को देखना गलत बात है। नजीरों का पेश करना, पिछले इतिहास का बताना इसमें होता है, इस प्रकार से यह एक क़ानूनी सवाल है। यह जज्बात का सवाल नहीं है। इसमें तो सवाल यह है कि क़ानून इस बारे में क्या कहता है। हमें यह देखना है कि आखिर इस बारे में इंगलैन्ड में जो प्रिविलेजेज हैं वे क्या हैं। हमको कोई चीज अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन सवाल तो यह है कि हम बंधे हुए हैं इंगलैन्ड के कानून से। जो क़ानून वहां पर लागू होता है यहां पर भी हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इस वाक्ये को हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स किस प्रकार से इसको देखते हैं उसी प्रकार से हमें इसको देखना है और उसको देखकर हमें यह तय करना है कि कानून के अन्दर यह चीज आती है या नहीं और अगर आती है तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं। हमें अच्छा लगे या बुरा लेकिन यह विशुद्ध कानूनी सवाल है, किसी भी प्रकार की स्ट्रांग फीलिंग्स की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में शंकायें हैं, इसलिये उसका निर्णय विशेषाधिकार समिति ही कर सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सारे सदन को इस बारे में एक मत होकर यह निर्णय करना चाहिये कि विशेषाधिकार समिति इस बात को देखे कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति की परिधि के अन्दर है या नहीं और अगर ऐसा है तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है या नहीं। इन दोनों बातों के लिये केवल १५ दिन का समय देना गलत बात होगी क्योंकि यह एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है और इसमें ज्यादा समय लग सकता है। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि १५ दिन तक असेम्बली बैठी रहेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष--श्री गेंदा सिंह का मामला जुलाई में आयेगा तभी इस पर भी विचार हो जाय ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--चूंकि इस तरीके पर विशेषाधिकार समिति के सामने हर आदमी अपनी राय दे सकता है, जो कोई वकील हों उनसे पूछा जा सकता है, अगर यहां पर कोई चीज ऐसी है जिससे कि विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो यह सारे

[गोविन्दवल्लभ पंत]

सदन से सम्बन्ध रखता है, किसी एक गिरोह या व्यक्ति से इसका सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वह उसकी परिधि के अन्दर आता है या नहीं आता है यह कानूनी बात है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस मुबाहिसा की जरूरत नहीं है और इस प्रश्न पर यहां बहस करके किसी नतीजे पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस तरीके पर आप उसको बना कर विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें और फिर इस समय इस पर बहस स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और एक नया ईश्यू खड़ा हो गया जिसे प्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जा रहा है। तो एक ईश्यू हमारे सामने था कि आया नोटिस उन्हें देना चाहिये था या नहीं देना चाहिये था स्पीकर को अरेस्ट के बारे में और उस मामले में प्रिविलेज कमेटी ने फैसला दे दिया कि नहीं देना चाहिये था। तो अब जब प्रिविलेज कमेटी में दूसरे ईश्यू पर बहस होगी तो उसमें हम फिर इस ईश्यू को उठा सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब मैं दे देता हूं। जब कमेटी के सामने कोई मामला वापस जाता है तो वह उस विषय पर गौर करके पुनर्विचार भी कर सकती है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न एक कानूनी बात है और अगर कोई नया सुझाव आता है और उससे मालूम होता है कि कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिये समिति सब तरह से विचार कर सकती है और प्रिविलेज कमेटी को पूर्ण अधिकार है कि वह उस पर नजरसानी करे।

श्री राधामोहन सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का सुझाव मुझे मंजूर है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही पेचीदा कानूनी मसला है इसलिये इस वक्त इसको वापस कर दिया जाय और बहुत से माननीय सदस्य जो कानूनी राय रखते हैं उनकी तथा ऐडवोकेट जनरल की राय लेकर इस पर निर्णय किया जाय। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस सदन की सर्वसम्मति से यह राय है कि इसको वापस भेजा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

खंड १८--(क्रमागत)

†**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :-

खंड १८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (*s*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*t*), (*u*) और (*v*) रख दिये जायं :--

(t) for securing and making arrangements of house sites and new lands for house sites and all such lands appurtenant

---

*२२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

to that for domestic purposes free of any charge for the landless agricultural labourers and especially for the scheduled castes people as may be required by them within the jurisdiction of the Gaon Sabha.

(*u*) to form a sub-committee for purposes of defence and checking crimes in the village.

(*v*) to take all such steps as be necessary to prevent adulteration in food stuffs."

अध्यक्ष महोदय, आज गांव की जो परिस्थिति है उससे प्रत्येक माननीय सदस्य परिचित हैं। हमारे पूज्य बापू जी कहा करते थे कि भारतवर्ष गांवों में रहता है। स्वराज्य हो जाने के बाद सभी जानते हैं कि बापू के हृदयोद्गार पूर्ण हो गए परन्तु स्वराज्य हुए लगभग ६–७ वर्ष हुए लेकिन गांवों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। गांवों में जो आबादी की परिस्थिति, मकानों आदि की है वह शहरों के मुकाबले में बहुत खराब है और आबादी जो बढ़ गयी है और खेती भी गांवों की आबादी से नजदीक तक होनी प्रारम्भ हो गयी है, जिसके कारण वहां की बस्ती का एक्सटेंशन असंभव हो गया है। जहां तक वहां की ग़रीब पब्लिक का प्रश्न है उन के लिये बहुत मुश्किल है कि वह अपने मकानों को दोमंजिले या तिमंजिले बना सकें या और जमीन हासिल कर सकें। गांवों में ऐसी परिस्थिति है कि वहां मकान एक ही है? उसी में पशु बंधते हैं, उसी में भूसा लकड़ी तमाम सामान रखा जाता है, उसी में रोटी पकाते हैं और जगह का बहुत अभाव रहता है। मुझे तो यहां तक देखने को मिला है कि एक आदमी के पास एक ही कमरा है, उसी में वह दोनों पति पत्नी, उनके लड़के, बहू और लड़की और दामाद रहते हैं और जगह की इतनी कमी है कि उन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिये किसी तरह से पर्दे डाल कर कपड़े की आड़ में जीवन बिताना पड़ रहा है। जो नगर निर्माण और ग्राम निर्माण समिति हैं उनका मुख्य प्रयोजन नगरों का ही निर्माण है और अगर हम उस समिति की रिपोर्ट को पढ़ें तो मालूम होगा कि निर्माण कार्य जितना है वह अधिकतर नगरों में ही हो रहा है, बल्कि वहां पर क्या-क्या सुविधायें दी जायं यह विचार होता है। नगरों के मजदूरों के लिये ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से लोकल बाडीज-म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटिफ़ाइड एरियाज में रहने के लिये व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो देहात के ग़रीब किसान या मजदूर हैं, ग़रीब पब्लिक है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। यदि वह अपने मकानों को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों के पास ज़मीन है वह इतनी अधिक क़ीमत मांगते हैं कि वे बेचारे उसको ख़रीद भी नहीं सकते हैं। बहुत से मकान ऐसे हैं कि जिनमें लोग रहते हैं और वहीं अपना चमड़ा भी पकाते हैं, और गन्दा काम करते हैं, जिससे तरह-तरह की बीमारियां वहां अपना गढ़ बनाये रहती हैं।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

और जो बीमारियां पहले शहरों में रहती थीं वह अब देहातों में घर किये हुए हैं। इसका एकमात्र कारण लोगों के पास रहने के लिये जमीन की कमी है जिसके कारण वह बेचारे वहाँ पशुपक्षियों की तरह जीवन बिताते हैं। अध्यक्ष महोदय, "बापू और हरिजन" पुस्तक के पेज ३३ पर लिखा हुआ है कि "वैसे बहुत से लोग हमदर्दी दिखाने के लिये तो हरिजनों को सभापति बना देंगे और कुर्सियों पर बिठा लेते हैं लेकिन अगर उनमें देखा जाय तो वह उसके ऊपर छुआ कंसीडेशन नहीं करते हैं"। बापू ने कहा था कि सवर्ण हिन्दुओं को चाहिये कि वे उन सुविधाओं को ग्रहण न करें जो कि हरिजनों को प्राप्त नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि क्या कोई ऐसा है जो उन सुविधाओं को जो हरिजनों के पास नहीं हैं उनको ग्रहण नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है। बापू को आशा थी कि जब स्वराज्य हो जायगा तो वे हरिजनों के लिये क्या करेंगे यह उन्होंने उसी पुस्तक के ७६ वें पृष्ठ पर लिखा है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य होते ही हरिजनों को आबाद, सुखी तथा संतुष्ट करना ही सरकार का प्रथम

[श्री जोरावर वर्मा]

कर्त्तव्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सात-आठ वर्ष स्वराज्य को हुये हो गये लेकिन हरिजनों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से तो स्वराज्य हो गया है लेकिन आर्थिक दृष्टि से अभी उसमें क़दम उठाया नहीं गया है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की तीन ही सीढ़ियां हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उन्हें सुविधा मिलनी चाहिये। जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और घर। तो मैं यह चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह जो पुराना ऐक्ट है उसकी धारा जो १५ है उसकी आबादी के लिये जो एक्सटेंशन है; उसका प्राविजन है, लेकिन वह एक्सटेंशन किस प्रकार होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ऐक्ट में जो मैंने यह संशोधन रखा है स्वीकार कर लेंगे जिससे माननीय बापू का जो आग्रह है कि उनको अपने मकानों के बनाने के लिये कुछ सहूलियतें प्राप्त हो सकें और जिस तरह से दूसरी स्थानीय संस्थायें, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि काम करती हैं, उसी तरह का काम गांव सभाएं भी करें।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है उसमें तीन बातें कही गयी हैं। एक है लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबरर और खास कर हरिजनों के लिये मकानों और मकानों के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीजों के लिये जितनी जमीन हो सके मुफ्त दी जाय। दूसरा है ऐसी कमेटियां बनायी जायं जो डिफेंस और चेकिंग आफ क्राइम्स का काम करें और तीसरी बात, फूड ऐडल्टरेशन के सिलसिले में कुछ काम करें। मैं एक-एक कर के तीनों चीजों को लेता हूं।

जहां तक फूड स्टफ्स के ऐडल्टरेशन का संबंध है गांव सभा के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो इसके बारे में काम कर सके। यह एक बहुत पेंचीदा चीज है और यह अधिकार सिर्फ म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है। लेकिन वह क्या करती है? वह नमूना ले कर भेज देती है और रिपोर्ट उनके पास आ जाती है और तब वे मुकदमा चलाती हैं। तो गांव सभा के जिम्मे अगर इस काम को डालें तो बहुत बड़ा बोझ होगा। यह काम किसी दूसरे मुहकमें के सुपुर्द किया जाय। गांव सभा में जितनी ताक़त है उससे वह इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती। जहां तक डिफेंस और क्राइम्स चेकिंग की बात है इस संबंध में कुछ कार्यवाही हो रही है। विलेज में डिफेंस कमेटियां बन रही हैं और वे आगे किस तरह से गांव सभाओं के साथ मिल कर काम करेंगी या उनका क्या आर्गेनाइजेशनल संबंध होगा यह देखा जायगा लेकिन वह कार्य हो रहा है और जैसा हो रहा है उसको वैसा ही फिलहाल होने दिया जाय।

अब सवाल है तीसरा, मकानों के लिये, लैंडलेस और ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स और खास कर हरिजनों के लिये जमीन हो। जहां तक इस बात का संबंध है कि गांवों की आबादियां ठीक-ठीक बसी हुई नहीं हैं, यह सही है कि माडेल विलेजेज हों यह अच्छी चीज है और वहां हरिजनों की बस्ती अच्छी तरह से बसाई जाय यह ठीक है। यह ऐसी बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि इसको किस तरह से किया जाय। इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। मैं उन सब कठिनाइयों का जिक्र न करते हुये यही कहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन बड़ी मुश्किलें नजर आती हैं। आर्थिक कठिनाइयां सब से बड़ी हैं। इसलिये इस वक्त फ्री आफ एनी चार्ज, जितनी-जितनी जमीन, एज मे बी रिक्वायर्ड बाई देम, (जितनी जमीन की उन्हें आवश्यकता हो) इसका फैसला तो वे खुद करेंगे कि कितनी जमीन की उनको जरूरत है, उनको दे दी जाय, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अगर इसका बोझ गांव सभाओं पर न पड़ कर के किसी और पर पड़ता तब तो किसी हद तक बात समझ में आ सकती थी। लेकिन गांव सभाओं के लिये यह कहना कि फ्री आफ चार्ज दें, और फिर आज कल जो संविधान है जिसमें यह है कि कम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम्पेंसेशन को गांव सभायें दे भी सकेंगी या नहीं, मैं समझता हूं कि एक सोचने की बात है। इसलिये यह कोई आसान सवाल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी गांव सभाओं पर डाल दी जाय कि वह फ्री आफ चार्ज जितनी जमीन की जरूरत एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हो, उनके मकानों के लिये और उनके मकान से संबंधित चीजों के लिये जैसे भूसा रखने के लिये, उपला रखने के लिये, चमड़ा साफ करने के लिये, जितनी चीजों के लिये जरूरत हो क्योंकि एज रिक्वायर्ड बाई देम, इसका फ़ैसला तो वह खुद करेंगे, उतनी जमीन गांव सभा दे सके। दूसरी दिक्क़तों के अलावा इसमें फाइनेन्शल सवाल भी आता है। गांव सभाओं के पास केवल हजार पांच सौ रुपया होता है जिसे भी वह बड़ी मुश्किल से वसूल कर पाती हैं, उसको वह इस काम में लगायें, यह कहां तक ठीक होगा। यह सवाल देखने का है। इसलिये यह गांव सभाओं के लिये प्रैक्टिकेबिल नहीं हो सकता। किसी और संस्था के लिये होता तो उस पर विचार हो सकता था लेकिन पंचायत राज और गांव सभाओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना ग़लत होगा।

माननीय जोरावर वर्मा जी आवेश में आ कर ऐसी बात कह गये जो कि सत्य से बिल्कुल परे है। उनका यह कहना कि स्वराज्य प्राप्त करने के बाद हरिजनों की हालत गिरती जा रही है, मैं कहता हूं कि आंखें बन्द करना है और अंधा होना है। अगर यह कहा जाय कि स्वराज्य हासिल करने के बाद हरिजनों की हालत गिरी है तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आप अब भी कहते हैं कि अब हालत गिरी हुई है और पहले अच्छी थी। तो क्या आप तैयार हैं उस हालत में आने के लिये जिसमें आप के बाप दादा थे? मैं कहता हूं कि हरगिज़ नहीं आप तैयार होंगे। इसलिये तो यह कहा जा सकता है कि तरक्की कम हुई लेकिन यह कहना कि गिरते जा रहे हैं बिल्कुल ग़लत है।

आज बनारस जैसे कंज़र्वेटिव शहर में विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों के दाखिल होने के लिये सारा बनारस का नागरिक समुदाय तैयार है कि हरिजन उसमें जायें। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह छोटी चीज़ है? ५ साल पहले या ७ साल पहले क्या आप कभी यह विश्वास कर सकते थे कि बनारस में वहां के नागरिक विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों को जाने देने के लिये तैयार होंगे? इसलिये आंखें बंद कर के किसी के लिये कुछ कहना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है।

एक बात और कही श्री जोरावर वर्मा जी ने कि जो सुविधायें हरिजनों को प्राप्त नहीं हैं वह स्वयं प्राप्त न करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी गंदगी में भंगी रहता है झाड़ू और टोकरी के साथ मैं समझता हूं कि उस अवस्था में माननीय जोरावर वर्मा जी नहीं रह सकते, और न खाना खा सकते हैं। इसलिये हरिजनों के नाम पर इतनी बातें कहिये कि जितनी मुनासिब हों। क्या कोई माननीय सदस्य भंगी के घर में जहां पर उसकी टोकरी और झाड़ू रक्खा हो वहां पर बैठ कर खाना खा सकता है? तो चमारों की भंगियों से कहीं अच्छी हालत है और उससे अच्छी हालत और लोगों की है। हम खुद चाहते हैं सुधारों की रफ्तार तेज हो लेकिन यह कहना कि हालत गिरती जा रही है यह बात समझ में नहीं आती।

मुझे आज ३० साल हो गये हरिजनों का काम करते। मैंने सन् १९२४ ई० में काम करना शुरू किया था। मैंने पहले वाल्मीकियों का काम किया। उनके यहां सब से पहले मैंने खाना खाना शुरू किया था जब कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं कहता हूं अपने ३० वर्ष के तजुर्बे से उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सन् १९२४ से हरिजनों के उद्धार के लिये काम शुरू किया था कि आज कल कुछ तो पहले से अच्छे ही हैं। यह कहना कि हरिजनों के लिये कुछ किया ही नहीं गया ऐसा श्री जोरावर वर्मा के मुंह से सुन कर मुझे अफसोस होता है। जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनके उत्साह को कम तो न कीजिये। इस तरह के शब्दों से हरिजनों का नुक्सान होता है।

*श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस संशोधन के संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने यह फ़रमाया कि हरिजनों के कार्य बहुत कुछ हो रहे हैं इस बात से तो इंकार नहीं करते कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ हुआ लेकिन माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे कि ग़रीब लोग जो हमारे देश में रहते हैं, हरिजन और दूसरे लोग, उन्हें हमारे देश वाले दबाये हुये थे। आज महर्षि दयानन्द, प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी जी की कृपा से उन ग़रीबों का उद्धार हुआ, इसको हम मानते हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहता हूं कि अब भी इनकी इतनी शिकायत है कि जितनी मदद उनकी की जाय थोड़ी है। आज आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनको मकानों की आवश्यकता है और पंचायतें उसका प्रबंध नहीं कर सकतीं। मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि आपने जो यह फर्माया कि गांवों में गांव सभायें ठीक तरह से अपनी माली बुनियाद पर इसका प्रबन्ध कर सकेंगी या नहीं जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं। चाहे वे बाल्मीकि हो, चमार हो या कोई भी हो और जिन्होंने उनके बीच में काम किया है वे जानते हैं कि छोटे-छोटे मकानों में १०, १५ आदमी रहते हैं। हमारे यहां मुज़फ्फरनगर के सिकन्दरपुर गांव में मैंने लाल बहादुर शास्त्री को चमार का मकान दिखाया था कि किस तरह से वे गुज़र कर रहे हैं। उनके डंगर, ढोर सभी उसी में रहते थे। इसलिये आज सभी की शिकायत है कि उनके लिये मकानों की व्यवस्था की जाय। वहां आपने देखा होगा तो इसी नतीजे पर पहुचे होंगे कि मकानों की अत्यंत आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि मकान उनको बिल्कुल मुफ्त दिये जायं लेकिन थोड़ी क़ीमत पर तो दिये जायं और यह आश्वासन दिया जाय कि तुम्हारी सरकार तुम्हारा ख्याल कर रही है। तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे और उनका उत्साह बना रहेगा। मैं तो यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरह के इस संशोधन को मंजूर नहीं करना चाहते। अगर ऐसा नहीं होगा तो मकानों के झगड़े में उन लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि चाहे पंचायत राज विधेयक में या रूल्स के अन्दर कहीं भी ऐसी गुंजाइश कर दें जिससे उन ग़रीबों की, चाहे वे हरिजन हों या और कोई हों, रहने के लिये मकानों की आवश्यकता पूरी हो सके।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बहुत सुन्दर आया है और मैं इसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज गांवों की जो दशा है मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रित करता हूं कि चल कर उसे देखें। आज हरिजनों के दरवाजों पर लोग कांटे रूंध रहे हैं। मैं मानता हूं कि जमींदारी का खात्मा हुआ लेकिन आज लठैत वैसे के वैसे हैं, आज राजा और रानियों के डंडे वैसे के वैसे हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है। जमींदारी अबालिशन के बाद भी आज हमारी वही दशा है जो पहले थी। आज गांव पंचायतों में क्या हो रहा है? जो पंच बन गया है वह अपने रिश्तेदारों को जमीन बांट रहा है। इसमें केवल शिडयूल्ड कास्ट्स का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उन ८० फीसदी लोगों का प्रश्न है जो गांवों में रहते हैं, उन भूखे नंगों का प्रश्न है जिनके वोट से यह आज गवर्नमेंट बनी है।

इसमें जो दूसरा संशोधन है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :---

"To form a sub-committee for purposes of defence and checking crimes in the village."

आज गांवों में जितना क्राइम बढ़ रहा है उसकी कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस वाले भी आज उन गुंडों से मिल कर बड़ी आफ़त ढ़ा रहे हैं। आज किसी एम० एल० ए० की कीमत नहीं समझी जा रही है। विशेषाधिकार का जो प्रश्न आज यहां मौजूद था वह बड़े महत्व का था। उसमें तो खैर फैसला हो गया कि फिर से कमेटी के सामने जाय लेकिन सही मानों में आज सरकार की जो पुलिस है वह कोई परवाह नहीं कर रही है। गुंडे लोग नंगे, भूखे, ग़रीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह गरीबों का प्रश्न है अमीरों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। आज जो लोग भीख मांग रहे हैं दरवाजे दरवाजे पर उनमें ब्राह्मण भी हैं, कोई चमार ही नहीं हैं। इसलिये सही मानों में अगर राम राज्य आपको कायम करना है तो इन बातों को ठीक करना होगा।

तीसरी बात मिलावट के बारे में कही गयी है। यह बहुत सही है। गांवों की हालत यह है कि अहीर लोग डालडा शहरों से ले जा कर जमा देते हैं और फिर उसको मथ देते हैं और आप पता भी नहीं लगा सकते कि डालडा है या घी। मैं दो सेर घी अगस्त के महीने में बस्ती से लाया था और लखनऊ में जब खाया तो उसमें से काला काला न जाने क्या निकला। मैं कहता हूं कि सरकार इस अमेंडमेंट को जरूर माने। अगर हमने गांवों को ठीक नहीं किया तो मैं समझता हूं कि यह पंचायत राज बेकार हो जायगा। आज गांवों में त्राहि त्राहि मची हुई है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो इस पंचायत राज को बन्द कर दीजिये। मैं समझता हूं कि यह तीनों अमेंडमेंट दुरुस्त हैं और सरकार को इन्हें स्वीकार करना चाहिये।

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ कारणवश संशोधन मंजूर नहीं किये जा सकते। उन्होंने कहा कि गांव सभाओं की माली हालत ऐसी नहीं है कि जमीन मुआविजा दे कर ली जाय और बिना पैसे के हरिजनों को या खेतिहर मजदूरों को दी जा सके। फायनेंशियल कंडीशन वाला सवाल ऐसा है कि हरिजनों की हालत बहुत ही दयनीय है और उनके बारे में अगर हमने कुछ नहीं किया, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की, तो उनकी दशा कैसे बदलेगी? मैं समझता था कि माननीय स्वशासन मंत्री कई दिनों से जो हरिजन विषयक अमेंडमेंट्स आये थे उनको मानते आये थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इसको अवश्य मानेंगे। फिर यह तो हरिजनों के रहने का घर का सवाल था, इसे तो मानना ही चाहिये था। कल ही माननीय स्वशासन मत्री जी ने चमड़े के साफ करने वालों के लिये जमीन की जो जरूरत पड़े उसका प्रबन्ध करने के लिये संशोधन स्वीकार किया है कि उसको गांव सभायें करें। कोई उद्योग कैसे कर सकता है जब तक कि उसके घर की व्यवस्था ठीक न हो जाय। हम सब जानते हैं कि हरिजनों की बस्ती कितनी गंदी और संकुचित दायरे में होती है और उनका रहना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और सभी इसको महसूस करते हैं। फिर हम उनके लिये कोई प्रबंध करें यह ठीक ही है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वे ठीक तरह से नहीं रह सकते हैं तो तरक्की कैसे कर सकते हैं?

हमारे प्रदेश में खास कर देहातों में सब से बड़ा समाज हमारे हरिजन भाइयों का ही है। उनकी दशा को सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं और न उनकी भावनाओं को बल दे सकते हैं जिससे वे ठीक तरह से हमारे साथ किसी भी काम में आगे बढ़ें। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जहां तक साइट्स लेने का सवाल है, इसे वह जरूर मंजूर करें, जैसे कि वह मंजूर करते आये हैं, तभी हम उनकी दशा सुधार सकते हैं और उनकी भावना को बढ़ा सकते हैं। जहां तक फायनेंशियल कंडीशन का सवाल है वह तो कहीं न कहीं से ठीक करनी ही चाहिये। आखिर उनकी दशा और कौन सुधार सकता है? गांव सभायें सुधारें या हमारी सरकार सुधारे। जहां तक हो सके किया जाय। इस प्राविजन को रखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय हमारे सदन के सामने है मैं समझता हूं कि उसका अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों को हरिजनों के मकान देखने का अवसर मिला है वे इस बात को जानते हैं कि आज खाने पीने के बाद अगर गरीब आदमियों की कोई बुरी व्यवस्था है तो मकानों के मामले में है। हमने देखा है कि एक मकान के अन्दर ४-५ गज की झोपड़ी है और उसे यदि झोंपड़ी कहा जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवंत सिंह]

तो यह एक असंगत सी बात होगी क्योंकि छान भी नहीं है, दीवार भी उसकी ठीक नहीं है, उसी के अन्दर एक बाप रहता है उसकी बीबी रहती है, जवान लड़का और जवान लड़की रहती है और उसकी बीबी बच्चे रहते हैं। और वहीं उसका खाना पीना होता है और गाय भैंस भी बंधती हैं। ऐसी दशा में आप देखेंगे कि आज कल जो गरीब आदमियों के पास मकान गांवों में हैं वह ऐसी बुरी अवस्था में हैं जिनको हम नहीं कह सकते हैं कि वह एक इन्सान के रहने की जगह है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जब चकबन्दी का कानून पेश हुआ तो सदन ने इस बात की व्यवस्था की थी कि गरीब आदमियों के लिये एक ऐसी बात रक्खी जाय कि जो जमीन ली जा सके खेती से हटा कर वह गरीब आदमियों को दी जाय जिसमें वह अपने मकान बना सकें। इस बात की हमारे देश में चाहे पूर्व के हों या पश्चिम के, जरूरत हो गयी है कि गरीब आदमियों के मकानों के लिये जमीन मिलने के सवाल पर विचार हो। चाहे वह किसी प्रकार से आ लायें। मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हो सकता कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि हम बिला पैसा दिये किसी गरीब आदमी को जमीन दे सकें। अच्छा तो यह हो कि बिना पैसा दिये ही गरीब आदमियों के लिये जमीनों का बन्दोबस्त कर दिया जाय लेकिन अपने अपने स्थान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। मैं यह भी जानता हूं कि अगर हमने कोई ऐसा प्रबन्ध किया कि जो मुफ्त में ही जमीनें दिलवाना शुरू कर दीं तो मैं समझता हूं कि बहुत आदमी ऐसे इकट्ठे हो जायेंगे जो जमीन के लिये गरीब बनना शुरू कर देंगे और यह एक बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जायगी कि जमीन लेने से किसको रोका जाय। बहरहाल हम यह जानते हैं कि जमीन हमारे पास महदूद है, थोड़ी संख्या में है और जो देहातों में आस पास में मकान बना सकें वह जमीन कम संख्या में है और आज कल जो जमींदारी का खात्मा हुआ उसमें अधिक तर वह जमीन खेती में ले आयी गयी और उसकी वजह से ऐसी जमीन जिसमें मकान बन सकें वह हमारे पास कम है। तो ऐसी दशा में यह कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि मुफ्त जमीन दी जाय, लेकिन उसकी क़ीमत इतनी थोड़ी रखी जाय जिससे उन लोगों को इस बात का उत्साह तो न हो कि वह मुफ्त में जमीन लेने के लिये भाग पड़ें। इसके अतिरिक्त जरूरत इस बात की है कि गांवों की जो आबादी है उसको एक नया रूप देना चाहिये और इस कानून में हमें ऐसी व्यवस्था मंजूर करनी चाहिये जिससे कि हमारी आबादी का पुनःसंगठन हो सके और उसमें कुछ ऐसा ढंग लाया जा सके जिसको कि हम अच्छी आबादी कह सकें। खास तौर से मैं समझता हूं कि हरिजनों के जहां क्वार्टर्स हैं, उनके मुहल्ले हैं, उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। कल भी कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया था कि अव्वल तो हमारी सोसायटी की पुरानी ऐसी व्यवस्था थी कि जो गरीब आदमी होते थे वह गांव से दूर रखे जाते थे और ऐसे स्थान पर रखे जाते थे जहां पर अक्सर तालाब हुआ करता था और जो रद्दी से रद्दी भूमि हुआ करती थी वह हरिजनों, चमारों और भंगियों और जो ढ़ेड़ थे उनको दी जाती थी। अब सोसाइटी बदलती जा रही है। हर एक आदमी इस बात की इच्छा रखता है कि मैं भी एक अच्छा सुन्दर जीवन व्यतीत करूं। उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके लिये मकानों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी का विश्वास है और मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, कि अब जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हो गये हैं, जिन्होंने एक सोशल पोजीशन अख्तियार कर ली है, अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुंच गये हैं और इस भवन के सदस्य भी हो गये हैं, क्या आप उनसे यह आशा करते हैं कि वह ऐसी बुरी जगहों पर रहें जहां पर कि पहले उनके बाप-दादा रहा करते थे। तो अब यह निश्चित बात है और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि अब उनकी मांग और भूख ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ी हुयी मांग और भूख को हमें ध्यान में रखना चाहिये, किसी प्रकार से उसको सप्रेस नहीं करना चाहिये, दबाना नहीं चाहिये बल्कि उनकी जायज और मुनासिब जो मांग है उसके लिये हमें साधन पैदा करने चाहिये जिससे कि हम उस मांग को पूरा कर सकें। हम मानते हैं कि ऐसे लोग जो पहले जमीन के मालिक हैं, चाहे जमींदार की हैसियत से, भूमिधर की हैसियत से या किसान की हैसियत से, उनको यह बुरा अवश्य लगेगा कि जबकि उनकी जमीनें उनसे ली जायंगी और वह गरीब आदमियों को दी जायंगी मकान बनाने के लिये, लेकिन यह भी तो हमें समझना चाहिये कि अगर सोसाइटी को तरक्की देना है, समाज को उन्नत करना है तो हमारे जो गरीब

आदमी हैं उनका उन्नत होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जैसे जब तक संसार के अन्दर अगर कलवार रहता है, अगर यह व्यवस्था रहती है कि गोरे कालों का भेद-भाव है, तो वैसे ही तब तक देश के अन्दर शांति नहीं हो सकती जब तक कि छुआछूत का भेद-भाव न मिट जाय, तो मैं यह भी मानता हूं कि यही झगड़ा उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि हमारे यहां के गरीब हरिजन और जो पिछड़े हुये वर्ग हैं उनका भेद-भाव न मिटा दिया जाय और वह तब सम्भव हो सकता है जब कि हम उन्हें अधिकार दें सोसाइटी के अन्दर कि वह उन्नति कर सकें तथा हमें यह भी अधिकार देना होगा कि उनके मकानात अच्छे बनें और उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे कि वह मकानात बना सकें। तो उसके लिये सब से मुख्य चीज है भूमि। अगर किसी के पास चार पैसे भी हैं और उसकी अवस्था ऐसी है कि वह मकान बना भी सकता है लेकिन अगर उसके पास भूमि नहीं है तो वह मकान बनायेगा कैसे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि भूमि की व्यवस्था करना किसी न किसी रूप में हमें अत्यन्त आवश्यक है और वह हम कानून के जरिये से कर सकते हैं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि अगर आज आप इस बात का प्रयत्न करें और कहें कि भाई गरीब आदमी है, उसके लिये भाई जमीन दे दो, तो मैं कहता हूं कि यह नामुमकिन है कि उसे जमीन मिल जाय और उसका मकान बन सके।

हमने यह देखा कि विनोबा भावे जी को जो दान में भूमि दी गयी है उसमें से बहुत सी भूमि का तो पता नहीं है कि वह भूमि है कहां। लोगों ने दान का तो बहाना किया और नाम के लिये भूमि दे दी। हमें मालूम है कि बहुत जिलों में ऐसी व्यवस्था है कि भूमि के नाम से तो कहीं कहीं १००-१०० बीघे जमीन उन्होंने दी है लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि उस भूमि में खेती हो नहीं सकती है और फिर वह भूमि है भी या नहीं, यह भी सन्देह है। वास्तव में उन्होंने ऐसी भूमि नहीं दी जो कि किसी के काम में आ सके। तो इसके लिये व्यवस्था यहां रखी जा रही है कि कानून के जरिये से भूमि ले ली जाय और मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि गरीब आदमियों के लिये भूमि का प्रबन्ध इस तरह से किया जाय। आप यह देखते हैं कि कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज में जमीन दी जाती है मकानात बनाने के लिये और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता होती है। तो मैं इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो यह प्रस्ताव माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह व्यवस्था इस पंचायत राज कानून में होनी चाहिये। गरीब आदमी के लिये मकान बनाने के लिये या उसके कारोबार के लिये जैसे चमड़े वगैरह का कारोबार है, उसके लिये भूमि की व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिये। इसलिये मैं माननीय जोरावर वर्मा के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से माननीय श्री जोरावर वर्मा ने इस संशोधन को पेश किया, उस भावना को समझते हुये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं किन्तु साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यदि यह संशोधन जिस रूप में पेश किया गया है उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां सामने आयेंगी। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूं। पहली पंक्ति में शब्द "अरेंजमेंट्स" और "आफ" के बीच में यह रख दिये जायं—

"With the previous sanction of the prescribed authority and on payment of Compensation as fixed by the prescribed authority."

श्री उपाध्यक्ष—यह आप लिख कर मेरे पास भिजवा दीजियेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां, मैं लिखित भेज दूंगा आप के पास। और चौथी पंक्ति में जो "Free of any Charge" है वह हटा दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—यह अब पढ़ा कैसे जायगा, जरा पढ़ कर बता दीजिये।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह—अब यह इस तरह पढ़ा जायगा—

"for securing and making arrangements, with the previous sanction of the prescribed authority and on payments of compensation as fixed by the prescribed authority , of house sites and new lands etc." और आगे चल कर "free of any charge" हटा दिया जायगा।

इसमें जिस रूप से जोरावर वर्मा जी ने इसे पेश किया है उसमें मुझे यह आपत्ति दिखलाई पड़ती है कि जो कार्यवाही जमीन के अक्वायर करने में करनी पड़ेगी वह किसी न किसी रूप में ऐक्वीजीशन प्रोसीडिंग या उस तरह की कोई प्रोसीडिंग होगी। तो वहां पर "free of any charge" रखना मेरे ख्याल से अनकांस्टीच्यूशनल बात होगी क्योंकि जहां पर टाइटिल का प्रश्न आता है वहां यदि किसी की टाइटिल का राइट डिप्राइव किया जा रहा है तो साथ ही साथ यह अनिवार्य हो जाता है कि उसको किसी प्रकार का कम्पेंसेशन मिलना आवश्यक है। यह हमारे संविधान के अनुसार है। इसलिये यह रखना आवश्यक है। साथ ही साथ जो मैंने पहला प्रतिबन्ध लगाया है, उससे माननीय मंत्री जी यह न समझें कि मुझे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से कुछ प्रेम बढ़ गया है। चूंकि इस संबंध में काफी कंटेस्ट हो सकता है। गांव सभा किसी जमीन को अक्वायर करना चाहे और उसके लिये बहुत से आदमी कंटेस्ट करने के लिये हो जायं तो गांव सभा को एक प्रकार का इनीशियेटिव दिया जाय इन कार्यों को करने के लिये। वे लैंडलेस लेबर और शेड्युल्ड कास्ट के लिये जमीन अक्वायर करने के लिये कार्यवाही कर सकती हैं लेकिन शुरू करने से पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की राय ले लें। अगर उनको कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है तो उनको कार्यवाही चलाने की इजाजत दे सकते हैं। साथ ही साथ कम्पेंसेशन के लिये ऐट ए रीजनेबिल रेट, यह गवर्नमेंट पर है। जो आपत्ति होगी अक्वीजीशन प्रोसीडिंग्ज के पहले वह कम्पेंसेशन के संबंध में होगी। उससे बच जायेंगे क्योंकि यह लिखा नहीं है कि कम्पेंसेशन एडीक्वेट होना चाहिए। किसी प्रकार का कम्पेंसेशन देना आवश्यक होगा।

मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने दिया है यह जोरावर वर्मा जी को भी और माननीय मंत्री जी को भी स्वीकार होगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उस में इस प्रकार अपना संशोधन पेश करता हूं—

"free of charge" निकाल दिया जाय तथा "landless agricultural labourers and especially for the Scheduled castes" के स्थान पर "houseless persons or Familes" रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मुश्किल यह है कि यह संशोधन मेरे सामने नहीं है और यह कैसे फिट इन करता है या नहीं करता है यह जब तक संशोधन सामने न हो कैसे देखा जा सकता है। जहां तक उन भाषणों का सम्बन्ध है जो भावनाओं का समर्थन करते हैं मैं उनसे सहमत हूं लेकिन जो कानून की बात है, जब तक संशोधन सामने न हो, उस वक्त तक मैं किस पर विचार करूं।

श्री धर्मसिंह—यह इस प्रकार होगा

"for securing and making arrangements house sites and new lands for all such lands appurtenant to that for domestic purposes for the houseless persons or familes peoples as may be required by them within the jurisdiction of the Gaon Sabha."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है यह तो सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि गांवों में उन लोगों को जो कि गरीब हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं उनकी हालत हमेशा से खराब चली आ रही है। मान्य मन्त्री जी ने एक बात कही कि हमारे सामने एक आर्थिक प्रश्न

की कठिनाई है। यह मानी बात है कि जब ग्राम पंचायत आबादी के लिये जमीन देने की व्यवस्था करेंगी तो उनके सामने आर्थिक प्रश्न होगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो १६ क्लाज है इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें साफ-साफ लिखा है कि ग्राम पंचायतें आबादी के एक्सटेंशन के लिये जमीन की व्यवस्था करेंगी या आबादी के लिये एक्सटेंशन करेंगी। तो फिर प्रश्न यह आता है कि जो एच्छिक बातें हैं उनमें ग्राम सभाओं के अख्तियारात मिले हुएहैं वह कैसे करेंगो ? मेरा निवेदन यह है कि यह तो किसी न किसी रूप में चाहे माननीय मंत्री जी रूल्स में प्राविजन करें या इस तरह की कोई चीज पैदा करें कि जो गांव का रहने वाला आदमी है उसके लिये जमीन की व्यवस्था हो। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जब हम उनके घरों को देखते हैं तो वह एक ही घर में खाते हैं, एक ही घर में पीते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में बच्चे पैदा करते हैं तो आखिरकार उन भावनाओं को जो घर करती हैं समाज के व्यक्तियों में उनको दबाया नहीं जा सकता। और यह मानी हुई बात है कि आपको उसका किसी न किसी तरीके से प्रबन्ध करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि जहां तक सरकार की बात है हम मानते हैं और इस बात को देश मानता है कि जहां तक हरिजनों की हालत को सुधारने की बात है उसके लिये गांधी जी ने बहुत काम किया है और सरकार भी कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि उनके बाप दादा क्या थे ...

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जिस प्रसंग में वह बात कही उस प्रसंग से उसको अलग न कीजिये। उसी कंटेस्ट में उसको कहिये कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हरिजनों की हालत बराबर सुधरती जा रही है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि सुधार हुआ है तो मेरी बात को ही कहते हैं। श्री जोरावर जी ने जो बात कही थी वह बहुत सख्त थी कि उनकी हालत गिरती जा रही है।

श्री धर्मसिंह---मैं भी इस बात को मानता हूं कि आजादी के प्राप्त होने के बाद जहां तक देश में हरिजनों की हालत थी वह सुधरती जा रही है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन परम्परा की ओर जाना या उस वातावरण की तरफ जाना कि वह क्या थे और क्या नहीं थे मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया यदि हम उनके रहने के लिये प्रबन्ध नहीं करते हैं तो इस प्रकार से समाज के जो व्यक्ति नीच कहे जाते हैं हो सकता है कि आज उनके पास पैसा न हो तो उनके लिये मेरा निवेदन यह है कि किसी तरीके से रूल्स में प्राविजन किया जाय। जब पिछला ऐक्ट बना था तो उसमें नहीं रखा गया। एक्सटेन्शन आफ आबादी तभी हो सकता है कि जब गांव सभा या जो वहां की गांव पंचायत हो वह इस बात की कोशिश करे कि उन लोगों को जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है उनके लिये मकानों का प्रबन्ध करे और आबादी बढ़ाने की कोशिश करे।

जहां तक सुधार की बात है हम लोग यह मानते हैं कि सुधार हुआ है और आज हमको पश्चाताप करना पड़ता है कि हमारे यहां की परम्परा में और हमारे देश में यह कलंक रहा है कि यहां पर छुआछूत कायम रही। एक तरफ गरीबी रही है और दूसरी तरफ अमीरी चली आ रही है। अगर अब इस प्रकार का वातावरण रहता है तो उसमें समाज के नाम पर एक दूसरे को एक्सप्लायट कर सकता है। हम जानते हैं कि यहां पर एक बिल आया था म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में तो उसमें प्रश्न यह था कि भंगियों को कूड़े की भी आवश्यकता है या नहीं और उनको वह दिया जाय या नहीं। जिस कूड़े को हमारे समाज में भंगी को छोड़ कर दूसरा उसके पास को निकालना भी पसन्द नहीं करता और देखना भी पसन्द नहीं करता और नाक भौंह सिकोड़ते हैं उस कूड़े की बाबत तय नहीं हो सकता था कि यह कूड़ा उसको दिया जाय या नहीं। आज चमार भंगी से घृणा करता है और इस बात से काफी एक्सप्लायटेशन होता है। हमने समाज बनाया था कि सोसाइटी चले और उस सोसाइटी में यह गन्दगी आयी और उस गन्दगी के साथ यह वातावरण चला। इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है। लेकिन अब समय का

[श्री धर्मसिंह]

तक़ाज़ा है कि हम अपने देश में रहने वाले ग़रीबों के लिये उनके रहने के लिये किसी प्रकार का प्रबन्ध करें। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि जहां इस तरह के संशोधन का संबंध है तो उसको आपको मानना चाहिये और उनकी आबादी बढ़ाने के लिये कोई प्राविजन होना चाहिये क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूल्स में इस तरह की चीज़ आप प्रोवाइड करें और अगर रूल्स में नहीं रखते हैं तो जमीन प्राप्त करने के लिये रुकावट आ सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसकी सूरत को समझते हुये इस प्रकार का प्राविजन करें और इसको मानने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम---उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन तमाम संशोधनों के बजाय जो (16) का (i) है वहां एक्सटेंशन आफ़ आबादी में चूंकि गांव में कोई हाउसलेस नहीं होता है, उसमें यह रखना चाहता हूं।

"and provision for house sites for weaker sections of the public"

इससे सबका प्वाइंट मीट हो जायगा। बाक़ी बातों के बारे में मैं परसों बताऊंगा। मैं यह भी नहीं चाहता कि हर जगह "हरिजन" शब्द आये।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका और माननीय बालेन्दु शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने कहा कि वर्मा जी ने जोश में आकर भाषण दिया। उससे हमको यह मालूम हुआ कि मंत्री जी को गांव का अनुभव नहीं है। उन्होंने तो यह कहा कि शहर में रह कर उन्होंने हरिजनों के लिये बहुत कार्य किया है। लेकिन मुझे एक कहावत याद आ गई कि "जा के पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।" गांवों में हरिजनों की हालत से मंत्री जी वाक़िफ़ नहीं हैं। पूज्य बापू ने जो कुछ कहा उसे कोई भुला नहीं सकता।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० मई, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ मई, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये ३० अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

क्रम-संख्या	पुलिस स्टेशन	डकैतियों की संख्या	पकड़े गये डकैतों की संख्या	
१	सराय खाजा	‥	६	१९५३
२	केराकट	‥	५	,,
३	मछली शहर	‥	७	,,
४	मरीयाहूं	‥	६	,,
५	मीरगंज	‥	१३	,,
६	बदलापुर	‥	६	,,
७	कोतवाली	‥	७	,,
८	केराकट	‥	७	१९५४

संसद सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिये ३० अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न ८-१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर।)

बुलन्दशहर जिले में १९५२ व १९५३ में हुई डकैतियों का विवरण

१९५२

क्रम संख्या	थाना	ग्राम	डकैतियों की संख्या	मृत हुये			गिरफ्तार डकैतों की संख्या	मृत डकैतों की संख्या
				पुरुष	स्त्री	बच्चे		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	कोतवाली	गिनौरा	१	..	..	..	९	..
२	स्याना	कमालपुर	१	..	..	..	१४	..
		बरौली	१	..	..	..	१६	..
३	गुलाथी	मीठपुर	१	..	..	..	१२	..
४	औरंगाबाद	गिनौरा	१	१	..	..	२६	..
५	शिकारपुर	खखुन्द	१	..	..	..	११	..
६	सिकन्दराबाद	पीलखानवाली	१	..	..	..	१२	..
७	डंकौर	खेरली	१	..	..	..	१८	२
८	काकोरी	अलियाबाद	१	१	..	..	७	..
९	खुरजा	केवली खुर्द	१	..	..	..	८	१
		गौस पुरतना	१	२	..	..	१५	..
		मोजपुर	१	१	..	..	१३	..
		शक्लों	१	..	..	..	३	..
		दिनोल	१	..	..	..	७	..
१०	पहसू	लदपुरा	१	१	..	..	२४	१
		बरकतपुर	१	..	..	..	..	..
		नगली लीला	१	१	..	..	२०	..
		नागर	१	..	..	..	२६	..
		सिंधगढ़ी	१	..	..	..	१३	..
११	अनूपशहर	पतरामपुर	१	..	..	..	१६	..
१२	डेबाई	शकरगंज	१	..	..	..	१५	१
		डबाई कस्बा	१	..	..	..	९	..
१३	जहांगीराबाद	..	..	..	..	..	..	..
	कुल	..	२२	७	..	..	२९४	५

१९५३

क्रम-संख्या	ग्राम	डकैतियों की संख्या	मृत हुये			गिरफ्तार डकैतों की संख्या	मृत डकैतों की संख्या
			पुरुष	स्त्री	बच्चे		
१	२	३	४	५	६	७	८
१	कोलसना	१	१	..	..	६	..
	मम्मन कली	१	१	..	..	८	१
२	चितसोना	१	..	..	..	८	..
३	..	..	..	..	..	..	..
४	इसमाइला	१	..	..	..	..	..
५	कुतवपुर	१	..	..	..	१०	..
	चितसौन	१	..	..	..	७	..
	रसूवीर	१	..	..	..	१४	..
६	मुरादाबाद	१	..	..	..	१०	..
७	छुहारपुर	१	१	..	..	..	..
८	..	..	..	..	..	..	..
९	गीसपुरतेना	१	..	..	..	२	..
	अदैजाकला	१	..	..	..	११	..
	जावल	१	..	..	..	६	..
	कैरोला	१	..	..	..	८	..
	फैराना	१	..	..	..	५	..
१०	अलीगढ़ अनूप	१	..	..	..	११	..
	शहर सड़क		..	..	..	..	..
	बेदरामर	१	१	..	..	५	..
	नगला-सरनपुर	१	..	..	..	१	..
	जलालपुर	१	१	..	..	१२	..
	पीतमपुर	१	..	..	..	८	..
११	सोहरखा	१	२	..	..	१०	..
१२	कसेरकलां	१	१	..	..	५	..
	तुलसी गढ़ी	१	..	..	..	१४	..
	नगला मूर	१	..	..	..	१४	..
	हीरपुर	१	..	..	..	१८	..
१३	पियाना कलां	१	१	..	..	८	१
	टोली	१	..	..	..	४	..
	कुल	२६	९	..	..	२२२	२

नत्थी 'ग'

(देखिये ३० अप्रैल, १९५४ के अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

श्री नत्थूसिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में विवरण

किस्म हथियार	कितनी दरख्वास्तें आईं	कितने लाइसेंस दिये गये
बन्दूक ..	१,००६	२६४
राइफल ..	५२	३०
रिवाल्वर ..	१३९	३२
कुल ..	१,१९७	३२६

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

प्रतापगढ़ जिले में प्रत्येक थाने पर पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

क्रम-संख्या	थाना	कर्मचारियों की संख्या
१	कोतवाली और उसके मातहत दो पुलिस चौकियाँ . .	३६
२	कुंदा	२०
३	रानीगंज	१७
४	कंधई	१७
५	पट्टी	१७
६	जेठवारा	१७
७	बघराय	१८
८	संगीपुर	१७
९	अंतू	१५
१०	लालगंज	१६
११	संग्रामगढ़	१७

विधानसभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर)

सन् १९५३ में दिवाली के अवसर पर जिला हमीरपुर के ग्रामों में पकड़े हुये जुवों का विवरण

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		पकड़े गये जुवों की संख्या	पकड़े गये अभियुक्तों की संख्या	कितने अभियुक्तों ने सजा पाई	कितने अभियुक्त छूट गये
१	मिश्रीपुर	..	१	८	..	८
२	बसौरा	..	१	२२	..	२२
३	सिजहरी	..	२	२६	१३	१३
४	सुमेरपुर	..	४	३१	३१	..
५	महोबा	..	६	३५	३५	..
६	सूपा	..	१	१७	१७	..
७	खरेला	..	२	३१	२३	८
८	विहूनी	..	१	४१	..	४१
९	तेइया	..	१	९	..	९
	योग	..	१९	२२०	११९	१०१

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर।)

थाना कायमगंज तथा कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद में पिछले वर्ष (१९५३) में हुये कत्ल, डकैती, रहजनी तथा चोरियों का विवरण

थाना	अपराध	रिपोर्ट हुयी	चालान हुये	सजा हुई
कायमगंज ..	कत्ल ..	६	५	२
	डकैती ..	..	..	..
	रहजनी ..	..	..	..
	चोरी ..	४१	१५	६
कम्पिल ..	क़त्ल ..	२	..	..
	डकैती ..	४	३	..
	रहजनी ..	..	..	..
	चोरी ..	१२	४	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

क्रम-संख्या	नाम सब-इन्सपेक्टर	क्रम-संख्या	नाम सब-इन्सपेक्टर
१	चौ० तेजपाल सिंह	८	श्री परमेश्वरी दत्त
२	ठा० त्रिलोकसिंह राना	९	श्री इताअत उल्ला खां
३	श्री सच्चिदानन्द नोटियाल	१०	श्री गिरिराज सिंह पोर्सवाल
४	श्री श्यामविहारी लाल	११	श्री अब्दुल हबीब खां
५	श्री प्रहलाद सिंह	१२	श्री आनन्द सिंह तोमर
६	श्री मेघामल शेरपाल	१३	श्री जरीफ हुसैन
७	श्री मुश्ताक़ अली खां	१४	श्री हरीनाथ सिंह

विधान परिषद

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर।)

इस जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत गांवों की संख्या निम्नलिखित है :

थाना	ग्रामों की संख्या	थाना	ग्रामों की संख्या
१ एटा	.. १५६	२ सकीट	.. १६३
३ निधौली	.. ६३	४ मारहरा	.. १११
५ कासगंज	.. ११५	६ सिदपुरा	.. ६१
७ अभापुर	.. ६४	८ सहावर	.. ११५
९ सोरों	.. ९९	१० अलीगंज	.. १४७
११ जैवरा	.. ९१	१२ गंजडुन्डवारा	.. ६३
१३ पटियाली	.. ९२	१४ जलेसर	.. ११५
१५ अवागढ़	.. ४५		

प्रत्येक ग्राम में ग्राम रक्षा समिति की स्थापना हो चुकी है।

डकैतों का मुकाबला करने में निम्नलिखित ग्राम रक्षा समितियों ने अच्छा काम किया है :—

१—थाना सकोट के अन्तर्गत ज्यूरी ग्राम में ग्रामीणों को पता चला कि एक आम के बाग़ में कुछ दुश्चरित्र एकत्रित हैं। ग्रामीणों ने उनको घेर कर लाठियों से आहत किया और तीन को जीवित पकड़ लिया जिनके पास आग्नेय अस्त्र भी थे। इसके फलस्वरूप पुलिस ने पूरे गिरोह का पता लगा लिया। यह गिरोह इस जिले व अन्य जिलों की कई डकैतियों के लिये उत्तरदायी था।

२—ग्राम रक्षा समिति निकटवर्ती ग्राम के बन्दूक के लाइसेन्सदारों की सहायता से थाना पटियाली के अन्तर्गत नगला पोपही ग्राम में डकैतों का पीछा किया तथा उनमें से २ को पकड़ लिया जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण गिरोह का जिसमें अधिकांश जिला फतेहगढ़ के थे पता लगा और अभियुक्तों का चालान किया गया।

३—ग्राम सहाय सुखदेव, थाना जलेसर की ग्राम रक्षा समिति ने उस मार्ग को जिसमें डकैत जाने वाले थे रोक दिया और जब डकैत लूट का माल ले कर जाने लगे तो उन पर बल्लमों से आक्रमण कर दिया। २ डकैत मौक़े पर पकड़े गए और एक पूरे गिरोह का जिसमें अधिकतर महेडिया जाति (पहले जरायम पेशा) के थे पता लगा वह नष्ट कर दिया गया।

४—थाना कासगंज के भूपालगढ़ी ग्राम में तीन लुटेरों ने २ जुलाहों का कपड़ा व रुपया गांव के समीप ही दिन के समय छीन लिया। ग्रामीणों ने लुटेरों का पीछा कर के तीनों को मय माल के पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा किया गया यह एक प्रशंसनीय कार्य था।

५—थाना अवागढ़ के अन्तर्गत टिकाघर ग्राम में जब कुछ चोर एक मकान का दरवाजा उतार रहे थे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके चोटें भी आईं। इस हाथापाई में एक गांव वाले के भी चोट आई जो बाद में अस्पताल में मर गया।

६—इस अन्तिम कार्य में ग्राम समदपुरा, थाना एटा के निकट से कुछ दुश्चरित्र व्यक्तियों को जाते हुये गश्त करने वाली पार्टी ने टोका और दोनों ओर से बन्दूकों का प्रयोग भी हुआ। एक डकैत आहत हुआ और गांव के निकट बाद में पड़ा मिला। इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप एक गिरोह का पता चल सका जो कई डकैती की घटनाओं के लिए उत्तरदायी था।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

उन्नाव जिले में पहली जनवरी, सन् १९५४ से १५ फरवरी, १९५४ तक डकैतियां तथा हत्यायों का विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	डकैतियां			कत्ल		
		संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या
१	कोतवाली	—	—	—	७	१४	३
२	सफीपुर	१	९	—	३	१८	७
३	फतेहपुर	२	१७	—	३	४	२
४	बांगरमऊ	२	२०	—	६	१६	१
५	अोराह	२	२१	—	२	३	—
६	हसनगंज	१	१३	३	५	१०	२
७	गंगाघाट	—	—	८	३	४	२
८	अचलगंज	१	११	१०	३	५	४
९	अजगैन	३	३०	—	७	८	—
१०	धारानगर	१	१२	—	२	—	—
११	बीहर	३	३२	१२	५	६	३
१२	पुरवा	—	—	—	—	—	—
१३	मोरावां	२	८	—	५	९	८
१४	असोहा	१	२४	—	२	१	—

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९० पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करना आवश्यक है; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२० की प्रस्तावना का संशोधन।

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) से शब्द "unitary", और शब्द "and residential" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (*a*) और (*aa*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*a*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

"(*aa*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorised to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*bb*) और (*bbb*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*bb*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution recognised by the University."

"(*bbb*) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a Hall."

(३) खंड (*e*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ee*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ee*) 'State Government' means the Government of the State of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ff*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ff*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University or a Constituent College for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."

(५) खंड (*g*) में शब्द "any of its Colleges or Halls", के स्थान पर शब्द "any Associated College, Constitutent College or Hall", रख दिये जायं—

(६) खंड (*h*) से शब्द "wholly or partly", निकाल दिये जायं और शब्द "instruction" के पश्चात् "for degrees or to guide or conduct research" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University, an Associated College or a Constituent College or carried on research in the University, under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) उपधारा (4) में शब्द 'members' के स्थान पर शब्द 'students' रख दिया जाय ।

(४) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"to maintain Constituent Colleges and Halls and to recognise Associated Colleges and Halls not maintained by the University."

(५) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (8-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(8-*a*) to inspect Associated Colleges and recognised Halls."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ५ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ६ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "conducted by the University" और पुनः शब्द "conducted in the University" के पश्चात् शब्द "or an Associated College or a Constituent College" बढ़ा दिये जायं :

(२) उपधारा (३) में शब्द "Ordinances and" के पश्चात् शब्द "subject thereto by" बढ़ा दिये जायं ।

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"In addition to the recognised teaching, tutorial and other supplementary instruction shall be given in the University or an Associated College or a Constituent College or under the control of the University or such College, in a Hall."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ७ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Visitation. 7. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like man-

ner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ९ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १० का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Vice-Chancellor.

10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the

Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor :

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no name has been added under the proviso to sub-section (2) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-sections (2) and (3).

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(6) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause [other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term] the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive

Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall, in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ११ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Powers and duties of the Vice-Chancellor.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meeting of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

११—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १२ का संशोधन।

"The Treasurer. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 10 shall apply as though for the words 'Vice-Chancellor the word 'Treasurer" had been substituted therein.

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (5), (7), (8) and (9) of section 10 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual

estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty--

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment).

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १३ का संशोधन।

१२-मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Registrar.

13. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely--

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor;

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these Authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall make all arrangements for and conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the

University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

१३—मूल अधिनियम की धारा १५ में मद (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १५ का संशोधन।

"(5) The Faculty Boards,

"(5-*a*) Selection Committees for the appointment of teachers, and"

१६—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संशोधन।

"16 (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio members :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Treasurer,

(iv) all Principals of Constituent Colleges and Associated Colleges,

(v) All Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments,

(vi) the Minister of Education, Uttar Pradesh,

(vii) the Minister of Health, Uttar Pradesh,

(viii) the Director of Medical Services, Uttar Pradesh,

(ix) the members of the Executive Council,

(x) such other *ex-officio* members as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(xi) such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four,

(xii) All persons who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University.

Class III—Other members :

(xiii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies

and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiv) Persons nominated by associations or individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes to or for the purposes of the University.

(xv) Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.

(xvi) Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.

(xvii) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xviii) Representatives of donors other than those included in items (xii) and (xiv).

(xix) Representatives of teachers of the University other than those included in Class I, the Provosts, the Non-Collegiate Delegacy and such Boards established under section 25 as may be prescribed by the Statutes.

(xx) Persons appointed by the Chancellor.

(xxi) Persons elected by the British Indian Association of Awadh from their own body :

Provided that this item shall cease to have effect from July 1, 1965 and any representation thereunder shall similarly cease with effect from the said date.

(2)The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a Constituent College or a Hall, shall not exceed the number of the other members excluding the members under item (xxi).

(3) The number of members referred to in items (xiii) to (xxi) of sub-section (1), their tenure and the manner of their appointment, election or nomination shall, save where otherwise provided for in this section, be prescribed by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member, other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ में खंड (*c*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*c*) of considering and passing resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates and on any matter connected with the University."

१६-मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

पू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २० का संशोधन।

"Powers and duties of the Executive Council.

20. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to prepare the budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts;

(*g*) to appoint examiners and to arrange for the holding of examinations and publication of results;

(*h*) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition;

(*i*) to arrange for and direct the inspection of Associated Colleges, Halls, and other places of residence of students;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes and to exercise all other powers of the University not otherwise provided for by or under this Act.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications, and emoluments of teachers and the appointment of and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 21-A के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"21-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २२ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Committee of Reference.

22. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Treasurer;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be appointed in the manner prescribed by the Statutes;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be provided by or under this Act.

(4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under subsection (3)."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २३ का संशोधन।

१९--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Faculties.

23. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department in the Faculty and shall be chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The seniormost Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the seniormost Reader thereof shall be the Head."

२०—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and such other", के स्थान पर शब्द 'such' रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २५ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and of all other" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २६ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-A के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

26-A. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall, as far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any appointment according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

२३—मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २७ का संशोधन।

"Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities

and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of Colleges and Halls ;

(*d*) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and mode of appointment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २९ का संशोधन ।

२४—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Ordinances.

29. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Halls maintained by the University ;

(*e*) the recognition of Halls not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and terms and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in Halls ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examinations ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन ।

२५--मूल अधिनियम की धारा ३० में--

(१) उपधारा (1) के खंड (*d*) में शब्द "the Residence, Health and Discipline Board", के स्थान पर शब्द 'the relative Board established under Section 25' रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (३) में शब्द "made by the Executive Counsil" और शब्द "shall" के बीच में, शब्द "shall have effect from such as date it may direct and" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३१ का संशोधन ।

२६--मूल अधिनियम की धारा ३१ में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में जोड़ा दिया जाए--

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of Faculty concerned but may reject the draft received or return it to the Board of Faculty concerned for further consideration together with its own suggestions.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में ३ नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक "Teachers" के अन्तर्गत धाराएं 31-A, 31-B और 31-C के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Teachers.

31-A. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.

(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Management without the advice of the Selection Committee."

"The Selection Committee.

31-B. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman ;

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases.

(iv) the Head of the Department concerned ;

(v) One member of the Executive Council, not being a teacher, to be chosen, by the Council.

(vi) where the appointment is to be in an Associated College the Principal of that College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of

study is prescribed for a post-graduate degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendation in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation."

"The Consultative Committee.

31-C. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

२८--मूल अधिनियम की धारा ३२ से शब्द "in a College or Hall, or" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३२ का संशोधन।

२९--मूल अधिनियम की धारा ३३ में--

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३३ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) Halls maintained by the University shall be such as may be named by the Statutes."

(२) उपधारा (2) से शब्द 'Colleges and' निकाल दिए जायं।

(३) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) The conditions of residence in Halls and other places of residence for students of the University shall be prescribed by the Ordinances and every Hall and such other place shall be subject to inspection by an officer of the University or other person, authorised in this behalf by the Executive Council."

(४) उपधारा (4) और उसके प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द 'College or Hall' के स्थान पर शब्द 'Hall or other place of residence for students of the University' रख दिए जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में तीन नयी धाराओं का बढ़ाया जाना ।

३०--मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं 33-A, 33-B और 33-C: के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"Associated Colleges.

33-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the College and be responsibe for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council. "

Non-Collegiate Delegacy.

33-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any College or Hall. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes. "

"Constituent Colleges.

33-C. Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the College and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the College. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes."

३१—मूल अधिनियम की धारा ३४ में—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३४ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "including at least one Principal and one Provost" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(5) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances."

३२—मूल अधिनियम की धारा ३५ में—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३५ का संशोधन।

(1) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3) At least one person who is not an employee of the University or an Associated College or Hall shall be appointed examiner for each subject of study for a degree."

(२) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

३३—मूल अधिनियम की धारा ३६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३६ का संशोधन।

"The Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and when no action is taken of the reasons therefor."

३४—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३७ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के अंत में निम्नलिखित एक नये पैराग्राफ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing.

The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances."

(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette", के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause *(c)* of sub-section (1) of Section 20, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३९ का संशोधन।

३५—मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter", के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"or whether any decision of the University or any authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४१ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४१ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४२ का संशोधन।

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ के अन्त में शब्द 'members' के पश्चात् आये हुए फुलस्टाप के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४४ का संशोधन।

३८—मूल अधिनियम की धारा ४४ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940)" रख दिये जांय।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३९—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

४०—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

४१—राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके —

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात यार्यक कारके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय, या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३३ वर्ष पूर्व १९२० में बना था। उस समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है यद्यपि इस राज्य के विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन का प्रश्न १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। तब से विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन की समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया है। उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के संविधान एवं अधिकारियों तथा समितियों के कार्य की उन्नति करने का प्रस्ताव है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

अमर उजाला प्रति

पी० एम० यू० पी० ए० पी०—४५ एल० ए०—१९५४—८५०।